खण्ड-381, अंक-8
मंगलवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1909
(14 जुलाई, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–2
प्रश्नोत्तर	..	3–70
वर्तमान मंत्रि परिषद् में अविश्वास सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना	..	70–72
निलम्बित सदस्यों के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने की मांग (जारी)		72–75
राजकीय बालिका इन्टर कालेज, गाजीपुर के भवन की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	75
फर्रुखाबाद नगर में भूस्खलन का कुप्रभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	76
लखनऊ स्थित राजा बिजली पासी के किले का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	76–77
विकास खण्ड सीखड़, मिर्जापुर द्वारा कराये गये निर्माण–कार्यों में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	77
खैर रोड, अलीगढ़ स्थित शराब के ठेके को हटाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	77
नगरपालिका, उन्नाव द्वारा नालों की सफाई अभियान में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	78
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (जारी)	..	78–80
निलम्बित सदस्यों के निलम्बन प्रस्ताव को वापस किये जाने की मांग (जारी)	..	80–82
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (जारी)	..	83–87
सीमान्त जनपद बियौरागढ़ में तहसील डोडीहाट के अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे कमतोली नामक स्थान से तहसील बियौरागढ़ में स्थित घाट के पुल तक, इड़कनी, धनौरा, तोली, विनायक, मड़कोली गांव से होकर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने विषयक याचिका–(उपस्थित)	..	87–88
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	88–89
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित)	..	89
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	..	90–98
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 27––गृह विभाग (पुलिस) (जारी)	..	99–111

विषय		पृष्ठ-संख्या
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के निर्वाचन हेतु दी गयी सूचना	..	111–112
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 27––गृह विभाग (पुलिस) (जारी)	..	112–122
निलम्बित सदस्यों के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने की मांग	..	122–124
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 27––गृह विभाग (पुलिस)––(स्वीकृत)	..	124–130
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 (जारी)	..	130
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	130
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 (पारित)	..	130–132
नवज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सुरेन्द्रनगर हजपुरा, जनपद फैजाबाद के अध्यापकों की सेवा समाप्ति के विषय में वक्तव्य	..	132–133
आज की कार्यसूची की मद संख्या 17 व 18 के स्थगन की सूचना	..	133
नथियां	..	135–147

हिन्दी प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1987 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अकबर अहमद (डम्पी) (नैनीताल)
अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अतर सिंह यादव, श्री (एटा)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कौशिक रमाशंकर, श्री (मुरादाबाद)
गया प्रसाद वर्मा, श्री (इटावा)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
जगदीश नारायण, श्री (हमीरपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
जवाहर सिंह यादव, श्री (इलाहाबाद)
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
नत्थू लाल विकल, श्री (बरेली)
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बरेली)
नरेश पाल सिंह यादव, श्री (बदायूं)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पारसनाथ यादव, श्री (जौनपुर)
फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्ना खां) (गोण्डा)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)

बलबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
बलराम यादव, श्री (आजमगढ़)
बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बाबू राम यादव, श्री (मैनपुरी)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री (सीतापुर)
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री (बाराबंकी)
भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
भोला शंकर मौर्य, श्री (बदायूं)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महाराज सिंह, चौधरी (इटावा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेन्द्र भाटी, श्री (गाजियाबाद)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोती राम सांगुड़ी, श्री (नैनीताल)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) (मुरादाबाद)
रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री (एटा)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर सिंह, श्री (वाराणसी)
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री (एटा)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम चन्द्र शर्मा, श्री (वाराणसी)
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम जनम, श्री (आजमगढ़)
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती (फर्रुखाबाद)
रामनाथ मुन्शी, श्री (गाजीपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)

राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम शरण दास, श्री (सहारनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रेवती रमण सिंह, कुंवर (इलाहाबाद)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विष्णु देवे, श्री (आजमगढ़)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
शारदानन्द अंचल, श्री (बलिया)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्री प्रकाश, श्री (आजमगढ़)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सुखपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री (बाराबंकी)
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री (बांदा)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
हफीज भारती, श्री (आजमगढ़)
हर नरायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हर्षवर्धन, श्री (गोरखपुर)
हृदय नरायन दीक्षित, श्री (उन्नाव)

उदय प्रहरी

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व विधायकों को वर्तमान विधायकों के समान चिकित्सा सुविधा

** 1--श्री सुखपाल पाण्डे (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मेन्द्र नारायण त्रिपाठी, उप सचिव स्वास्थ्य विभाग के हस्ताक्षर से दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को शासनादेश संख्या 3824/1/पांच-6, 1033/81 के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि भूतपूर्व विधायकों को राजकीय चिकित्सालय में वही सुविधा प्रदान की जायेगी जो उन्हें विधायक के रूप में मिलती थी ? यदि हां, तो वर्तमान विधायकों को दवा के स्थान पर उन्हें 400 रु0 प्रतिमाह एक मुश्त दिया जाता है और भूतपूर्व विधायकों को अब राजकीय अस्पतालों में दवा नहीं मिलती है, तो दवा न मिलने के स्थान पर क्या सुविधा अस्पतालों में दी जा रही है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी हां, भूतपूर्व पेन्शन प्राप्त विधायकों को शासनादेश संख्या 3824/5-7-1033-81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1081 द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं को समाप्त नहीं किया गया है और यह सुविधा पूर्ववत् अनुमन्य है। इन आदेशों के क्रियान्वयन हेतु *संलग्न शासनादेश संख्या 2590/5-7-1033-81, दिनांक 22 जून, 1987 द्वारा पुनः निर्देश दे दिये गये हैं।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 135 पर)।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 1, डाक्टर दिनेश जोहरी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, पहला सवाल श्री सुखपाल पाण्डे जी का है,

श्री अध्यक्ष--

उसी प्रश्न के सिलसिले में मैं उन्हें बुला रहा हूं। डाक्टर जोहरी ने रुचि दिखाई थी।

डा0 दिनेश जोहरी--

मान्यवर, जो वर्तमान विधायक हैं, उन्हें 400 रु0 का मेडिकल एलाउन्स मिलता है और अस्पताल में भर्ती होने पर वहां भी इंतजाम रहता है लेकिन जो रिटायर होने वाले मेम्बर हैं उनको क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं इस आदेश के अनुसार ? क्या सरकार भूतपूर्व विधायकों को भी कोई लम्पसम पैसा इस मद में देने की व्यवस्था करेगी ?

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 डा0 दिनेश जोहरी की रुचि पर लिया गया।

श्री हुकुम सिंह—

जो पेंशन प्राप्त भूतपूर्व विधायक हैं उनको वही सुविधायें प्राप्त हैं जो शासनादेश 1981 के अन्तर्गत अनुमन्य हैं। वर्तमान विधायकों को केवल 4 सौ रु० का भत्ता जो मो० पी० डी० के रूप में मिलता है वह उनको अनुमन्य नहीं है बाकी अगर बीमार हैं तो मुफ्त सुविधा मिलती है।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि चिकित्सा सुविधा भूतपूर्व पेंशन प्राप्त विधायकों को दी जा रही हैं। लेकिन पेंशन वही प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी की हो। अनेक ऐसे विधायक हैं जिनकी 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई और बीच ही में विधान सभा को भंग कर दिया गया उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो क्या सरकार यह फैसला करेगी कि जो एक बार विधायक रह चुका है। चाहे 5 वर्ष पूरे किये हों या 4 वर्ष ऐसे सभी विधायकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, केवल चिकित्सा सुविधा देने का प्रश्न नहीं है बल्कि पेंशन से लेकर बाकी सभी सुविधायें चाहे वह बस में सुविधा हो या दवा की सुविधा हो या पेंशन हो यह सब एक दूसरे के जुड़े हुये हैं। सिद्धांत रूप से यह फैसला ले लिया गया था कि जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो या कहीं-कहीं एक या डेढ़ महीने की कमी थी उन्हें एक्जेम्पट करते हुये पेंशन की सुविधा प्राप्त है उनको चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में कोई इस संबंध में प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 5 साल पूरे होने में जिनके एक या दो महीने की कमी थी उनको यह छूट दे दी गयी। अब 5 साल के टर्म में 2 महीने की छूट दे सकते हैं तो जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही रहा उनको छूट न देने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो छूट दी है वह सरकार ने नहीं दी बल्कि सम्मानित सदन में विधेयक आया, उसमें संशोधन हुआ उस निर्णय के आधार पर सरकार कार्यवाही करती है। जो आपने विधेयक पास किया उसी के अनुरूप सुविधायें दे रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसे सदस्य जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया और बीच में विधान सभा भंग कर दी गयी उनको कोई सुविधा देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। यह मैं मानता हूं। लेकिन क्या अब माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे और उनको सुविधायें देंगे?

श्री हुकुम सिंह—

मैं माननीय सदस्य श्री यादव जी को जानकारी देना चाहता हूं कि कई बार इन प्रश्नों पर विस्तार से विचार हुआ और यह केवल सरकार की तरफ से तय नहीं होता है। आपको याद होगा आपकी अध्यक्षता में जिसमें विपक्ष के सम्मानित सदस्य भी मौजूद थे, कई बार इस संबंध में बैठक हुई। तो उसमें विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है ऐसा नहीं है कि सरकार अपने पक्ष से निर्णय कर दे।

इसके पहले भी जब बैठक हुई थी विरोध पक्ष के सभी नेता उपस्थित, थे, उनके विचार विमर्श से जो सुविधा और देने का विचार बना वह सुविधायें दी गयीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन नहीं हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि वह पेंशन, यात्रा और चिकित्सा सुविधाओं आदि सभी समस्यायें उससे सम्बद्ध हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेंशन, यात्रा भत्ता या यात्रा सुविधा सभी को छोड़कर मानवीय कारणों को देखते हुए क्या केवल चिकित्सा सुविधा ऐसे विषयकों को उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इस समय तो ऐसा कोई प्रकरण या प्रश्न विचाराधीन नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत संदर्भ लिपिक/लेखाकार व बजट सहायकों का स्थायीकरण

**2--श्री राम आसरे वर्मा, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री किशन सिंह तड़ागी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में संदर्भ लिपिक/लेखाकार/बजट सहायक के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों को 15 से 20 वर्ष तक की सेवा हो जाने पर भी उन्हें अभी तक उक्त पदों पर स्थायी नहीं किया गया है, जबकि स्थायी पद रिक्त पड़े हैं ? क्या यह सही है कि स्थायीकरण न होने के कारण इन व्यक्तियों को सेलेक्शन ग्रेड अभी तक नहीं मिल पाया है जबकि स्थायी किए गए प्रवर वर्ग सहायकों को सेलेक्शन ग्रेड मिल गया है ? क्या उक्त व्यक्तियों के रिटायरमेंट भी एक या डेढ़ वर्ष में होने वाले हैं और सेलेक्शन ग्रेड न मिलने के कारण पेंशन भी कम निर्धारित होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त कर्मचारियों को उनके पदों पर स्थायी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

संदर्भ लिपिक/लेखाकार/बजट सहायक के स्थायी पदों के विरुद्ध नियमित चयन कराये जाने से सम्बन्धित प्रकरण को लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जा चुका है। आयोग का अनुमोदन न होने के कारण सेलेक्शन ग्रेड नहीं मिल पाया है। आयोग से नियमित नियुक्ति हेतु अनुमोदित होने के उपरान्त शासन के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत प्रश्नगत कर्मचारियों को प्रवर वर्ग सहायकों की भांति पूर्वगामी तिथि से सेलेक्शन ग्रेड का लाभ मिल सकेगा। चयन के सम्बन्ध में आयोग की संस्तुति की प्राप्ति पर स्थायीकरण की कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रक्रिया लोक सेवा आयोग को कब संदर्भित की गयी है और लोक सेवा आयोग में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सबसे पहली बार इसको 23, अगस्त, 1982 को लोक सेवा आयोग को भेजा गया था और इसमें विलम्ब का कारण यह था कि लोक सेवा आयोग द्वारा कई बार इन्क्वायरीज की गयी और उनका उत्तर समय-समय पर भेजा गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला 23 अगस्त, 1982 को सन्दर्भित किया गया और आप देखें कि यह 1987 चल रहा है और 5 साल हो गये हैं और लोक सेवा आयोग द्वारा देरी की जा रही है, तो यह देरी किन कारणों से की जा रही है, क्या माननीय मंत्री जी अपने स्तर से स्थायी पदों के विरुद्ध उनको नियमित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वह कार्य कैसे कर सकते हैं । यह पद पूरी तरह से लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं और वही कर सकते हैं ।

श्री विवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 1982 से यह मामला लम्बित है और इसको 5 साल हो गये हैं और इस बीच न मालूम कितने लोग रिटायर हो चुके होंगे और कुछ साल डेढ़ साल में रिटायर होने वाले होंगे । क्या माननीय मंत्री जी ऐसे व्यक्तियों को जो साल डेढ़ साल में रिटायर होने जा रहे हैं उनको लाभान्वित करने के लिये अपने स्तर से आदेश पारित करेंगे अथवा लोक सेवा आयोग से शीघ्रता करने का प्रयास करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इन पदों को लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, जिस तिथि से वह अनुमोदित होकर आयेंगे, वह तिथि मान्य नहीं होगी बल्कि पूर्वगामी तिथि, जिससे वह कार्य कर रहे हैं, उससे उनको लाभ मिलेगा ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मामला बहुत दिनों से लम्बित है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि लोक सेवा आयोग ने अनेक बार कुछ क्वेरीज की और शासन ने उनका उत्तर भी भेजा है । मैं जानना चाहता हूं कि सबसे अन्तिम क्वेरी लोक सेवा आयोग ने कब की है और शासन ने कब उसका उत्तर भेजा है ?

श्री प्रमोद कुमार--

6 जुलाई, 1987 को ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग से इस प्रकरण के सम्बन्ध में कब तक अनुमोदन प्राप्त हो जायगा ?

श्री प्रमोद कुमार—

शीघ्रतिशीघ्र ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जो 6 जुलाई, 1987 की तिथि बताई है तो क्या यह लोक सेवा आयोग द्वारा की गई देरी की तिथि है या शासन द्वारा देरी का जवाब भेजने की तिथि है ? मैंने दो तिथियां पूंछी थी ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्यान सिंह जी को मैं बताना चाहता हूं कि किन-किन तिथियों को लोक सेवा आयोग को इस सम्बन्ध में पत्र भेजे हैं । कृपया नोट कर लें । 22 जनवरी, 1987, 3 मार्च, 1987, 1 अप्रैल, 1987, 30 अप्रैल, 1987 तथा 6 जुलाई, 1987 । शासन ने किसी स्तर पर कोई देरी नहीं की है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह सही है कि अभी इन लोगों का स्थायीकरण नहीं हुआ है और न इन्हें सेलेक्शन ग्रेड मिल रहा है । लेकिन जैसे ही लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा, पूर्वगामी तिथि से उनको सेलेक्शन ग्रेड मिल जायेगा । शासन इस बारे में प्रयत्नशील है । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो आज पुनः सचिव के स्तर से स्मरण पत्र लोक सेवा आयोग को भेज दिया जायेगा ।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 1987 से पूर्व स्मरण-पत्र क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैंने बताया कि 1983 से प्रयास किया जा रहा है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे शासन बार-बार इस सम्बन्ध में प्रयास कर रहा है और ये लोग बीसों साल से नौकरी कर रहे हैं लोगों को नौकरी में सुविधा नहीं मिल रही है । यदि लोक सेवा आयोग ठीक समय पर कार्य नहीं कर पा रहा है तो क्या इसमें कुछ सदस्य और बढ़ाकर जिससे वह समय पर काम कर सकें, शासन इस पर विचार कर रहा है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, वह पूरी तरह से एक आटोनोमस बाडी है और एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिये इसका गठन हुआ है । उसमें सदस्यों को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिये कोई इन्टरव्यू तो नहीं होने जा रहा है । एक चीज और स्पष्ट कर दूं । क्योंकि कुछ कंफ्यूजन लग रहा है । 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं । लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने पर उनकी स्थायी नियुक्ति हो जायेगी । 1977 के बाद से उनकी पूर्वगामी तिथि से नियुक्ति हो जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पर्यावरण प्रदूषण से ताज महल की सुरक्षा

*1--श्री सूर्य प्रसाद शाही--

क्या विज्ञान और पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ताज महल के संगमरमर के पत्थरों के पर्यावरण से प्रदूषित होकर नष्ट होने की सम्भावना बढ़ रही है ? क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वायु प्रदूषण नियन्त्रण विशेषज्ञों की टीम ने इस वर्ष आकर इस संदर्भ में अध्ययन किया था ? यदि हां, तो इसके सुरक्षा के लिये उस टीम के क्या सुझाव हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज महल की सुरक्षा दृष्टि से क्या उपाय किये हैं ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मन्त्री (श्रीमती दीपा)--

जी नहीं ।

इस विषय में भारत सरकार से जानकारी मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा में 3 दिसम्बर को मानव संसाधन मन्त्री ने स्वीकार किया है कि मथुरा के तेल शोधक कारखाने से जो जहरीली गैस निकल रही है जिससे, संगमरमर के पत्थर सफेद से पीले पड़ने की सम्भावना है, उन्होंने कहा है कि ताज महल के आस-पास हरी पट्टी लगाने का निर्णय लिया गया है और कोयले से जो इंजन चलने वाले हैं उनको रोक कर डीजल इंजन चलाने का प्राविधान किया है, इस तरह स्पष्ट है कि ताज महल के संगमरमर को खतरा पहुंचा है । लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण मन्त्रालय में इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिये क्या मन्त्री जी वायु प्रदूषण नियन्त्रण के अध्ययन हेतु अपने मन्त्रालय में इस बात की कोई जांच करायी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, क्या इन परिस्थितियों में, मानव संसाधन मन्त्री द्वारा स्वीकारोक्ति के उपरान्त, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच करायेगी और उसके बाद क्या उपाय करेगी ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछ लिये । जो प्रश्न इनका है उसको देखें तो, वह यह है कि--भारत सरकार के वायु प्रदूषण नियन्त्रण विशेषज्ञों की टीम ने इस वर्ष अध्ययन किया था ? तो जो जवाब दिया इस वर्ष का है । यदि पूरा पूछा होता, तो जवाब दे देता । जो प्रश्न पूछा है, अब उसके बारे में कहना है कि 1972 में जब मथुरा के पास रिफाइनरी लगायी जा रही थी तो उस समय एक टीम पर्यराजन कमेटी 8 सदस्यों की, ने ताज महल पर कोई असर न आये और वायु प्रदूषण न हो उसको देखते हुये संस्तुतियां दी थीं । 1977 में भारत सरकार को वह संस्तुतियां मिलीं और 1979 में इस पर कार्यवाही शुरू हुयी और उत्तर प्रदेश ने इस पर कार्यवाही किया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इस वर्ष से प्रश्न सम्बन्धित नहीं था । इस वर्ष तो पूछा था कि केन्द्र से टीम जांच के लिये आयी थी कि नहीं । दूसरे में जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक ताज महल के सुरक्षार्थ क्या कार्यवाही की है और उसमें क्या प्रगति हुयी है ?

श्रीमती दीपा—

जो संस्तुतियां आयी थीं, उसमें कुछ में भारत सरकार ने और कुछ में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों ने ही मिलकर उसमें कार्यवाही की है। एक तो जो भारत सरकार से आया था, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने इसकी चार जगहों पर मानीटरिंग की है जिसमें यह पाया गया कि जनवरी, 1987 में हमारी एक जगह इंडस्ट्रियल एरिया में हवा के अन्दर जो प्रदूषण के कण मिले, वे 10 प्रतिशत जितने होने चाहिये थे, उससे ज्यादा मिले, लेकिन बाद में इसकी मात्रा जितनी होनी चाहिये थी, उससे कम हो गई और शेष जगहों पर सही पाया गया। जो संस्तुतियां आयी थीं ताजमहल के पास के दो-चार विद्युत गृहों को बन्द करवाने के बारे में, वह अब बन्द हो गयी हैं। रेलवे बोर्ड में उसके बारे में संस्तुति थी कि डीजल इन्जन का इस्तेमाल हो, कोयले के इंजन का न हो, तो अब वहां पर डीजल के इंजन इस्तेमाल किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिये वृक्षारोपण की भी एक संस्तुति थी, तो 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कराया गया है। और वहां पर फाउन्ड्रीज जो करीब डेढ़-दो सौ के थीं, ईंट के भट्ठे और फैक्ट्रीज हैं, उनके सम्बन्ध में यह किया गया है कि सर्दियों के मौसम में 15 अक्तूबर से 28 फरवरी तक सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें न चलावें तथा उनका जो स्वीकृत है, जितना चला सकते हैं उससे ज्यादा न करें। इसके अलावा 83 में ताजमहल के लिये मथुरा-फतेहपुर का एक ट्रेपिज्म बना है, उसके लिये जो पल्यूटिंग करने वाले उद्योग हैं उनकी रोकथाम कर दी गयी है। इसमें लाल, आरेंज तथा हरा तीन रंग के आते हैं, तो सिर्फ हरा की कैटेगरी में जो आते हैं उन्हीं को ट्रेपिज्म में लगाये जाने का प्रस्ताव है और कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा भी वहां पर जो अन्य फैक्टरियां हैं, जिनसे प्रदूषण का खतरा है, उसमें भी कार्यवाही की गयी है, जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हुयी है कि उससे कितना फायदा हो सकता है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, जहां तक पर्यावरण का सवाल है इस सदन में पहले भी बहुत बार ताजमहल के बारे में चर्चा हुयी है और उसकी रक्षा तो होनी चाहिये, लेकिन केन्द्रीय सरकार का एक अधिनियम है जल अधिनियम, 1974 और उसके अधीन, बहुत सारे प्राविधान किये गये हैं कि जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जैसे टिहरी बांध लखवार-व्यासी योजना आदि उनके लिये, उसमें दिया हुआ है कि इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को बनाते समय पर्यावरण का समुचित ध्यान रखा जाये, तो आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं को बनाते समय पर्यावरण से सम्बन्धित तथा समस्यायें स्थानीय लोगों के लिये पैदा हो जायेंगी, इस ओर भी मन्त्री जी ने कोई ध्यान दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न इतना लम्बा हो गया है और वह इसमें आता भी नहीं है।

(श्री सुरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती दीपा—

इसको संक्षेप में बता दूं यों बहुत लम्बा हो गया है....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ताजमहल हमारी सम्पदा है, मन्त्री जी ने कहा कि चूल्हे आदि कम जलाये जायें तथा और भी चीजों पर ध्यान दिया गया है जिससे प्रदूषण कम हो, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि ताजमहल में सफेदी बनी रहे इसके लिये वैज्ञानिकों को निर्देश करेंगे कि वह कोई ऐसे केमिकल का विकास करें जिससे ताजमहल की सफेदी न खराब हो ।

श्रीमती दीपा--

हम लोग खुद इसमें प्रयत्नशील हैं ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जो रिफायनरी है उससे जो गैसें निकलती हैं वह ताजमहल को खराब करने के लिये काफी हैं इसके धुयें से ताजमहल की सफेदी काली होती जा रही है, और इसी कारण विदेशी पर्यटकों का आना कम हो गया है, तो इनको बन्द कराने के लिये क्या मन्त्री जी केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगी ?

श्रीमती दीपा--

मान्यवर, जो मानिटरिंग करायी गयी है वह मानक से कम पायी गयी है ।

प्रदेश में गन्ने का उत्पादन, कृषकों को बकाये का भुगतान

*3--श्रीमती शशि शर्मा (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में गन्ने का उत्पादन कितना रहा और क्या किसानों का बकाया पैसा चुकता कर दिया गया है ? क्या सरकार पश्चिमी उ0 प्र0 एवं पूर्वी उ0 प्र0 में गन्ने की खरीददारी का भाव एक करेगी ? यदि नहीं, तो पूर्वी उ0 प्र0 के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

पेराई सत्र 1986-87 में प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत 346.42 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ और उक्त सत्र में दिनांक 30 जून, 1987 तक की स्थिति के अनुसार किसानों को 652.72 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य देय हुआ जिसमें से 610.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो कुल देय गन्ना मूल्य का 94.71 प्रतिशत है । सरकार का पश्चिमी उ0 प्र0 व पूर्वी उ0 प्र0 में गन्ने की खरीददारी का भाव एक करने का कोई विचार नहीं है और न ही पूर्वी उ0 प्र0 के किसानों के लिये अन्य क्षेत्रों से भिन्न प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

*3--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

[दिनांक 7 जुलाई, 1987 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त ।]

[मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

पर्वतीय क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति

*1--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, कलाकृतियों के संग्रह,

संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु एवं पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा उत्खनन हेतु कोई योजना पर्वतीय विकास अनुभाग-6 को भेजी गई है ? यदि हां, तो उस पर दिनांक 1 जुलाई, 1986 व 1 अप्रैल, 1987 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? क्या पर्वतीय विकास विभाग इस योजना को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

जी हां ।

प्रस्तावों पर सामान्यतः समस्त पहलुओं से परीक्षणोपरान्त औचित्य पाये जाने पर ही स्वीकृति प्रदान की जाती है । अतः प्राप्त प्रस्ताव 1 जुलाई, 1986 तक परीक्षणाधीन ही रहे । परीक्षणोपरान्त जिन प्रस्तावों का औचित्य पाया गया उनकी स्वीकृति 1 अप्रैल, 1987 तक प्रदान कर दी गई । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन प्रस्तावों को 1 अप्रैल, 1987 को स्वीकृति प्रदान की गई थी वह कौन से प्रस्ताव हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित--

क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई गढ़वाल, गढ़वाल का सुदृढ़ीकरण, अल्मोड़ा का सुदृढ़ीकरण, राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा, क्षेत्रीय अभिलेखागार के लिये अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए धनराशि की व्यवस्था ।

श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, जैसा कहा गया है कि पुरातत्व की जो कलाकृतियां हैं उनके रख-रखाव की संस्तुतियां की गई हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि जहां पर कलाकृतियां संजो कर रखी जाएं ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, हमारे यहां एक संग्रहालय है उसी के सुदृढ़ीकरण, जो अल्मोड़ा में है इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के भू-भाग में कोटद्वार है, वहां ऋषि कण्व जी का आश्रम था जहां भरत जी का जन्म हुआ था भरत के नाम पर ही भारत देश नाम पड़ा । तो उस क्षेत्र में म्यूजियम खोलने के बारे में मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित--

प्रश्न दोहरा दें ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुरातात्विक संग्रह और प्रदर्शन हेतु पुरातात्विक सर्वेक्षण और पुरातात्विक उत्खनन की आवश्यकता को देखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या

सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि जो सर्वतोय क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक स्थल रहे हैं, पुराने राजाओं की राजधानी डेस्टिनेशन रही हैं वहां बहुत सी चीजें दफन हैं। तो ऐसी चीजों का सर्वेक्षण कराने और उत्खनन कराने की कोई योजना सरकार शुरू करने पर विचार करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, ऐसी चीजों के बारे में शासन खुद सतत प्रयत्नशील रहता है और शासन का विचार रहता है कि जो पुरानी चीजें उनका हम संग्रह करें। इसमें विचार करने की क्या बात है, वह तो हम कर ही रहे हैं।

कुंवर देवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, नजीबाबाद-कोटद्वार के बीच में एक मालिनी नदी बहती है जिसके किनारे कण्व जी का आश्रम था, जहां पर भरत का जन्म हुआ था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। वहां पर सारे अवशेष हैं। तो क्या सरकार इस स्थान को डेवलप करेगी और वहां पर कोई म्यूजियम खोलने के बारे में विचार करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, कण्व आश्रम को विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है।

कुंवर देवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह उत्तर नहीं हुआ। सरकार तो हर चीज पर विचार करती है। वहां पर इसको व्यवस्था करेंगे यह उत्तर देना चाहिये।

जिला योजनाओं के अनुमोदनार्थ समयावधि

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सेक्टर में बनाई जाने वाली जिला योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब न हो, इसके लिए शासन द्वारा कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है जिसके अन्दर अनुमोदन न होने की स्थिति में उन्हें स्वतः अनुमोदित मान लिया जाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

जिला योजना की संरचना का कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में सम्पादित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष एक समय सारिणी निर्धारित की जाती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि इसी समय सारिणी के अनुसार ही जिला योजना की संरचना की जाय। जिला समिति मण्डल/समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजनाओं को ही राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जिला योजनायें जनप्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार की जाती हैं और उसके बाद मंडलीय स्तर पर उनका परीक्षण होता है और आगे के लिए संस्तुति होती है। शासन स्तर पर पहुंचने पर जो विभिन्न स्टेजेज हैं, उनमें अनावश्यक विलम्ब होता है और परिणाम स्वरूप जिले में जो विकास कार्यक्रम हैं वह रुके रहते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्टेजेज हैं, उनके बीच कोई निश्चित अवधि की जिला स्तर

से अगर योजना मंडलीय समिति के सामने आयी है तो 15 दिन और मंडलीय स्तर पर अगर योजना आयी है तो शासन को भेजने में 15 दिन लगे, इस प्रकार की कोई समय-बद्ध व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इस तरह की समयबद्ध योजना पहले से ही है । उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वियन समिति द्वारा जिला योजना के प्रारूप की रचना के लिए जो डेट फिक्स थी वह 6 सितम्बर, 1986 थी । जिला योजना अनुश्रवण समिति द्वारा जिला योजना के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन के लिए 15 सितम्बर, 1986 थी उसके बाद मंडलीय समिति द्वारा जिला योजना का परीक्षण 25 सितम्बर, 1986 तक और नियोजन विभाग में जिला योजना की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1986 थी । तो इस तरह से प्रत्येक वर्ष योजनाओं के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाता है और उसी के तहत काम चलता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जिला योजना का काम करने का तरीका है उसमें जनप्रतिनिधि से केवल मुहर लगवायी जाती है सारे आंकड़े अधिकारी तैयार करके लाते हैं और आधे घंटे में मुहर लग जाती है । जो वहां की वास्तविक समस्यायें हैं उनकी जानकारी हमें किसी अधिकारी से ज्यादा होती है लेकिन वह प्रस्ताव उसमें इन्कारपोरेट नहीं हो पाते हैं और फिर उस कमेटी का जो अध्यक्ष है, वह नान-आफिशियल नहीं होता है जब कि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया था पुनर्विचार करने के लिए । इन तमाम चीजों को देखते हुए विकेन्द्रीकरण की जो मंशा है सरकार की, उसको बरकरार रखने के लिए, क्या जिला योजना कमेटी का अध्यक्ष किसी नान-आफिसियल को बनाने का विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, उस कमेटी का अध्यक्ष नान-आफिशियल ही होता है । उस जिले का जो प्रभारी इंचार्ज मंत्री होता है, वह उसका अध्यक्ष होता है और जिले के सारे एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० दोनों राज्य सभा और लोक सभा के, उसके सदस्य होते हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, जिला योजना में जितने भी सेक्टर आपने दिये हैं । इन सेक्टरों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा होता है । इन्हीं के आधार पर जिलों में योजनायें बनती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला सेक्टर में जो हेड निर्धारित होता है वह यहां से निर्धारित होकर जाता है तो क्या उनका निर्धारण भी जिले से ही प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जिसका सम्बन्ध एक छोटे जिले से होता है वह तो जिला सेक्टर से आता है लेकिन जो बड़ी योजनायें हैं, वह स्टेट सेक्टर में जायेंगी, जिला सेक्टर में जो भी क्षेत्र रख सकते हैं, वह जिले से ही जायेगा, वह पूरी तरह से सक्षम है । उसमें प्रायरिटी के हिसाब से अपने ढंग से करने के लिए कहां-कहां से होता है, वह पूरी तरह से सक्षम है वही तय कर सकते हैं ।

कर्नल केशरी सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले में जो 1984-85 की योजना थी उसका अनुमोदन वर्ष 1986 में हुआ और 1985-86 की जो योजना थी उसका 86 के अन्त में अनुमोदन हुआ। इस प्रकार से योजनायें ठीक से कार्यान्वित नहीं होती, उससे जिले और जनता का नुकसान हुआ तो यह जो आदेश हैं इन आदेशों का पालन करने के लिए कोई निर्धारित तरीका है ? और यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि आदेशों का पालन किया जाय और सितम्बर तक अगले वर्ष के लिए सुनिश्चित करें कि यहां से भेज दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, तिथियां तो निश्चित होती हैं प्रतिवर्ष की, लेकिन कभी कभी कोई व्यवहारिक कठिनाई जाती है जैसे पिछले वर्ष जब योजना आयोग से ड्राफ्ट पर डिसकशन हुआ तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। वर्ष 1985-86 का आपने उदाहरण दिया था तो उसमें वित्तीय मामलों के लिए स्वीकृतियां 3 महीने लेट पहुंची थीं लेकिन उसके बाद जो अप्रैल में जाना था उसे 5 महीना पहले ही नवम्बर में ही 500 करोड़ रुपया तय करके जिला योजना को भेज दिया गया और आगे आने वाले वर्ष में 542 करोड़ रुपये की जिला योजना तय कर लिया गया है। तो यह व्यवहारिक कठिनाई तब आ जाती है जब योजना आयोग से डिसकशन में विलम्ब हो जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उस संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि समयबद्धता तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि निर्धारित होती है। उसमें समयबद्ध जो निदेश हैं उसके अन्तर्गत अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो क्या इन जिला योजनाओं को अनुमोदित मान लिया जायेगा, इसके बारे में कुछ बतायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इसमें थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कत यह है कि जिला योजना जो होती है, वह हमारे प्रदेश की जो वार्षिक योजना है उसका एक पर्याय है। स्टेट सेक्टर और जिला सेक्टर दोनों को ही मिलाकर हमको जो भारत सरकार का योजना आयोग है, उससे अपना ड्राफ्ट प्राप्त करना पड़ता है। यही इसमें व्यवहारिक दिक्कत है।

श्री काशी सिंह ऐरी--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला योजना को सुपुर्द करने का समयबद्ध कार्यक्रम पहले से निश्चित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जिस तरह से स्वीकृति की समयबद्ध समीक्षा होती है, उसी तरह से उसके लिए जो धन निश्चित होता है उसके आबंटन का भी निश्चित कार्यक्रम शासन की ओर से होता है। लेकिन होता यह है कि समय के अन्दर धन आबंटित नहीं होता जिससे कि सारे कार्यक्रम अधूरे रह जाते हैं और प्रगति नहीं हो पाती। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि धन आबंटित होने के समय के अन्दर ही सारी योजनाओं को धन आबंटित हो जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इसमें आम तौर से सारी बातें सुनिश्चित की जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जहां तक सम्भव होगा इसको सुनिश्चित किया जायगा।

जनपद फैजाबाद क्षेत्र कटेहरी स्थित महरुआ–नरायनपुर रोड पर सोलिंग कार्य

*3––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित महरुआ–नरायनपुर रोड पर सोलिंग के कार्य के बाद अग्रिम कार्य न होने के कारण सोलिंग पर खर्च किया गया लाखों रुपया बेकार हो रहा है और सड़क की पटरियों के दोनों किनारों की मिट्टी भी बरसात के कारण बह गई है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को पक्की कराने तथा सड़क की पटरियों को दुरुस्त कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

मत्स्य राज्य मंत्री (सीताराम निषाद)––

जी नहीं, सोलिंग पर खर्च किया गया रुपया बेकार नहीं हो रहा है ।

सड़क को पक्का कराने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

सड़क की पटरियां गत बरसात में खराब हो गयी थीं जिन्हें बरसात के बाद ठीक करा दिया गया था ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सोलिंग को हुये कितने वर्ष हो गये ? और तब से आज तक जो ईटें लगी हैं, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उनमें से आधी से अधिक ईटों का पता ही नहीं रह गया ।

श्री सीताराम निषाद––

खड़न्जे का कार्य वर्ष 1982 में पूरा किया गया था और इसकी स्वीकृति सन् 1979 में होनी थी । अभी सड़क की हालत अच्छी है । केवल पटरियां, जिनको वर्षा में क्षति हुई थी, उनको ठीक कराया गया था । हर साल वर्षा के बाद पटरियों में मरम्मत कराई जाती है ।

श्री फजलुल बारी––

मान्यवर, 1982 में खड़न्जा लगा । आज 1987 है । हर साल पटरियों की मरम्मत होती है । अगर सड़क को पक्का नहीं करायेंगे तो यह हर साल होता रहेगा । इस प्रकार पब्लिक का फंड जाया होता है । क्या सरकार ने नियम बनाये कि इतने सालों में सड़क की मिट्टी से लेकर तारकोल स्टेज तक पहुंचा दिया जायेगा ?

श्री सीताराम निषाद––

मान्यवर, विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली प्रोग्राम के अन्तर्गत जिन मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं कि इनका पक्का निर्माण कराया जाय उसके बारे में प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से पास होता है, शासन से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देकर निर्माण का काम किया जाता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मान्यवर, यह व्यक्तिगत प्रश्न भी है । 1982–83 में जो खड़न्जा हुआ है, खाद्यान्न योजना नम्बर–4 या 3 है । खड़न्जा करा दिया जाता है, मरम्मत नहीं होती । खड़न्जे के बाद पी0 डब्लू0 डी0 उसकी तरफ देखता नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन

देंगे कि जिस भी योजना के अन्तर्गत पी० डब्लू० डी० ने खड़न्जा लगाया है, उसको पूरा करेंगे । मेरे यहां श्याम देवरवा-मंगलपुर मार्ग में बड़हरा बरी फार्म में पुल टूट गया है । सड़क बेकार हो गयी है । पी० डब्लू० डी० चिन्ता नहीं करता । क्या माननीय मंत्री जी इसको मरम्मत के लिए निश्चित धनराशि आवंटित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री सीताराम निषाद--

मरम्मत के लिए हर साल पैसा शासन से स्वीकृत किया जाता है । जहां तक पक्की कराने का प्रश्न है, मान्यवर, वह तो धन की उपलब्धता पर निर्भर है । जिला योजना में जब वह प्रस्ताव पास होकर आयेगा, जिसमें माननीय सदस्य स्वयं भी सदस्यता रखते हैं, तभी धन की स्वीकृति मिलेगी और तभी निर्माण कार्य होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी कृपया देंगे कि जिन सड़कों पर खड़न्जा स्तर तक का कार्य हो जाता है, तो एक निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें पक्का कराने के लिए जिला योजना द्वारा समुचित धन आवंटित करने के लिये सरकार कोई नीति-निर्धारित करेगी ताकि खड़ंजे पर जो धन व्यय हुआ है और अधिक समय तक ऐसे पड़े रहने के कारण वह धन व्यर्थ न जाये ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस बात का बराबर प्रयास कर रहा है कि उन खड़न्जों पर पक्के मार्ग की व्यवस्था तुरन्त करा दें, लेकिन हमारे संसाधन सीमित होने के कारण हम समयबद्ध कार्यक्रम अभी नहीं चला पा रहे हैं, समय-समय पर जितना धन हमें उपलब्ध हो सकेगा, उसी के अनुसार पक्की करायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिला योजना की जो मीटिंग्स होती हैं विधायकों के साथ, उसमें राज्य सरकार द्वारा एक भी निर्देश मार्गों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नहीं दिये जाते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी सड़कों की मरम्मत के लिए कोई धन आवंटित करेंगे जो धन मरम्मत के नाम पर कभी आ जाता है, जो उसकी संस्तुति जिला योजना समिति द्वारा नहीं ली जाती है, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है ?

श्री सीताराम निषाद--

मरम्मत के लिये अलग से पैसा स्वीकृत किया जाता है, वह प्रति किलोमीटर 3,500 रु० की दर से वार्षिक मरम्मत के लिए दिया जाता है और इस धन की स्वीकृति जिला योजना समिति द्वारा नहीं की जाती है ।

एक सदस्य--

खड़न्जा भी इसमें शामिल है ।

श्री कुशल पाल सिंह--

मान्यवर, जिला योजना में जो पैसा दिया जाता है, इसमें हमारी सुनिश्चित जानकारी है कि सड़क की पेटिंग के लिये कोई भी धन नहीं दिया जाता है, जनपद मथुरा में 5-5 वर्षों से कुछ ऐसी सड़कें पड़ी हुयी हैं, जहां पर अभी तक सिर्फ रोड़े ही पड़े हुए हैं और उन पर अभी तक पक्का करने का काम प्रारम्भ नहीं किया गया है, क्या उन सड़कों को पक्का करने के लिए कोई धन अब आवंटित किया जायेगा ?

श्री सीताराम निषाद--

जिला योजना द्वारा जिन जिलों से भी खड़न्जा मार्ग को पक्का करने के लिये प्रस्ताव पास होकर आ जाता है, फिर इस पर शासन की ओर से अपने संसाधनों को देखते हुए धन उपलब्ध होता है, सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। बरसात में जो सड़कें खराब होती हैं, उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को जाती है, फिर उन सड़कों का सर्वेक्षण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जहां पर सड़कों को क्षति होती है तो भारत सरकार उन जिलों के लिये विशेष अनुदान देता है, और फिर उन जिलों में यह धन आबंटित हो जाता है।

श्री कुशल पाल सिंह--

मान्यवर, हमने सड़कों की पेटिंग के बारे में प्रश्न किया था न कि भारत सरकार की स्वीकृति के बारे में।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि खड़न्जा स्तर पर 2-3 साल तक सड़कों पर रोड़े डाल दिए जाते हैं और पेन्टिंग का नम्बर फिर 2-4 साल के बाद आता है। वह रोड़े भी खेत में चले जाते हैं और रोड खराब हो जाती है। उन रोड़ों से जो भैंसे या बैल होते हैं, उनके पैर भी खराब हो जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ये खड़ंजे पहले की तरह ईटों से ही लगाये जायेंगे ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, जिला योजना में प्रस्ताव आ जायगा पेंटिंग करने के लिये तो जरूर किया जायगा।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि 2-4 साल पहले जैसे ईटों से खड़ंजा लगाया जाता था और अब बड़े-बड़े रोड़े डाले जाते हैं, तो क्या अब ईटों से ही खड़न्जा लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दिया तो कि अगर जिला योजना से यह मंजूरी हो जायगी तो लगाये जायेंगे।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, बहुत से ऐसी सड़कें हैं, जहां रोड़े पड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो पहले खड़न्जा स्तर पर सड़कों पर ईटें लगाई जाती थीं, 2-3 साल से अब रोड़े डाल दिये जाते हैं और उसके 3-4 साल बाद पेंटिंग का नम्बर आता है, तो क्या खड़ंजा स्तर पर सड़कों पर ईटें लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, खड़ंजा ईटों से भी लगाया जाता है और पत्थर से भी लगाया जाता है, दोनों की व्यवस्था है। लेपन के लिये पहले ही जानकारी दे दी है कि जिन सड़कों पर पत्थरों से या ईटों से खड़न्जा स्तर का काम हुआ है, उनके लेपित करने के लिए जिला सेक्टर में जिला स्तर पर प्रस्ताव होता है, तभी उन सड़कों का लेपन कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे बढ़ते हैं । काफी समय हो गया है ।

*4—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*5—श्री राम नरेश यादव—

[न्यायिक आयोग के अन्तर्गत होने के कारण निरस्त ।]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*6—श्री मूल चन्द—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई शिकायती-पत्र शासन (माननीय मुख्य मन्त्री के सचिव) को दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अभी तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय मुख्य मन्त्री जी के सचिव को सम्बोधित श्री मयंकर सिंह, सदस्य विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 शासन को प्राप्त हुआ है ।

उक्त शिकायती-पत्र में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के 9 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी चल रही कार्यवाहियों को सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संदिग्ध कारणों से रोके जाने की शिकायत की गई है ।

9 अधिकारियों में से 2 अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रचलित है, 2 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने के कारण मामले समाप्त कर दिये गये थे तथा शेष 5 अधिकारियों के विरुद्ध शासन स्तर पर कोई जांच लम्बित नहीं है । अतः शिकायती-पत्र में लगाया गया आरोप निराधार है ।

श्री मूलचन्द—

मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये 9 अधिकारी, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गये हैं, वे कौन-कौन हैं, उनके खिलाफ आरोप क्या थे और जिन दो अधिकारियों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं पाए गये, उनकी जांच करने वाले कौन अधिकारी थे, इसको बता दें ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, पहले हैं श्री आर० एन० शर्मा, जो वर्तमान समय में उप निदेशक, गढ़वाल मण्डल हैं, इनके विरुद्ध जांच नहीं चल रही है, दूसरे हैं श्री योगेश राय, प्रोग्राम अधिकारी, बनारस, इनके विरुद्ध जांच चल रही है और वे निलम्बित हैं । इनके विरुद्ध जांच करने वाले अधिकारी का नाम है श्रीमती ऊषा कंसल, अतिरिक्त निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, तीसरे हैं श्री एन० सी० सिनहा, ए० पी० एम०, इनके विरुद्ध जांच लम्बित नहीं है । चौथे हैं श्री आर० गोपाल, इनके विरुद्ध जांच हुई थी लेकिन जांच में कुछ नहीं पाया गया । जांच निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ने की

पांचवें हैं श्री हरिहर प्रसाद सिंह, इसके विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है, छठे नम्बर पर कुमारी सरोज पंत, जिला हरिजन अधिकारी, उन्नाव हैं, इनके विरुद्ध जांच चल रही है, जिसमें अतिरिक्त निदेशक स्तर की श्रीमती ऊषा कंसल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त श्रीमती ऊषा शंकर, श्रीमती आशा पुरी और श्रीमती मंजुलिका गुप्ता हैं, जिनके विरुद्ध कोई जांच लम्बित नहीं है।

श्री मूल चन्द—

जिनके खिलाफ जांच चल रही है, वह जांच कब से चल रही है ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह जांच कब तक चलेगी ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, श्री योगेश सहायक के विरुद्ध 10 फरवरी, 1987 से जांच प्रारम्भ हुई है और सरोज पन्त के विरुद्ध 26 दिसम्बर, 1986 से जांच शुरू हुई है। जहां तक यह प्रश्न माननीय सदस्य का था कि कब तक जांच चलेगी, मैं यह कह सकता हूं कि अतिशीघ्र जांच समाप्त हो जायेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि बताया जांच का कार्य 1985 के जनवरी माह से प्रारम्भ हुआ एक जांच के सिलसिले में दो वर्ष लगभग बीत गये हैं, अभी तक जांच चल रही है। यह जो माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि जांच अतिशीघ्र समाप्त हो जायेगी, मैं यह जानना चाहता हूं कि अतिशीघ्र की अवधि क्या है ? दूसरे, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के निजी सचिव श्री मिश्रा के विरुद्ध भी माननीय मयंकर सिंह जी ने आरोप लगाये थे ? यदि हां, तो वह आरोप क्या हैं और क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जब मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूं तो माननीय शाही जी बात करते रहते हैं उत्तर सुनते नहीं हैं और उसके बाद गलत अनुपूरक पूछ लेते हैं। मैंने कहा कि श्री योगेश सहाय के विरुद्ध 10 फरवरी, 1987 से जांच चल रही है और सरोज पन्त के विरुद्ध 26 दिसम्बर, 1986 से जांच चल रही है। अब आप ही देखें 2 साल से लम्बित होने का प्रश्न कहां है। श्री योगेश सहाय को 2 जनवरी, 1987 को सस्पेन्ड भी किया गया। जहां तक निजी सचिव श्री मिश्रा का प्रश्न है, जब माननीय मयंकर सिंह जी ने अपने शिकायती पत्र में उनके विरुद्ध कोई आरोप ही नहीं लगाये तो जांच करने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। अतिशीघ्र माने यह है कि जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है शीघ्र से शीघ्र।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। एक तरफ माननीय मंत्री जी अनुपूरक प्रश्नों के जवाब में कह रहे हैं कि जांच चल रही है और दूसरी तरफ उत्तर दिया है कि आरोप निराधार हैं। जब एक तरफ जांच अभी चल रही है तो आरोप कैसे निराधार आपने उत्तर में लिख दिया ? इस पर प्रकाश डालें ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आप मेरी सहायता करें तो मैं इन्हें समझाने का प्रयास करूं। मान्यवर, माननीय मूल चन्द्र जी प्रश्नों और उनके उत्तरों के समय मुस्कराते रहते हैं, मेरी बात तो सुनते ही हैं। माननीय मूल चन्द्र जी जब मुस्करा देते हैं तो उसके आगे कोई जवाब

ही नहीं रह जाता। मैंने बताया था कि श्री आर0 एम0 शर्मा के विरुद्ध जांच नहीं चल रही है। श्री योगेश राय के विरुद्ध जांच चल रही है, सरोज पन्त के विरुद्ध जांच चल रही है। श्री एन0 सी0 सिनहा के विरुद्ध जांच नहीं चल रही है। जिनके विरुद्ध जांच नहीं चल रही है, उसी बाबत बताया कि आरोप निराधार है। माननीय मंत्री जी के निजी सचिव श्री मिश्रा की बात आयी, श्री मिश्र का नाम जब मयंकर सिंह जी के शिकायती पत्र में है ही नहीं तो उनके विरुद्ध जांच का प्रश्न ही नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मान्यवर, माननीय मूल चन्द्र जी से निवेदन है कि वे दोनों बातों को मिलायें नहीं। अलग-अलग देखें।

श्री मयंकर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मौखिक रूप से शिकायत की गयी थी मंत्री जी से श्री मिश्रा, निजी सचिव के विरुद्ध अब शिकायती पत्र में उनका नाम हो या न हो, लेकिन जब माननीय मंत्री जी को श्री मिश्र के सम्बन्ध में मौखिक रूप से शिकायत की गयी थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध की गयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि अभी नहीं की गयी तो जैसा कि मीटिंग में भी माननीय मंत्री जी को बताया गया था और बाद में मौखिक रूप से उन्हें बताया गया था, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है उसे आप देख लें। माननीय मयंकर सिंह जी का जो भी शिकायत पत्र मिला था, उसके आधार पर की गयी कार्यवाही से मैंने अवगत कराया, तत्सम्बन्धी जो प्रश्न थे, उनका जवाब दिया। अब माननीय सदस्य ने मौखिक रूप से क्या बात की थी, क्या शिकायतें की थीं, उसका उल्लेख इसमें तो है नहीं।

श्री मयंकर सिंह--

मैंने मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मीटिंग में भी श्री मिश्र के विरुद्ध शिकायत की थी और उनके सम्बन्ध में बातें बतायी थी मौखिक रूप से। उसका जवाब भी आना चाहिये था। इस समय नहीं है जवाब, तो उसका आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें। अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

गन्ना विकास परिषद्, बस्ती द्वारा निर्मित बेलवा-पड़िया अपूर्ण मार्ग को पूरा कराने की मांग

*7--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र खेसरहा के ग्राम बेलवा सेंगर से कैथोलिया के सम्पर्क मार्ग के सोलिंग का कार्य गन्ना विकास परिषद्, बस्ती द्वारा कराया गया था? क्या गन्ना विकास मंत्री को यह भी ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायत उक्त मार्ग के निर्माण कार्य से सम्बन्धित जिलाधिकारी, बस्ती को जून, 1983 से अगस्त, 1984 के बीच की थी जिसकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी परियोजना द्वारा कराई गई है? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है तथा कौन से व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि खड़ंजा हेतु स्वीकृत कार्य 1 कि0 मी0 के स्थान पर लगभग 750 मीटर ही खड़ंजा बनाया गया और भुगतान 1 कि0 मी0 का कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार शेष कार्य को पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

वर्ष 1982–83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बेलवा सेंगर से कंथोलिया के सम्पर्क मार्ग पर नहीं अपितु बेलवा पड़िया मार्ग पर सोलिंग का कार्य गन्ना विकास परिषद्, बस्ती द्वारा कराया गया था।

प्रश्नकर्ता ने उक्त मार्ग के निर्माण कार्य से सम्बन्धित शिकायत जिलाधिकारी, बस्ती को की थी जिसकी जांच अपर जिलाधिकारी (परियोजना) से करायी गयी। जांच में श्री अमर नाथ सिंह, मन्त्री, गन्ना विकास परिषद को टेन्डर की स्वीकृति में अनियमितता के लिये दोषी पाये जाने पर उन्हें एक कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

1 कि0 मी0 के खड़ंजा के निर्माण–कार्य की स्वीकृति के विपरीत धन की उपलब्धता के अनुसार केवल 750 मीटर खड़ंजे का ही निर्माण कराया जा सका। परन्तु प्राविधिक संस्तुति के अनुसार भुगतान केवल 730 मीटर का ही किया गया। परियोजना निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार इस खड़ंजे को जिला ग्राम विकास अभिकरण, बस्ती द्वारा अवशेष कार्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि टेन्डर की स्वीकृति में अनियमितता पाई गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे कौन–कौन सी अनियमिततायें थीं और दोषी कर्मचारी को केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त था ?

दूसरा, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शेष सड़क के निर्माण करने के लिए जिला ग्राम विकास अभिकरण, बस्ती द्वारा अवशेष कार्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को निश्चित रूप से बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1985–86 व 1986–87 में लगातार सड़क के अवशेष कार्य के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं दी गई है और 1987–88 की अभी कोई सूची नहीं बनी है, इसलिये इस तथ्य को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी शेष सड़क जिला ग्राम विकास अभिकरण, बस्ती द्वारा पूरा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, शेष कार्य को इस वर्ष डी0 आर0 डी0 ए0 में एप्रूव किया गया है, जिसे इस वर्ष पूरा कर दिया जायेगा। अनियमितता की जो बात पूछी गई है, इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि टेन्डर की स्वीकृति बोर्ड से ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई थी, जिसके कारण सचिव को कड़ी चेतावनी दे दी गई।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे आरोप–पत्र को इस माननीय सदन में पढ़ कर सुना दें। मेरा स्पष्ट आरोप था कि जो टेन्डर स्वीकृत किया गया, वह अधिक धन का था, जबकि कम धन के टेन्डर भी उपलब्ध हुए थे। वास्तव में कोई टेन्डर निकाले ही नहीं गये, कागजों में पहले ही फर्जी तौर पर टेन्डर दिखाकर स्वीकृत कर दिया गया, इस प्रकार एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया। इस प्रकार की अनियमितता में क्या केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त था, क्यों नहीं उनके चरित्र–पंजिका में प्रविष्टि की गई ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, इस प्रकरण पर जो जाँच अधिकारी नियुक्त किये गये थे, उन्होंने इसकी जांच की। जांचोपरान्त उन्होंने उन्हें कड़ी चेतावनी देना ही उचित समझा क्योंकि इसमें केवल प्रोसीजरल मिस्टेक हुई थी इसमें और कोई अनियमितता नहीं हुई थी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, केवल प्रोसीजरल गड़बड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। मूल प्रश्न में यह निश्चित आरोप था कि एक किलोमीटर सड़क के लिये स्वीकृति मिली थी और उसका धन भी आवंटित हो गया था और उस धन का आहरण भी हो गया था, लेकिन 750 मीटर सड़क बनी और 250 मीटर सड़क नहीं बनी, यदि यह स्पष्ट भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो और क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी, लेकिन उसमें से केवल 750 मीटर सड़क ही बन पाई और उसमें से केवल 730 मीटर का ही भुगतान किया गया। भ्रष्टाचार का मामला तो तब होता, जब 1 कि0 मी0 सड़क का भुगतान कर दिया जाता।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि टेन्डर में एक प्रोसीजरल मिस्टेक हुई। टेन्डर काल करने का जो नियम है, उसका अनुपालन नहीं किया बल्कि गलत ढंग से एक आदमी का ही टेन्डर लेकर स्वीकृत कर दिया गया। जिस तरह से काल किया जाना चाहिये, खोला जाना चाहिये और न्यूनतम को स्वीकृत किया जाना चाहिये, उस प्रक्रिया को फालो नहीं किया गया, यही मेरी शिकायत थी, वह सिद्ध हो गयी। फिर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि चेतावनी देना काफी है। जो टेन्डर का प्रोसीजर है, अगर किसी अन्य निर्माण कार्य का मामला हो और वहाँ पर कोई अधिकारी सही ढंग से टेन्डर न मांग कर फर्जी ढंग से कुछ लोगों के ही प्रार्थना-पत्र लेकर उच्च दाम वाले को स्वीकृत कर देता है तो क्या सिर्फ चेतावनी देना ही काफी है या कोई बड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

टेन्डर कई आये थे, जो लोएस्ट था, वही स्वीकृत किया गया, अनियमितता केवल वह पायी गयी कि बोर्ड से स्वीकृति नहीं ली गयी थी।

*8--श्री अशोक बाजपेई--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के एस0 डी0 एम0 के विरुद्ध अनियमितता व भ्रष्टाचारों की जांच

*9--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में कार्यरत परगनाधिकारी के विरुद्ध धन अर्जित करने, दुकानों के आवंटन में धांधली, एक ही वकील द्वारा फैसलों को लिखवाने, संग्रह अमीनों की नियुक्ति में धांधली, टैक्सी

स्टैण्ड, तहबाजारी को निलामी, टाउन एरिया में भवन निर्माण में धांधली से लगायत गम्भीर आरोपों का आवेदन-पत्र श्री हरि केवल प्रसाद, भूतपूर्व विधायक, सलेमपुर का दिनांक 5 जून, 1986 का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मण्डलायुक्त गोरखपुर, जिलाधिकारी, देवरिया व माननीय मुख्य मंत्री का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी हां ।

श्री हरिकेवल प्रसाद के शिकायती-पत्र दिनांक 5 जून, 1986 पर जिला अधिकारी देवरिया से जांच करायी जा रही है । जिलाधिकारी द्वारा परिवादकर्ता को शिकायत के सम्बन्ध में साक्ष्य हेतु बुलाया गया था । श्री हरिकेवल प्रसाद दिनांक 26 फरवरी 1987 को साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए थे तथा उन्होंने शिकायतों का और विवरण तथा, साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा । परिवादकर्ता द्वारा साक्ष्य एवं विवरण प्रस्तुत न किये जाने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर सत्य से काफी दूर है । मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय भूतपूर्व विधायक श्री हरिकेवल प्रसाद से कोई सम्पर्क स्थापित करने का कार्य जिलाधिकारी ने नहीं किया । प्रश्न को देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि एक साल से भी ज्यादा हो गया । क्या माननीय मंत्री जी प्राइमाफेसाई में आरोप की गम्भीरता को देखते हुए उन परगनाधिकारी को तुरन्त वहां से हटाकर जांच की कार्यवाही करने की निश्चित अवधि तय करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरा उत्तर सत्य से दूर है, यानी उन्होंने इतना तो माना कि कुछ करीब है । यह कहना उचित नहीं है कि जिलाधिकारी ने जांच का मौका नहीं दिया । पहले भूतपूर्व माननीय सदस्य ने असमर्थता प्रकट की कि देवरिया में उपस्थित नहीं हो पायेंगे, इस पर सलेमपुर में निश्चित कर दिया गया, तिथि निश्चित कर दी गयी । उस दिन माननीय सदस्य ने कहा कि पार्टी के काम से लखनऊ जाना है, इस पर तिथि बढ़ा दी गयी । 26 तारीख को उन्हीं की दी हुई तिथि और स्थान पर जांच की कार्यवाही पुनः की गयी । माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित हुये, अपना बयान दर्ज कराया और जांच पर रोशनी भी डाली । उन्होंने यह कहा कि इसको प्रमाणित करने के लिये साक्ष्य भी दूंगा, वह समय उनको दिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि उनसे कोई निश्चित तिथि लेकर मुझे दे दें, उस निश्चित तिथि पर जिलाधिकारी को भेजकर जांच का काम पूरा करा लिया जायगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जो भी उचित दण्ड होगा, उन्हें दिया जायगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जिन आरोपों के सम्बन्ध में माननीय हरिकेवल प्रसाद को साक्ष्य के लिये आमन्त्रित किया गया है, क्या उन आरोपों पर सम्बन्धित अधिकारियों से भी कोई जांच की है, अधिकारियों से उन आरोपों के बारे में चर्चा न करने के कौन-कौन से कारण हैं । इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या इसे अतिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये अतिशीघ्र कराने का आश्वासन देता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या आपको यह जानकारी है कि सलेमपुर तहसील के परगनाधिकारी द्वारा एक ही वकील द्वारा फैसलों को लिखवाने के प्रकरण को लेकर गत दिसम्बर में भूतपूर्व विधायक श्री दुर्गा प्रसाद के साथ मारपीट हुई थी ? तो क्या उसकी जांच हुई और निष्कर्ष क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

यह इसी प्रश्न से सम्बन्धित है क्योंकि यह दो विधायकों के साथ घटना घटी जिसमें हरिकेवल प्रसाद और दुर्गा प्रसाद दोनों विधायकों के साथ मारपीट हुई और हरिकेवल प्रसाद ने मामला लिखाया था ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह प्रश्न पूरी तरह से भूतपूर्व विधायक हरिकेवल प्रसाद के पत्र पर आधारित है । यदि माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उस विषय की सूचना लिख करके दे देंगे तो हम उसके सम्बन्ध में इन्हें जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

*10--श्री मित्रसेन--

[दिनांक 23 जून, 1987 को अता० प्र० सं० 44 द्वारा उत्तरित]

*11--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

[10वें शुक्रवार में ता० प्र० स० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित रामनगर, मोतीझील, तालकटोरा सचिवालय कालोनी के अध्यासियों द्वारा सरकारी आवासों को किराये पर उठाना

*12--श्री मयंकर सिंह तथा श्री रिछपाल सिंह वंसल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री को जानकारी है कि रामनगर, मोतीझील, तालकटोरा सचिवालय कालोनियों में बड़े पैमाने पर अध्यासियों द्वारा सरकारी आवास को किराये पर दिया गया है और इस बात की जानकारी वहां के जूनियर इंजीनियर तथा शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग को भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच कराकर ऐसे आवासों के मूल अध्यासियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री सीताराम निषाद--

जी हां ।

जी हां, इन कालोनियों के आवासों को किराये पर उठाये जाने के सिलसिले में सर्वेक्षण कराया गया है और इन कालोनियों में 74 आवासों को किराये पर दिया जाना पाया गया है । जिन आवासों को किराये पर दिया गया है उनके मूल आवंटियों के विरुद्ध विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद दायर कर दिये गये हैं ।

श्री मयंकर सिंह--

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि यह जो लोग दोषी पाये गये थे तो उस समय आपने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, उत्तर में दिया गया है कि सर्वेक्षण कराया गया और 74 आवासों को किराये पर दिया जाना पाया गया, उनके बेदखली की कार्यवाही की जा रही है और आवंटियों के विरुद्ध वाद न्यायालय में दायर कर दिया गया है ।

श्री मयंकर सिंह--

जो सम्बन्धित अधिकारी हैं जे0 आई0 आदि जिनकी जानकारी में यह मामले थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, आवास आवंटित किया जाता है कर्मचारियों को, यह गलती कर्मचारी की है कि वह अपने आवंटित आवास में दूसरा किरायेदार रखे हैं इस लिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । जे0 ई0 का जहां तक प्रश्न है उसका काम अनुरक्षण का, मरम्मत कराने का है और सर्वेक्षण का काम राज्य सम्पत्ति विभाग का है । राज्य सम्पत्ति अधिकारियों के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है और उसके ही द्वारा सर्वेक्षण करने पर पता चला कि आवंटियों ने किराये पर मकान दे रखा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है कि 74 कर्मचारियों के द्वारा आवंटित आवासों को किरायेदारी पर दे दिया गया है । सरकार अपने कर्मचारियों के लिये आवास आवंटित करती है उनको किराये पर उठाने के लिये नहीं । बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास आज तक मकान नहीं हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आवास बना लिये हैं और अपने आवासों को भारी रकम पर किराये पर उठा रखा है और उनको भी सरकारी आवास आवंटित हैं । ऐसे लोगों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सीताराम निषाद--

जिनके नाम मकान आवंटित किये गये हैं और उन्होंने दूसरों को किराये पर दे दिया है उनके प्रति बेदखली की कार्यवाही की जाती है, इसके लिए वाद भी न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है । जब वह खाली होंगे तो जिनके पास मकान आवंटित नहीं हैं उनको वे आवंटित किये जायेंगे । दूसरा प्रश्न जो है कि जिन कर्मचारियों ने अपने मकान बना लिये हैं और फिर भी आवंटित मकानों में रहते हैं, यदि उनके नाम का उल्लेख किया जायेगा, जिन कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी प्राप्त होगी कि उनके निजी मकान हैं और वे आवंटित मकान में रहते हैं तो उनके आवंटन को निरस्त किया जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है, जिसके नाम कोई मकान आवंटित किया गया है और उसने दूसरे को

दे दिया है, तो इस प्रकार के कर्मचारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे । इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह जो राज्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली है, उसमें प्राविधान है कि अगर कोई कर्मचारी किसी शासनादेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और उसी के अन्तर्गत उसका जो लोग उल्लंघन करते हैं, तो सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो सवाल उठाया था, उसका उत्तर नहीं आया है । मैंने यह जानना चाहा था कि इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है, और माननीय मन्त्री जी ने सर्विस रूल का हवाला दिया और कहा कि जो कर्मचारी जो रूल्स का वायलेशन करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों का सन्दर्भ इसमें दिया गया है, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है और अगर नहीं की गई है, तो क्या कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, राज्य संपत्ति विभाग के कार्य क्षेत्र में जो है, वह इतना है कि उनको बेदखल किया जा सकता है और उनके बेदखली की कार्यवाही कर दी गई है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कार्मिक विभाग है और ऐसे कर्मचारियों की सूची कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी और वह कार्यवाही करेंगे ।

*13--श्री मैनेजर सिंह--

[दिनांक 7 जुलाई, 1987 को ता0 प्र0 संख्या 3 द्वारा उत्तरित ।]

*14--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

[5वें बुधवार में ता0 प्र0 संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*15--श्री पूरन सिंह माहरा--

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

सहकारी चीनी मिलों का सरकारीकरण तथा सहकारी चीनी मिलों द्वारा अंशधारी कृषकों को देय सुविधायें

*16--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिलों के किसान अंशधारियों को इन चीनी मिलों द्वारा क्या-क्या सुविधायें, जो अन्य मिलों के सुरक्षित क्षेत्र के किसानों को नहीं मिलती, उन्हें अंशधारी होने के नाते दी जाती है । जब अंशधारियों को विशेष सुविधा नहीं है तो क्या सरकार सहकारी चीनी मिलों के किसान अंशधारियों की अंश पूंजी उन्हें वापस करके इन मिलों का अविलम्ब सरकारीकरण करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की यह नीति है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा दिया जाय । उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत यह राज्य सरकार का दायित्व है कि सहकारी आन्दोलन को राज्य में प्रोत्साहन दिया जाय । अतः उक्त नीति की प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना की गई है जिससे कि सहकारी पद्धति के माध्यम से चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों का आर्थिक विकास सम्भव हो सके चूंकि सहकारी पद्धति के आधार पर चीनी मिलों की स्थापना गन्ना किसानों एवं अंशधारियों के हित में है अतः इन चीनी मिलों का सरकारीकरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*17—श्री बदन सिंह—

[14वें सोमवार के ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गंगा व यमुना नदियों के तटों पर बसे कतिपय शहरों में संचालित उद्योगों से नदी जल में प्रदूषण

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

*18—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा एवं यमुना नदी के किनारे बसे हरिद्वार मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, बनारस में ऐसे कौन-कौन बड़े उद्योग हैं जिनके प्रदूषित उत्प्रवाह के कारण इन नदियों का जल विषैला हो रहा है ? क्या इन उद्योगों को प्रदूषण न फैलाने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित नगरों में निम्नलिखित बड़े उद्योग स्थापित हैं :

1—हरिद्वार—बी0 एच0 ई0 एल0 ।

2—मथुरा—वेलकम लेदर, इंडियन आयल कारपोरेशन, राजस्थान साड़ी इम्पोरियम, नेशनल टेक्सटाइल ।

3—आगरा—महाजन टैनर्स, पार्क लेदर, वासन एन्ड कम्पनी ।

4—इलाहाबाद—इफको फूलपुर, इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री, जीप इंडस्ट्रियल सिन्डीकेट (टार्च यूनिट) ।

5—वाराणसी—डीजल लोको वर्क्स हरि फर्टिलाइजर्स, बसन्त पेपर मिल ।

इन नदियों का जल कहीं-कहीं प्रदूषित हो रहा है, किन्तु वह विषैला नहीं हो रहा है ।

उक्त उद्योगों द्वारा अपना उत्प्रवाह भूमिगत जल नहर व नदियों में निस्तारित किया जाता है । उक्त उद्योगों में से पांच में शुद्धिकरण व्यवस्था है । चार उद्योगों द्वारा शुद्धिकर व्यवस्था करना प्रस्तावित है ।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उन उद्योगों को जहां शुद्धिकरण की व्यवस्था नहीं है अपना उत्प्रवाह जल स्रोतों में निस्तारित न करने तथा शुद्धिकरण व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन न करने पर उद्योग के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है। गत नगरों के आठ उद्योगों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी है।

लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के अपूर्ण सिसेडो मार्ग का निर्माण

*19—श्री शारदा प्रताप—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखनऊ में सिसेडी गौतम खेड़ा मदारपुर मार्ग जो कि गौरावां मोहन लाल गंज को रायबरेली रोड से मिलाता है और जो कि सरकारी कागजातों में निर्मित व पेन्टेड दिखाया गया है वस्तुतः न तो पूरी तरह स्वीकृति के अनुरूप निर्मित ही है और न ही पूर्णतया पेन्टेड है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग की वास्तविक लम्बाई 9.71 कि0 मी0 है जिसमें से प्रथम 5 कि0 मी0 भाग लेपन स्तर तक तथा शेष भाग मध्य सतह स्तर तक निर्मित है। सरकारी अभिलेखों में तद्नुसार ही दर्शाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*20—श्री कुशलपाल सिंह—

[दिनांक 7-7-87 को अता0 प्र0 सं0 114 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

1-2—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

3 से 5—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

नैनीताल क्लब, नैनीताल हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का नियमित पद

6—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल क्लब, नैनीताल के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष का नियमित पद है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

मितव्ययता के कारण।

7--श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी--

[दिनांक 23-6-87 को अता0 प्र0 सं0 122 द्वारा उत्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के लेलू ग्राम सभा प्रधान द्वारा सरकार को दिया गया ज्ञापन

8--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के लेलू ग्राम सभा प्रधान से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि को सरकार द्वारा किन-किन तिथियों को किन-किन स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया ? यदि नहीं, तो भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट द्वारा दिनांक 25 मई, 1984 को इसे भेजने की सूचना सत्य मानते हुए इसकी प्रतिलिपि अतिशीघ्र प्राप्त न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पूर्व के प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन किया गया था कि यदि प्रश्नगत पत्र व ज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाय तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

इसके अतिरिक्त अपर जिला अधिकारी अल्मोड़ा ने सूचित किया था कि ललू गांव जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है तथा यह भी सूचित किया था कि भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का पत्र दिनांक 25 मई, 1984 उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

पर्वतीय क्षेत्र की पेयजल/सिंचाई योजनाओं पर व्यय धनराशि

9--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 1985 के प्रथम मंगल को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत ज्ञापन पर दिनांक 26-6-1986 तक तथा उसके बाद बिन्दुवार क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पिछले प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित ज्ञापन के सम्बन्ध में सवबार स्थिति निम्नवत् है :--

नगाड़ पेय जल योजना

26-6-1986 के पूर्व ही पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी । तत्पश्चात् योजना के अन्य कार्य भी पूरे करा दिए गये हैं ।

सिंचाई योजना

वर्ष 1986-87 में 6.00 लाख रुपये की लागत का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया गया है ।

जूनियर हाई स्कूल की मान्यता

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगाड़ नदी में बांध निर्माण

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वायर क्रेट लगा दिया गया था ।

10—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5वें बुधवार के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री हरीदत्त कापड़ी की राष्ट्रीय उपलब्धियों व अनुभवों के आधार पर प्रान्तीय स्तर का प्रशिक्षक नियुक्त करने की मांग

11—श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 1986 के छठे मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खेल-कूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीदत्त कापड़ी की राष्ट्रीय उपलब्धियों व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अन्य खिलाड़ियों की तरह पटियाला प्रशिक्षित न होने पर भी उन्हें विशिष्ट पदों में नियुक्ति देते हुए उनका सदुपयोग करने का विचार है ? इस विषय में प्रश्नकर्ता के द्वारा भेजा पत्रांक 1135/86 दिनांक 30-6-1986 पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ी र बहादुर सिंह—

जी नहीं । संबंधित प्रकरण को विचाराधीन निक्षेप कर दिया गया है ।

जनपद पिथौरागढ़ के कतिपय राजकीय इन्टर कालेजों में संस्य व कृषि विज्ञान विषयों की स्थापना

12—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री को प्रश्नकर्ता द्वारा द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार को पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 174 के सन्दर्भ में लिखा गया पत्रांक 1134/86 दिनांक 30-6-1986 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इन्टर कालेज थल बेरीनाग, मुनिस्यारी, बुलवाकोट, पिपली, मादकोट, पीपलकोट में अतिशीघ्र संस्य विज्ञान व कृषि विज्ञान की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक प्रश्नगत इण्टर कालेजों में संस्य विज्ञा व कृषि विज्ञा खोले जाने का सम्बन्ध है, सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

13—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 12-2-1986 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के माधोगंज–प्रताप नगर रोड में सई नदी पर पुल निर्माण

14––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सा0 नि0 मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई को 42 किलो मीटर लम्बी माधोगंज–प्रताप नगर रोड में सई नदी पर पुल का अब तक प्राविधान न किये जाने के क्या कारण ह ? रोड की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उक्त पुल का प्राविधान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

प्रश्नगत पुल के उच्च प्राथमिकता पर न आने एवं वर्तमान सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इसको स्वीकृति हेतु प्राविधान नहीं किया जा सका है ।

यह कार्य की प्राथमिकता एवं आवश्यक धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

15––श्री विष्णु देव––

[5 वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

16––श्री राम जनम यादव––

[6 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई, अमरोहा, (मुरादाबाद) द्वारा अवकाश के दिनों में चीनी की लोडिंग से निगम को हानि

17––हाजी मोहम्मद हयात––

क्या गन्ना मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा में वर्ष 1984–85 व 1985–86 के सीजन का चीनी का लोडिंग वर्किंग डे में न होकर अवकाश वाले दिनों में होता रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस प्रकार लोडिंग से सम्बन्धित कर्मचारी को जानबूझकर महाप्रबन्धक द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाया जाता रहा है और कारपोरेशन का अनुचित हानि पहुंचाई जाती रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

18––हाजी मोहम्मद हयात––

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वर्षों में ऐसे कितने दिन हैं जिनमें अवकाश वाले दिनों में लोडिंग कराया गया है ? उपरोक्त वर्षों में कितना धन अवकाश वाले दिनों के लोडिंग का कारपोरेशन को, सम्बन्धित कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा ? क्या शासन इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

वर्ष 1984–85 में केवल 17 तथा 1985–86 में केवल 14 अवकाश वाले दिनों में लोडिंग कराया गया है । दोनों वर्षों में मिलाकर इस हेतु कुल 12,147.4 रुपये

का अतिरिक्त भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को किया गया है। उपरोक्त अवकाश वाले दिनों में अधिकांश लोडिंग लेवी चीनी को रेल वैगनों की गयी। रेलवे विभाग अपनी सुविधानुसार खाली वैगनों को उपलब्ध कराता है। इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई, अमरोहा, (मुरादाबाद) के इन्चार्ज का देय एडवांस

19--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई, अमरोहा में सेल्स इन्चार्ज को केवल 2 हजार रुपया एडवांस के रूप में अपने खाते में रखने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सेल्स इन्चार्ज ने 50 हजार रुपया एडवांस अपने खाते में जमा करा रखा है ? यदि हां, तो क्या शासन उपरोक्त मामले की जांच किसी जांच एजेन्सी द्वारा करा कर दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, यूनिट अमरोहा के सेल्स इंचार्ज को अपने खाते में 2000 रुपये एडवांस रखने का अधिकार प्राप्त है। यह भी सही नहीं है कि सेल्स इंचार्ज ने 50,000 रुपया एडवांस कम्पनी से अपने खाते में जमा करा रखा है। साधारणतया कम्पनी के कर्मचारियों को कम्पनी के कार्य के लिये समय-समय पर एडवांस दिया जाता है। इसी प्रकार सेल्स इंचार्ज को भी समय-समय पर एडवांस दिया गया है और उसका समायोजन भी होता रहा है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

हसनपुर गन्ना मिल मुरादाबाद में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों अधिकारियों का प्रतिशत

20--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की हसनपुर गन्ना मिल में कितने कर्मचारी स्थायी और अस्थायी हैं तथा स्थानीय कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या क्या है और इनका प्रतिशत क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मुरादाबाद की सरकारी चीनी मिल गजरौला-हसनपुर में सत्र 1986-87 में 652 स्थायी तथा 6 अस्थायी कर्मचारी हैं। इनमें से 403 कर्मचारी (जिनका प्रतिशत लगभग 61.2 है) स्थानीय हैं।

उक्त चीनी मिल में 15 अधिकारी कार्यरत हैं। जिनमें कोई अधिकारी जनपद मुरादाबाद का नहीं है।

श्री अता हुसैन नकवी, गन्ना ग्राम सेवक, सहकारी गन्ना समिति लि0, अमरोहा, मुरादाबाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच

21--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अता हुसैन नकवी, गन्ना ग्राम सेवक, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति, अमरोहा जनपद मुरादाबाद को दिनांक 23-2-83 को रिस्टेट किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन पर

लगाये गये आरोपों को माननीय अतिरिक्त मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, अमरोहा ने असत्य मानते हुये दिनांक 19-8-81 को उन्हें दोष मुक्त कर दिया था ? यदि हां, तो फिर 17 माह बाद विलम्ब से नकवी को रिइंस्टेट करने का क्या कारण था ? क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच किसी जांच एजेंसी द्वारा करा कर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अता हुसैन नकवी, गन्ना ग्राम सेवक, सहकारी गन्ना समिति लि0, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद को जिला गन्ना सेवा प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23-2-1983 को रिइंस्टेट किया गया। माननीय मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा श्री नकवी को सबूतों के अभाव में धारा 409 आई0 पी0 सी0 में दोष मुक्त किया गया। श्री नकवी के रिइंस्टेटमेंट किये जाने के मामले में राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि उन्हें रिइंस्टेट किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दिनांक 3-12-1983 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं है।

उत्तर वन प्रभाग गोंडा, में रोड गार्ड/रोड माली के पद पर कार्यरत श्री बाबू लाल सिंह के वेतन का भुगतान

22--श्री शारदा प्रताप--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबू लाल सिंह, रोड गार्ड जो पहले माली के पद पर मस्टर रोल में उत्तर वन प्रभाग गोंडा, में 1974 में कार्यरत था, को 1985 से सेवा से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के वेतन भुगतान एवं स्थायी नियुक्ति हेतु वन राज्य मंत्री ने दिनांक 15-7-85, 12-8-85, 5-9-85 व 18-12-85 व 19-2-86 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

श्री बाबू लाल सिंह ने उत्तर गोंडा वन प्रभाग में मई, 1980 से जुलाई, 1984 तक दैनिक मजदूरी पर रोड गार्ड/रोड माली का कार्य किया जिसका भुगतान इन्हें किया जा चुका है। दिनांक 28 जुलाई, 1984 के बाद इनका कार्य असन्तोषजनक पाये जाने एवं इनके विरुद्ध चोरी का मुकदमा पुलिस द्वारा कायम होने के कारण कार्य से हटा दिया गया। इनके सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर जांच कराई गई और जांच में आये तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

श्री रमा शंकर चौधरी, अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा के विरुद्ध जांच

23--श्री शारदा प्रताप--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन अनुसचिव (श्री रमा शंकर चौधरी) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता एवं चौधरी उजैर अहमद, पटकापुर, कानपुर के वर्ष 1986 में कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं अनुसचिव के कार्य-कलापों की जांच किन-किन अधिकारियों से करायी गयी ? क्या जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राविधिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन अनु सचिव (श्री रमाशंकर चौधरी) के विरुद्ध वर्ष 1986 में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक एवं चौधरी उजैर अहमद के क्रमशः तीन एवं पांच पत्र प्राप्त हुए। इस मामले की जांच विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है।

24--श्री शारदा प्रताप--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फर्म अग्रवाल वुडन प्रोडक्ट्स बनाम आयुक्त बिक्रीकर में देय निर्णय

25--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 37 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 4046, दिनांक सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 15 दिसम्बर, 1986 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

इस मामले के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सूचनाओं का उल्लेख प्रश्न में सन्दर्भगत पूर्व प्रश्न के उत्तर में किया जा चुका है। प्रश्नगत पत्र में जो अवधारणायें और प्रकल्पनायें की गयी हैं, उनका कोई उचित आधार नहीं है। बिक्रीकर विधि के अधीन, जो भी कार्यवाही की जाती है, वह अर्द्धन्यायिक कार्यवाही होती है, जिसमें अधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। किन्तु केवल इस कारण कि अधिकारी ने अमुक प्रकार से कार्यवाही न करके अमुक प्रकार से की, यह कहना उचित न होगा कि उसने कदाशयता से राजस्व को क्षति पहुंचाने हेतु कार्यवाही की। उक्त पत्र में मांगी गयी सूचनायें न तो संगत हैं और न इनके एकत्र करने में लगने वाले श्रम के परिप्रेक्ष्य में जनहित में ही कोई लाभ होने की आशा है। ऐसी स्थिति में सन्दर्भगत पत्र पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

कानपुर रेलवे गोदाम से नियमित बिक्रीकर अदा किये बगैर माल बाहर निकासी की सतर्कता की जांच

26—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 943, वित्त, राज्य मंत्री को तारीख 23 जून, 1986 को व पत्र संख्या 2807, सचिव, संस्थागत वित्त (बिक्रीकर) को तारीख 25 अक्तूबर, 1986 को प्राप्त हुये हैं। यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत मामले में सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट अभी भी सतर्कता विभाग के विचाराधीन है । उनके द्वारा निर्णय लिए जाने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी ।

आयुक्त, बिक्री-कर बनाम युनीवर्सल टूल्स कारपोरेशन, रामपुर में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

27--यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2892 मुख्य मंत्री को तारीख 30 अक्तूबर, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

माननीय सदस्य के पत्र में की गई अवधारणाओं का कोई उचित आधार नहीं है । अत: इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

जिला गन्ना अधिकारी व सचिव, गन्ना विकास समिति, बदायूं के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच

28--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 13 जनवरी, 1986, जिसके साथ श्री वासुदेव सिंह, ग्राम नगला शर्की, बदायूं का एक शिकायती-पत्र संलग्न था और जो कि जिला गन्ना अधिकारी, बदायूं एवं सचिव, गन्ना विकास समिति, बदायूं के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने इस शिकायती-पत्र के आधार पर किस अधिकारी से जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच गन्ना आयुक्त मुख्यालय पर गठित जांच दल से करायी गई थी । जांच दल की रिपोर्ट दिनांक 22 अप्रैल, 1987 के अनुसार शिकायतकर्ता श्री वासुदेव सिंह शिकायतों की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके । अत: अभिलेखों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर जांच की गई । जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गई ।

श्री0 ओ0 पी0 गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, बिक्री-कर कार्यालय, बदायूं का स्थानान्तरण

29--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में कार्यरत श्री ओ0 पी0 गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक को बदायूं जनपद से प्रशासनिक तौर पर स्थानान्तरित करने के लिये वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में तत्कालीन बिक्री-कर

अधिकारी, खंड-2, बदायूं एवं तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी (ए), बदायूं ने सहायक आयुक्त (सा0), बिक्री-कर, बरेली परिक्षेत्र बरेली को अपनी संस्तुति की थी ? यदि हां, तो स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

बिक्री-कर अधिकारी, खण्ड-2, बदायूं एवं बिक्री-कर अधिकारी (ए), बदायूं से प्राप्त संस्तुतियों पर सहायक आयुक्त (सा0), बिक्री-कर बरेली, ने विचारोपरान्त श्री ओ0 पी0 गुप्ता को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करने की, की गयी संस्तुतियों में पर्याप्त ठोस आधार नहीं पाया जिसके कारण उनका स्थानान्तरण तत्कालीन अवधि में नहीं किया जा सका ।

किन्तु स्थानान्तरण नीति से संबंधित शासनादेश के अनुसार अब श्री गुप्ता को वर्ष 1984-85 में खण्ड 2, बदायूं से हटाकर खंड-1 बदायूं में स्थानान्तरित करके तैनात कर दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत ग्राम सभा मिझौडा में तमसा नदी पर पुल निर्माण की मांग

30--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव सभा मिझौडा में मडहा (तमसा) नदी पर पुल के निर्माण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि गत दो वर्षों के उक्त पुल के निर्माण हेतु जिला योजना में सर्वसम्मति से जिले से प्रस्ताव भेजा जाता रहा है, लेकिन अनाभाव बताकर उक्त कार्य को नहीं किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद का संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद एवं प्रश्नकर्ता को पृष्ठांकित पत्रांक/आ0 सि0/एन0 आर0 ई0 पी0-86-87, दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त पृष्ठ भूमि में स्टेट सेक्टर से उक्त निर्माण कार्य को कराने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता/संसाधनों की कमी के कारण ।

जनपद लखीमपुर-खीरी की चीनी मिल गोला गोकरणनाथ द्वारा सरायन नदी में गादा डाले जाने से जल प्रदूषण

31--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है क्या चीनी मिल गोला गोकरणनाथ, जिला खीरी लखीमपुर का गादा बिना शोधित किये हुये मिल के नाले द्वारा सरायन नदी में डाला जा रहा है जिससे कि जल प्रदूषित होता है ? यदि हां, तो मिल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

चीनी मिल गोला-गोकरणनाथ, जिला खीरी-लखीमपुर द्वारा प्रथम चरण की शुद्धिकरण व्यवस्था की गयी है जो अपर्याप्त पायी गयी है। उद्योग द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु दूसरे चरण की योजना तैयार की गयी है किन्तु उसके कार्यान्वयन में प्रगति नहीं हुई है । अतः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस चीनी मिल के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में वर्ष 1984 में दो मुकदमें मुख्य दन्डाधिकारी, लखीमपुर खीरी के न्यायालय में दायर किये गये थे । उक्त उद्योग द्वारा दोनों मुकदमों में असफलता के बाद माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है । उच्च न्यायालय ने मुख्य दन्डाधिकारी के न्यायालय की कार्यवाही स्थगित कर दी है । बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र एवं प्रति उत्तर दायर किया जा चुका है । अभी उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं हुआ है ।

जिला कारागार अल्मोड़ा से भागे कैदियों की जांच

32--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा जिला कारागार से 2 कुख्यात कैदी नवम्बर, 1986 के प्रथम सप्ताह में भाग गये थे ? यदि हां, तो क्या भागने के कारणों की कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जांच रिपोर्टस के अनुसार दोनों भगोड़े विचाराधीन बन्दी 2 अन्य बन्दियों की सहायता से कारागार की मुख्य प्राचीर के टूटे हुये भाग से पलायन कर गये । पलायन की इस घटना में दोषी पाये गये दो प्रधान बन्दीरक्षकों को उनके बन्दीरक्षक के मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर के निलम्बित कर दिया गया। एक बन्दीरक्षक को भी निलम्बित कर दिया गया । इन सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । एक अस्थायी बन्दीरक्षक की सेवायें समाप्त कर दी गई तथा एक रिजर्व प्रधान बन्दीरक्षक एवं दो बन्दीरक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है । घटना के लिये अधीक्षक का भी स्पष्टीकरण माँगा गया है ।

33--श्री पुष्कर सिंह रौथाण--

[5वें सोमवार में अत.0 प्र0 संख्या 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य मन्त्री द्वारा पौड़ी में जड़ी-बूटी शोध संस्थान की स्थापना की घोषणा एवं प्रारूप

34--श्री पुष्कर सिंह रौथाण--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 15-3-86 को अपने पौड़ी भ्रमण के दौरान मुख्य मंत्री जी ने वहां की जन सभा में यह घोषणा की थी कि पौड़ी में एक जड़ी-बूटी शोध संस्थान की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है ? क्या उसके लिये भूमि का चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बागपत (मेरठ) चीनी मिल द्वारा पत्थर कोयले की खरीद की दरें

35—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के सीजन में बागपत-चीनी मिल द्वारा कुल कितना कोयला व पत्थर खरीदा गया तथा कोयले की दरें अलग-अलग क्या थी, कुल कितना भुगतान किया गया ? खरीदने वाला सक्षम अधिकारी कौन था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बागपत सहकारी चीनी मिल, मेरठ वर्ष 1985-86 के सीजन में निम्नलिखित मात्रा में कोयला (हार्ड कोक) व पत्थर क्रय किया गया :—

(1) कोयला (हार्ड कोक)-942.125 मी0 टन ।

(2) पत्थर (लाइम स्टोन)-5,688.84 मी0 टन ।

कोयले तथा पत्थर की दरें निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयला (हार्ड कोक)-1,190 रुपये प्रति मी0 टन ।

(2) पत्थर (लाइम स्टोन) की दरें निम्नलिखित थी :—

(अ) 4,803.35 मी0 टन की दर 234 रु0 प्रति मी0 टन ।

(ब) 196.54 मी0 टन की दर 235 रु0 प्रति मी0 टन ।

(स) 688.95 मी0 टन 294.05 रु0 प्रति मी0 टन ।

कोयले एवं पत्थर के भुगतान की स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) कोयला (हार्ड कोक) का कुल मूल्य 11,01, 962.44 रुपये, जिसमें से 10,97, 811.1 रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

(2) पत्थर (लाइम स्टोन) का कुल मूल्य 13,91, 806.31 रुपये हुआ जिसमें से 12,35,787. 10 रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

उक्त कोयला एवं पत्थर आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् तथा प्रशासक के अनुमोदन के उपरान्त मिल समिति द्वारा क्रय किया गया ।

36—श्री शारदा नन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद आजमगढ़, ब्लाक जहानागंज अन्तर्गत शोरपुर से चिरैयाकोट तक अपूर्ण सड़क का निर्माण

37—श्री कल्याण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड जहानागंज के अन्तर्गत शोरपुर से चिरैयाकोट तक की सड़क नहीं बनी है, जब कि इसके आगे पीछे की सड़क बनी हुई है और बीच में 2 किलो मीटर सड़क न बनी होने से जनता को कोई लाभ नहीं है ? यदि हाँ, तो शेष 2 किलो मीटर सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

शेरपुर से चिरैयाकोट के बीच 2.00 कि0 मी0 के स्थान पर केवल 1.50 कि0 मी0 लम्बाई में सड़क का निर्माण शेष है ।

कार्य जिला सेक्टर का है, अत: इस सड़क का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं जिला योजनान्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोरखपुर ब्लाक चरगांवा की प्रा0 पाठशाला, मिसरौलिया के भवन का निर्माण

38--श्री सैयद जावेद अली (सहजपोश)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खंड चारगांवा के ग्राम आराजी क्षेत्रधारी उर्फ मिसरौलिया के प्रा0 पाठशाला भवन निर्माण हेतु सर्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर को कई वर्षों पहले शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा भवन निर्माण हेतु 70,000 हजार रु0 दिया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रा0 पाठशाला मिसरौलिया का भवन निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रा0 पाठशाला भवन का निर्माण शीघ्र कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जनपद गोरखपुर के विकास खंड, चरगांवा के ग्राम आराजी क्षेत्रधारी उर्फ मिसरौलिया में प्राथमरी पाठशाला भवन का निर्माण शासनादेश सं0 1284, दिनांक 1 मार्च, 1983 में 66,700 रु0 की लागत से स्वीकृत हुआ था । प्रश्नगत भवन का निर्माण पूरा कर भवन शिक्षा विभाग को मार्च, 1985 में सौंपा जा चुका है ।

39--श्री सैयद जावेद अली (सहजपोश)--

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा नीलाम किये जाने वाले लाटों को छोटा करके नीलाम करने की मांग

40--श्री सैयद जावेद अली (सहजपोश)--

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि वन विभाग द्वारा नीलाम के लिये जो लाट बनायी जाती है वह आठ और दस घनमीटर की होती है जिससे कि छोटे ठेकेदार वह लाट नहीं खरीद सकते है ? क्या सरकार तीन घनमीटर का लाट लगा कर नीलाम करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा नीलाम के लिये बनाये गये लाट सामान्यतया आठ से दस घनमीटर के होते हैं । वन निगम के डिपुओं पर तीन से पांच घनमीटर के छोटे लाट भी उपलब्ध होते हैं जिन्हें छोटे ठेकेदार क्रय कर सकते हैं ।

सरैया शुगर मिल, सरदार नगर, गोरखपुर द्वारा बकाया गन्ना कृषकों के देयों का भुगतान

41--श्री सैयद जावेद अली (सहजपोश)--

क्या गन्ना मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की सरैया शुगर मिल, सरदार नगर ने सत्र 1984-85 का गन्ना मूल्य का भुगतान केन यूनियन, सरदार नगर

को कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि केन यूनियन, सरदार नगर ने उक्त धनराशि का भुगतान अन्य मद में कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्ना समिति के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और गन्ना किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यह सही नहीं है कि केन यूनियन, सरदारनगर ने उक्त धनराशि का भुगतान अन्य मद में कर दिया है । गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

42--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

प्रदेश में बकाया बिक्री-कर विषयक माननीय सदस्य के पत्र की गुमशुदगी

43--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के अता० प्र० सं० 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं० 1002 व पत्र सं० 1117 लोकदल विधान मण्डल कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर पर चढ़ा कर भेजे गये थे और जो क्रमशः ता० 9-1-84 व 8-6-84 को मुख्य मन्त्री के कार्यालय में प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो दोनों पत्र कहां खो गये तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1973, जिसके साथ पत्र सं० 1002 की प्रतिलिपि नत्थी थी, मुख्य मन्त्री जी के कार्यालय में ता० 29-8-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश के मन्त्रियों द्वारा विदेश यात्रा करने का उद्देश्य व शासन द्वारा व्यय

44--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 से दिसम्बर, 1986 के बीच उत्तर प्रदेश शासन के कितने मन्त्री विदेश यात्रा पर गये और उनकी विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या था ? उनकी यात्रा की क्या उपलब्धि रही और उनकी विदेश यात्रा पर शासन का कितना वित्तीय खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत अवधि में उत्तर प्रदेश शासन के 6 मन्त्री विदेश यात्रा पर गये । उनके नाम तथा अन्य वांछित विवरण* संलग्न सूची में दिये गये हैं । इन यात्राओं से सम्पर्क एवं अनुभव की उपलब्धि रही । प्रश्नगत विदेश यात्राओं पर शासन का कुल रु० 1,75,987.95 व्यय हुआ ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 136 पर ।)

नैनीताल क्लब का जलकर भुगतान न होने से जलापूर्ति ठप्प

45--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि नैनीताल क्लब का जलकर भुगतान न होने के कारण पानी की आपूर्ति जल निगम द्वारा 2 अप्रैल को काट दी गई थी, जिससे वहां ठहरे लोगों को भारी असुविधा हुई ? यदि हां, तो इस स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। दिनांक 2-4-1987 को नैनीताल क्लब में पानी की आपूर्ति जल निगम द्वारा नहीं काटी गई थी। अतएव उक्त तिथि को क्लब में ठहरे लोगों की असुविधा का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

46 से 49--श्री विष्णु देव--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये।]

50--श्री रेवती रमण सिंह--

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

प्रदेश के सिनेमा घरों में टिकटों की चोर बाजारी रोकने के उपाय

51--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश/शहर के सिनेमा घर में टिकटों की चोर बजारी रोकने हेतु कौन-कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सिनेमा घर में पत्रकारों तथा अन्य वी0 आई0 पी0 व्यक्तियों हेतु कोई आरक्षण व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

सिनेमा टिकटों की चोर बाजारी रोकने हेतु उत्तर प्रदेश आमोद एवं प्रणकर अधिनियम, 1979 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी चलचित्र प्रदर्शन, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम का धारा 3 के अधीन कर देय हो, में प्रवेश के लिये किसी टिकट का पुनः विक्रय नहीं करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपरोक्त प्राविधान के उल्लंघन करने पर टिकट बेचने वाले को तीन माह तक के कारावास सहित या रहित रुपये 1,000 से अनधिक जुर्माने का प्राविधान किया गया है। सिनेमा में निर्धारित स्थान से टिकट न खरीदने या किसी व्यक्ति से अधिक दाम से खरीदने वाले पर रुपये 500 से अधिक जुर्माना किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

सिनेमा टिकटों की चोर बाजारी प्रायः असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधीक्षकों को शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

सिनेमा निजी क्षेत्र का व्यवसाय है तथा अधिनियमों/नियमों में शासन द्वारा सिनेमाघरों में पत्रकारों अथवा वी0 आई0 पी0 व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण व्यवस्था का प्राविधान नहीं है। अतः आरक्षण की व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

52--श्री राम सजीवन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

लोहाघाट मायावती पर्यटन मार्ग का निर्माण

53--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 1985 के दूसरे मंगलवार को पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 17 तथा उसी सत्र में पांचवें मंगल को पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 136 के उत्तरों के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि लोहाघाट मायावती

जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटन मार्ग का निर्माण मूल रूप में कब हुआ था ? इस मार्ग को कंकरीट डामर (कोलतार) न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण 1959-60 में हुआ था । संसाधनों की कमी के कारण इस मार्ग के कंकरीट डामर (कोलतार) का कार्य नहीं किया जा सका है ।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, नैनीताल द्वारा विद्यालय भवन निर्माण, निर्माण हेतु आगणन तैयार किया जाना

5 4--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, नैनीताल के पत्रांक 1606/30 सी0 बी0, दिनांक 27 मार्च, 1979 के द्वारा 6 बिन्दुओं पर अपनी आख्या राजकीय डा0 सा0 वि0 लौहाली, जनपद नैनीताल के संदर्भ में तैयार की गई थी ? यदि हां, तो इसी संदर्भ में शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 शिक्षा (सा0 नि0 वि0), इलाहाबाद के पत्रांक सा0 से0 वि0 2031-15/दस-5-80(30)-79-80, दिनांक 17 मई, 1979 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, नैनीताल से नवीन भवन के आगणन तैयार करने के लिए अनुरोध किया था ? पुनः इसी सन्दर्भ में क्या उप शिक्षा निदेशक कुमायूं मण्डल नैनीताल के पत्रांक 4447-49/पन्द्रह-2 (1)/-79-80, दिनांक 3 सितम्बर, 1979 द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, नैनीताल से अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1 मार्च, 1987 तक आगणन तैयार न करने के क्या कारण हैं ? इस हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अविलम्ब आगणन तैयार करवाने एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनीताल ने 19 मार्च, 1980 को आगणन गठित तो कर लिया था परन्तु उस आगणन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न स्तरों के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई आपत्तियों के निराकरण में विलम्ब हुआ ।

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

प्रश्नगत निर्माण का प्रारम्भिक आगणन तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (कुमायूं क्षेत्र), अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1987 द्वारा अवर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), लखनऊ को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ स्थित भारत रिफ्रेक्ट्रीज पिथौरागढ़, मैंगनेसाइड प्रोजेक्ट पर व्यय धनराशि

5 5--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल नामक स्थान मे कार्यरत भारत रिफ्रेक्ट्रीज पिथौरागढ़, मैंगनेसाइड प्रोजेक्ट में किये जा रहे खनन

कार्य में भूमि स्खलन तथा वायु प्रदूषण को समाप्त कर देने के लिए क्रमशः क्या कार्यवाही की गई है ? इस हेतु विगत पांच वर्षों में वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में खर्च की गई है ? कितनी भविष्य हेतु प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत उचित कार्यवाही हेतु नोटिस दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 को दी गई है ।

विगत पांच वर्षों में वायु प्रदूषण तथा भूस्खलन के नियंत्रण के लिए व्यय की गई धनराशि तथा भविष्य के प्रस्तावों की सूचना उपलब्ध नहीं है । यह उद्योग भारत सरकार का एक उपक्रम है तथा 19 मार्च, 1987 से बन्द है ।

बिक्रीकर कार्यालय बदायूं में अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

56--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में ऐसे कौन-कौन से तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जो शासन एवं विभागीय आदेश के विपरीत एक ही पटल पर तीन वर्ष से अधिक अवधि तक तथा एक ही खंड एवं जनपद में 5 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनके पटल एवं जनपद बदायूं से किसी अन्य जनपद को स्थानान्तरित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बदायूं मण्डल में वर्तमान समय में निम्न तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को एक ही पटल पर तैनाती अवधि तीन वर्ष हो गयी है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

1--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक के पद पर वर्ष 83 से तैनात हैं । इनके दोनों पैर पोलियोग्रस्त हैं तथा इनके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं है इसलिए इनका स्थानान्तरण मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर सहायक आयुक्त (शा0)/उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर, बरेली द्वारा नहीं किया गया है । शासन/विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार केवल उन्हीं कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाना था जिनकी एक ही पटल पर कम से कम तीन वर्ष व अधिक से अधिक पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो । इस प्रकार श्री शर्मा का उक्त पटल पर अभी तक पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है । अतः अभी यह स्थानान्तरण हेतु पूर्णरूप से परिपक्व नहीं है ।

2--श्री ब्रह्मानन्द बदायूं मंडल में दिनांक 23 जून, 1982 से मंडल कार्यालय हेतु उपलब्ध/स्वीकृत एक ही कम्पाइलर के पद पर तैनात हैं । इस मामले में भी गत वर्ष की शासन/विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह (ग) के उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पटल परिवर्तन किया जाना था जिनकी एक ही पटल पर तैनाती अवधि कम से कम तीन वर्ष व अधिक से अधिक पांच वर्ष पूर्ण हो गयी हो । जब कि गत वर्ष श्री ब्रह्मानन्द की एक ही पटल पर तैनाती अवधि तीन वर्ष तो पूर्ण हो गयी थी किन्तु पांच वर्ष अभी इस वर्ष 87 में पूर्ण हुई है, और चूंकि मंडल कार्यालय

बदायूं में एक ही कम्पाइलर/कम्प्यूटर का पद स्वीकृत है । इसलिए श्री ब्रह्मानन्द को भी बदायूं जनपद से बरेली जनपद में स्थानान्तरित करने के निर्देश सहायक आयुक्त (शा0) बिक्रीकर, बरेली को दिये गये हैं ।

वर्तमान समय में बदायूं मंडल में श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, आशुलिपिक खंड-1 बदायूं में एक ही पटल पर पांच वर्ष से अधिक अवधि से तैनात थे इसलिए श्री श्रीवास्तव को खंड-1 बदायूं से खंड-2 बदायूं में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

ब्लाक सालारपुर, जनप बदायूं के अन्तर्गत स्वीकृत घटपुरा स्टेशन के पुल का निर्माण

57--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सालारपुर, जनपद बदायूं में घटपुरा स्टेशन के निकट एक पुल वर्ष 1985-86 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था जो धन के अभाव में वर्ष 1985-86 में नहीं बनवाया जा सका ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का निर्माण वर्ष 1987-88 में राज्य योजना के धन से कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । पुल का निर्माण वर्ष 1986-87 की जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया । धन का प्राविधान वर्ष 1987-88 में भी जिला योजना में किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया /]

डी0 ए0 0, झांसी द्वारा जिला चयन समिति का गठन एवं चयन समिति द्वारा की गई नियुक्तियां

59--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश संख्या 20/3/1982-कार्मिक-2, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 के अनुसार झांसी में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय चयन समिति का मई, 1985 में गठन किया था ? यदि हां, तो इसके द्वारा किन अभ्यर्थियों को किस-किस विभाग में नियुक्ति हेतु चयन किया गया और उसमें किन-किन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किन विभागों ने स्वीकार की तथा किन-किन की नियुक्ति किन विभागों ने किन कारणों से अस्वीकार की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । मई, 1985 में झांसी में जिला चयन समिति गठित की गयी थी ।

जिला चयन समिति द्वारा किसी विभाग विशेष के लिए चयन न करके जनपद के सभी विभागों के लिए एक सूची बनायी गयी थी ।

जिला चयन समिति द्वारा बनायी गयी सूची अनुलग्नक "क"† पर उपलब्ध है। इसमें से जिन चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न नियोजकों द्वारा नियुक्ति हेतु स्वीकार किया गया उनकी सूची अनुलग्नक "ख"† पर तथा जिन अभ्यर्थियों को नियोजकों द्वारा नियुक्ति हेतु स्वीकार नहीं किया गया उनकी सूची अनुलग्नक "ग"† पर उपलब्ध है। इसमें स्वीकार न किए जाने के कारण भी अंकित हैं।

डी0 एम0 झांसी द्वारा बगैर चयन समिति के अनुमोदन से की गई नियुक्तियां

60--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी में 16 मई, 1985 से 30 जून, 1986 तक जिला स्तरीय चयन समिति शासनादेशों के अनुसार गठित थी ? यदि हां, तो इस अवधि में बिना चयन समिति के जिलाधिकारी व उनके अधीनस्थ कार्यालयों में किन-किन की सीधी नियुक्तियां किन अधिकारियों द्वारा की गयी तथा जिला स्तरीय चयन समिति के होते हुए अधिकारियों द्वारा सीधी नियुक्तियां किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्थायी खण्ड सा0 नि0 वि0, मथुरा द्वारा सड़क निर्माण हेतु देय धनराशि से सीमेन्ट पाइप की खरीद

61—श्री कुशलपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 में स्थायी खण्ड सा0 नि0 विभाग, मथुरा ने सड़कों पर पुलिया बनाने के लिये सीमेन्ट पाइप खरीदे थे ? यदि हां, तो कितने लाख कीमत के ? क्या यह सही है कि जो धनराशि सड़क निर्माण को दी गई थी उससे आवश्यकता से ज्यादा पाइप खरीदे गये थे ? यदि हां, तो इतनी धनराशि के पाइप खरीदने की क्या कोई स्वीकृति ली गई थी ? इतनी संख्या में सीमेन्ट पाइप खरीद कर स्टोर में रखने का क्या औचित्य था ? क्या सरकार इस धन के दुरुपयोग में सम्मिलित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

सीमेन्ट स्लिम पाइप 6.50 लाख रुपये के खरीदे गये।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापा नहीं गया।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मंदुरी से परशुरामपुर तक लिंक रोड निर्माण पर व्यय धनराशि एवं रोड से सम्बद्ध गांव

62--श्री शारदा प्रताप--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कोई लिंक रोड मंदुरी से परशुरामपुर के लिये स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है और उसका निर्माण किस एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । इस मार्ग की अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपये है तथा इस मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है ।

63--श्री शारदा प्रताप--

क्या मंत्री जी उपरोक्त लिंक रोड के निर्धारित गांवों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जहां से होकर इसे ले जाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिन ग्रामों से होकर मार्ग जा रहा है उनके नाम निम्नलिखित हैं :

1--मंदुरी, ।

2--कादीपुर खुदकाश्त,

3--कादीपुर,

4--काशीपुर तथा

5--भवनपुर ।

64--श्री शारदा प्रताप--

क्या यह सही है कि इस लिंक रोड को कुछ प्रभावशाली और निहित स्वार्थों के लोग ग्राम भटनी से टेढ़ा करके गढ़कौशिक की ओर ले जाना चाहते हैं जब कि उसका सीधा रास्ता भवनपुर, काशीपुर, गाढ़ीपुर आदि होते हुए मंदुरी जाने का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह मार्ग संरेखण के अनुसार भवनपुर, काशीपुर व गाढ़ीपुर होते हुये मंदुरी को जाता है ।

65--डाक्टर बंगाली सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद मेरठ विधान सभाई क्षेत्र खरखोदा में चीनी मिल लगवाने की मांग

67--श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई चीनी मिलें लगाने की क्या योजना है ? क्या गन्ना उत्पादक किसानों की आवश्यकता को देखते हुए

विधान सभा क्षेत्र खरखोदा, जनपद मेरठ के ग्राम सऊखास में चीनी मिल लगवाने के लिये किसानों की मांग पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चीनी मिलों की स्थापना का लाइसेंस भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत औचित्य के आधार पर मात्र संस्तुति करती है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार नयी स्थापित होने वाली चीनी मिल 2500 टी0 सी0 डी0 से कम क्षमता की नहीं होगी तथा प्रस्तावित चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होना चाहिये और उक्त स्थल किसी वर्तमान चीनी मिल से 40 किमी0 की परिधि में नहीं होना चाहिये ।

मेरठ के खरखोदा ग्राम सऊखास का प्रस्ताव भारत सरकार की उक्त नीति के अन्तर्गत न आने के कारण वहां चीनी मिल की स्थापना का औचित्य नहीं बनता ।

68--श्री राजेन्द्र शर्मा--

[दिनांक 30 जून, 1987 को अता0 प्र0 सं0 111 द्वारा उत्तरित]

69--श्री मो0 रिजवानुल हक--

[दिनांक 22 जून, 1987 को अता0 प्र0 सं0 108 द्वारा उत्तरित]

70--श्री फरीद महफूज किदवई--

[अनेक विभागों से सम्बधित होने के कारण निरस्त]

71--श्री राम सजीवन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

72-73--श्री मित्रसेन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

74--श्री हर्ष वर्धन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सा0 नि0 वि0 के क्वालीफाइड सर्वेयरों को देय वेतनमान

75--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 में कितने क्वालीफाइड सर्वेयर कार्यरत हैं और उन्हे क्या वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या वर्तमान समय में दिया जाने वाला वेतन अन्य विभागों में कार्यरत सर्वेयरों के समान है ? यदि नहीं, तो इस असमानता का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सार्वजनिक निर्माण विभाग मे क्वालीफाइड सर्वेयर का वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है न कोई क्वालीफाइड सर्वेयर कार्यरत है । अतः वेतनमान दिये जाने अथवा अन्य विभागों से असमानता का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बाराकोट-लिमलौत मोटर मार्ग के कार्य का श्री भवानी दत्त ठेकेदार को भुगतान

76--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में 1979 में बाराकोट-लिमलौत मोटरमार्ग में जोन नं0 22-ए का कार्य ठेकेदार श्री भवानी दत्त राय द्वारा सम्पन्न कराया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री राय को उनके द्वारा किये गये कार्य का दिनांक 1 अप्रैल, 1987 तक पूरा-पूरा भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तिथि को और कितना ? यदि नहीं, तो इस हेतु कितनी धनराशि का भुगतान होना बाकी है और इस भुगतान हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । उक्त ठेकेदार द्वारा बाराकोट सिमलखेत मोटर मार्ग के जोन संख्या 22-ए में पहाड़ कटान व दिवालों का कार्य अनुबन्ध संख्या 88 स0 अ0 II/दिनांक 17 फरवरी, 1979 से कराया गया था ।

जी हां । ठेकेदार को उनके द्वारा किये गये कार्य का अनुबन्ध की शर्तानुसार पूरा पूरा भुगतान किया जा चुका है ।

अन्तिम भुगतान उन्हें 31 मार्च, 1981 को किया जा चुका है तथा कुल देय धनराशि 28,012.00 रु0 का भुगतान किया गया ।

अब कोई भुगतान होना बाकी नहीं है । क्योंकि अनुबन्ध की शर्तानुसार पूरे कार्य का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

77--श्री काशी सिंह ऐरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

पर्वतीय विकास परिषद् की कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जाना

78--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि विगत अंतिम बार सम्पन्न पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में सभी विधायक एक मत थे कि बैठक पूरी-पूरी कार्यवाही अक्षरशः लिपिबद्ध करते हुए परिषद् के सभी माननीय सदस्यों को वितरित की जाया करे तथा पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक प्रत्येक दशा में कम से कम तीन माह में एक बार अवश्य हुआ करे ? यदि हां, तो इस परिप्रेक्ष्य में 1 अप्रैल, 1987 व उसके बाद अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पर्वतीय विकास परिषद् की कार्यवाही लिपिबद्ध करके माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है । शासन का यह भी प्रयास रहता है कि परिषद् की बैठक यथा सम्भव शीघ्र आयोजित की जाया करे, परन्तु एक निश्चित तिथि का उल्लेख करना सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा मोटर मार्ग ढुलान तथा कन्धा ढुलान की मजदूरी दरों में अनियमितता

79—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम उ0 प्र0 द्वारा माल ढुलाने हेतु मोटर मार्ग तथा कन्धा ढुलान की मजदूरी की दरें, दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है ? यदि हां, तो श्री शिवराज सिंह महाराना, प्रधान श्रमिक को लाट नं0 54–55 एवं 56 (लोहाघाट देवी धुरा रजि0) से माल टनकपुर तक ढुलान करने हेतु रु0 85 प्रति कुन्तल पर निर्धारित की गई तथा श्री मयूख महर को लाट नं0 17 पिथौरागढ़ अस्कोट रजि0 से टनकपुर डिपो ढुलान हेतु केवल रु0 90.00 प्रति कुन्तल दर निर्धारित की गई जबकि लाट नं0 54, 55 एवं 56 से टनकपुर डिपो तक कन्धा ढुलान दूरी औसत 6 कि0 मी0 तथा ट्रक ढुलान 120 कि0मी0 औसत है तथा लाट नं0 17 से उसी डिपो तक कन्धा ढुलान 13.5 कि0 मी0 एवं ट्रक ढुलान 180 कि0मी0 की औसत है ? इस अनियमित दर निर्धारण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है तथा सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

वन निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में माल ढुलान करने हेतु मोटर मार्ग तथा कन्धा ढुलान की दरों का निर्धारण दूरी के अलावा अन्य अनेक कारकों पर विचार करके किया जाता है । अन्य कारकों में उल्टा ढुलान (चढ़ाई पर ढुलान) माल की मात्रा, माल की सघनता, खच्चर/पैदल सड़क की स्थिति आदि प्रमुख हैं । इसके अलावा वन–उपज के बाजार भाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है । इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए लाट नं0 54, 55 एवं 56/85–86 हेतु दर रु0 85.00 प्रति कुन्तल तथा लाट नं0 17/85–86 के लिये दर रु0 90 प्रति कुन्तल निर्धारित की गई थी बाद में लाट सं0 17 85–86 के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त और तब तक छिलका गुलिया के बाजार भाव में भी वृद्धि हो जाने के कारण यह दर रु0 128.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की गई। इससे श्री मयूख महर भी सहमत थे । वन निगम द्वारा उपरोक्त दरों का निर्धारण नियमित एवं उचित है । अतः इन दरों के लिये किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

80–82—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

83—श्री अफजाल अंसारी—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

84—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री डी0 आर0 मेहता व जे0 पी0 नौटियाल, सेवानिवृत्त उपायुक्त (शा0) से स्वरूप नगर, कानपुर स्थित मकान के किराये की वसूली

85—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 184 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि

सर्वश्री डी0 आर0 मेहता और जे0 पी0 नौटियाल ने इस भवन का रिहायसी प्रयोग किया और 10 प्रतिशत अपने वेतन में से नहीं कटाया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस अवधि के लिये इन्होंने आवासीय भत्ता भी लिया ? यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध सेवानिवृत्त होते समय कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री डी0 आर0 मेहता, सेवानिवृत्त उपायुक्त (शा0), कानपुर उक्त भवन में दि0 10-8-76 से दि0 5-6-79 तक रहे थे। उक्त अवधि के लिये उनसे विभाग द्वारा किराया वसूल किया जा चुका है।

श्री जे0 पी0 नौटियाल के सम्बन्ध में उक्त आवास में रहने की कोई सूचना नहीं है।

श्री मेहता द्वारा मकान किराया भत्ता लेने पर विभाग द्वारा आपत्ति उठाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा लिया गया मकान किराया भत्ता जमा कर दिया गया है। सेवानिवृत्त होने से पूर्व श्री मेहता से आवास में रहने की अवधि का किराया वसूल किया जा चुका है।

अन्य किसी अधिकारी द्वारा उक्त मकान को उपयोग किये जाने पर किराया देने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

86—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

87—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला स्तरीय चयन समिति, गोरखपुर द्वारा टंकक पद हेतु की गयी चयन/नियुक्ति में अनियमितता

88—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-8-86 को उनके गोरखपुर आगमन पर दिनांक 28-9-85 को जिला स्तरीय चयन समिति गोरखपुर द्वारा टंकक पद हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की चयनित सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में घांधली करने तथा अनियमितता बरतने सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर के दौरे पर जिला स्तरीय चयन समिति, गोरखपुर द्वारा टंकक/लिपिक पद हेतु चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का, एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित सामान्य वर्ग के टंकक अभ्यर्थियों के सम्प्रेषण एवं नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं की गई।

89—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[5वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

90--श्री हर्षवर्धन--

[5वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

91-92--श्री हर्ष वर्धन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

93--श्री फजलुल बारी--

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

94--श्री विष्णु देव--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

भारत सरकार से विज्ञापन न पाने वाले समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों में बढ़ोत्तरी

95--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऐसे समाचार-पत्र जो भारत सरकार से विज्ञापन नहीं पाते हैं उनके लिये विज्ञापन दरों में बढ़ोत्तरी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों में वृद्धि के विषय पर वर्ष 1984 में पूर्ण रूप से विचार किया गया था और समाचार-पत्रों तथा उनके संगठनों के अनुरोध पर प्रदेश सरकार की दरों में वृद्धि करने के बजाय डी0 ए0 वी0 पी0 से स्वीकृत पत्रों को दिनांक 22 दिसम्बर, 1984 से डी0 ए0 वी0 पी0 दर दिये जाने का निर्णय लिया गया है । शासन के इस निर्णय से प्रदेश के अधिकांश समाचार-पत्रों को प्रदेश सरकार की दरों से दुगुनी दर प्राप्त होने लगी है ।

प्रदेश सरकार की दर पाने वाले पत्रों को दर के अतिरिक्त वर्ष 1967 से 10 प्रतिशत तथा 1 मार्च, 1974 से 20 प्रतिशत इस प्रकार कुल 30 प्रतिशत अधिभार भी दिया जाता है ।

96--श्री हर्षवर्धन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सहायक आयुक्त बिक्रीकर के पद से उपायुक्त पद पर अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली

97--श्री भगवती प्रसाद--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर के सहायक आयुक्त के पद से उपायुक्त के पद पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति के अधिकारियों से नाम की रोस्टर प्रणाली लागू की जा रही है ? यदि हां, तो कितने अनुसूचित जाति के लोगों को रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

5 अनुसूचित जाति के अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी है तथा एक पद अभी आरक्षित रखा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98-99—श्री भगवती सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रान्तीय खण्ड, सा0नि0वि0, नैनीताल के अधिशासी अभियन्ता के निवास पर पुताई एवं पेंटिंग पर हुआ व्यय

100—मोहम्मद अबरार अहमद इन्जीनियर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल के अधिशासी अभियन्ता के निवास में वर्ष 1985 में पुताई एवं पेंटिंग में कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त कार्य वर्ष 1985 में दो बार कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनीताल के अधिशासी अभियन्ता के निवास में पुताई एवं पेंटिंग का कार्य कलेण्डर वर्ष 1985 में केवल एक बार कराया गया जिस पर रु0 14,678.07 का व्यय आया एवं जिसका भुगतान मार्च, 1986 में दिया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

किसान चीनी मिल बदायूं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

101--मोहम्मद अबरार अहमद इन्जीनियर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के दो शिकायती-पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 1985 जो कि किसान चीनी मिल, बदायूं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में थे, उन्हे मिले हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायती-पत्रों के आधार पर किसी अधिकारी से जांच कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

102—श्री राम जनम यादव--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

नदावर पुल मार्ग निर्माण हेतु ग्राम औरंगाबाद, जनपद देवरिया के कृषकों की अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

103—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नदावर पुल के निर्माण हेतु ग्राम औरंगाबाद, विकास खण्ड सलेमपुर, जनपद देवरिया

की भूमि 1975 में अधिग्रहीत की गई ? यदि हां, तो क्या सभी किसानों को अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नदावर पुल मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम औरंगाबाद विकास खण्ड सलेमपुर, जनपद देवरिया में भूमि दो चरणों में अर्जित की गयी थी जिससे 65 कृषक प्रभावित हुई थे। इनमें से 49 को विभिन्न तिथियों में प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। नोटिस देने के बावजूद शेष कृषक प्रतिकर लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके प्रतिकर की धनराशि रेवेन्यु डिपाजिट मद में जमा करा दी गयी है।

104--श्री भगौती सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फर्रुखाबाद अन्तर्गत श्रृंगी ऋषि आश्रम, रामपुर व च्यवन ऋषि आश्रम चियासर के मध्य स्थित खन्ता नाले पर पुल निर्माण की मांग

105--श्री महरम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम श्रृंगी रामपुर तथा च्यवन ऋषि के आश्रम, चियासर, जनपद फर्रुखाबाद के बीच खन्ता नाला जो लगभग, 40 मी0 चौड़ा है पर पुल का अतिशीघ्र निर्माण करायेंगे ताकि दोनों तीर्थ स्थानों के मध्य यातायात की सुविधा हो सके और सम्बन्धित क्षेत्र की एक लाख से अधिक जनता यातायात की सुविधा से लाभान्वित हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कार्य जिला सेक्टर का है, अतः पुल का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन तथा जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

फर्रुखाबाद के राजेपुर कड़हर मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

106--श्री महरम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में राजेपुर कड़हर मार्ग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कई वर्ष से निर्मित कराया जा रहा है, के लिये सरकार उचित मात्रा में धनराशि देकर अतिशीघ्र निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

स्वीकृत लम्बाई में स्वीकृति के अनुसार लगभग पूर्ण हो गया है। शेष लम्बाई में कार्य अभी स्वीकृत नहीं है। चूंकि कार्य जिला सेक्टर का है अतः जिला समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने तथा जिला योजना में धन की व्यवस्था किये जाने एवं कार्य की स्वीकृति दिये जाने पर निर्भर है।

107--श्री शारदा प्रताप--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा धारा 10-बी के सम्बन्ध में जारी परिपत्र पर कृत कार्यवाही

108--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार हेतु निर्धारित अता0प्र0सं0 109 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 477 माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सन्दर्भगत पत्र में माननीय सदस्य ने जो प्रकल्पनायें और अवधारणायें की हैं, उनका कोई आधार नहीं है । फलतः इस पत्र पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

109--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कानपुर की ट्रान्सपोर्ट कम्पनी पर बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा छापा मारने के सम्बन्ध में प्रदत्त-पत्र पर कार्यवाही

110--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 475 मुख्य मन्त्री को दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

111--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

वर्तमान आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा सरकारी गाड़ी का प्रयोग

112--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि वर्तमान आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा सरकारी गाड़ी प्रयोग करने के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 102 मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 4 अप्रैल, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

113--श्री कुशल पाल सिह--

[दिनांक 23 जून, 1987 को अतारांकित प्रश्न संख्या 154 द्वारा उत्तरित]

गन्ना विकास परिषद्, सरदार नगर, जनपद गोरखपुर द्वारा निर्मित सोनबरसा से बरसैनी रसूलपुर रोड की मरम्मत

114--सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में गन्ना विकास परिषद्, सरदार नगर द्वारा कई वर्ष पूर्व सोनबरसा से बरसैनी रसूलपुर रोड कंकड़ से निर्माण कराई गयी थी जो इस समय क्षतिग्रस्त हालत में है और आवागमन में जनता को कठिनाई हो रही है तथा इसी मार्ग पर एक पुल भी टूटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग एवं पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिह--

प्रश्नगत गन्ना विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1963-64 में सोनबरसा से बरसैनी रसूलपुर रोड कंकड़ से निर्माण कराया गया था। अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अंशदायी आधार पर सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य कराया जाता है। चूंकि सरदार नगर परिषद् अपना 50 प्रतिशत अंश, धनाभाव के कारण, देने में सक्षम नहीं है, अतः उक्त सड़क के मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मयूख महर, श्रमिक, वन विभाग, पिथौरागढ़, अस्कोट द्वारा किया गया अनियमित कार्य

115--श्री काशी सिह ऐरी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मयूख महर, श्रमिक द्वारा पिथौरागढ़ अस्कोट राजि लाट नं0 17 में करवाए जा रहे कार्य की जानकारी प्रभागीय लोगिंग अधिकारी, वन निगम, पियौरागढ़ एवं अन्य सम्बन्धित वनाधिकारियों को थी ? यदि हां, तो उसी कार्य हेतु दिनांक 1 मार्च, 1986 को निविदायें आमंत्रित क्यों की गयी ? यदि नहीं, तो दिनांक 2 सितम्बर, 1985 से 1 मार्च, 1986 तक लगातार 600 श्रमिकों द्वारा लगभग 25,000 कुन्टल माल सड़क पर पहुंचा दिये जाने पर भी सम्बन्धित एवं उत्तरदायी वनाधिकारियों के अनभिज्ञ रहने की इस लापरवाही पर सरकार द्वारा क्या उन्हें बण्डित करने हेतु कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

अस्कोट राजि पिथौरागढ़ में वन निगम को आवंटित लाट नं0 17/85-86 में श्री मयूख महर, श्रमिक द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्य की जानकारी प्रभागीय लोगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, पिथौरागढ़ एवं अन्य सम्बन्धित वनाधिकारियों को दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 तक नहीं थी क्योंकि कार्यादेश जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (इस मामले में प्रभागीय लोगिंग प्रबन्धक) द्वारा किसी के नाम कोई कार्यादेश नहीं जारी किया गया था। लाट संख्या 17/85-86 में चल रहे कार्य की जानकारी राजि अधिकारी, अस्कोट राजि से प्रभागीय लोगिंग प्रबन्धक को दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 को प्राप्त हुई तथा इस अवैध कार्य को तत्काल बन्द कराया गया एवं श्री

का आंकलन करवाया गया। इसके पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य लाटों के साथ-साथ लाट संख्या 17 की निविदा दिनांक 1 मार्च, 1986 को आमंत्रित की गई।

वन निगम को आवंटित लाट सं0 17/85-86 अस्कोट, पिथौरागढ़ राजि में श्री महर के साथ अवैध कार्य में लिप्त विभागीय कर्मचारी को पैतृक विभाग को अवमुक्त किया जा चुका है तथा उनके द्वारा कृत अवैध कार्य पर उन्हें आवश्यक आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

116-117--श्री हर्षवर्धन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये।]

श्री राम पाल सिंह नयाल, स0 लो0 सु0 वन निगम कार्यालय, पिथौरागढ़ का रद्द कार्यादेश

118--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किसी व्यक्ति को कार्यादेश प्रदान करने हेतु सहायक लोगिंग सुपरवाइजर सक्षम अधिकारी हैं ? यदि हां, तो वन निगम कार्यालय, पिथौरागढ़ के स0 लो0 सु0 श्री राम सिंह नयाल द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को पिथौरागढ़ अस्कोट राजि लाट नं0 17 में कार्य करने हेतु दिया गया आदेश प्रभागीय लोगिंग अधिकारी वन निगम, पिथौरागढ़ के पत्रांक 848/ग्राम वन उपज दिनांक 15 मार्च, 1986 द्वारा अमान्य किए जाने का आधार क्या था ?

श्री जफर अली नकवी--

जी नहीं।

क्योंकि वन निगम में कार्यादेश देने हेतु प्रभागीय लोगिंग प्रबन्धक सक्षम अधिकारी हैं अतः उनके अधीनस्थ सहायक लोगिंग अधिकारी द्वारा की गई तत्विषयक कार्यवाही नियमित नहीं है।

119--श्री काशी सिंह ऐरी--

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

120--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

121--श्री राज किशोर सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

श्री सन्तोष कुमार, मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सा0 नि0 वि0 द्वारा निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय आरोप-पत्र एवं जांच

122--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में श्री सन्तोष कुमार, मुख्य अभियंता (परिवाद) को उनकी इस पद पर तैनाती के उपरान्त अब तक

कितने निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये, उनमें से कितने मामले में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 7/8-1977 कार्मिक दिनांक 30 जुलाई, 1977 के अनुसार जांच एक माह में पूरी करके जांच आख्या शासन को भेजी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री संतोष कुमार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता (परिवाद) के पद पर तैनाती के उपरान्त 30 निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये तथा 7 निलम्बित अधिकारियों की जांच पूर्ण कर जांच आख्या भेजी गयी ।

123--श्री मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

जनपद फर्रुखाबाद अन्तर्गत घटिया घाट पर सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित नलकूप की मरम्मत पर वर्षवार व्यय तथा पीने हेतु पानी की टंकी के निर्माण पर व्यय

124--श्री महरम सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में गंगा के पक्के पुल के निकट घटिया घाट पर विभाग द्वारा कोई नलकूप बनाया गया था और उसमें सरकार की काफी धनराशि खर्च हुई है ? यदि हां, तो सा0 नि0 विभाग द्वारा उक्त नलकूप का निर्माण कब कराया गया और उसमें कितनी धनराशि व्यय हुई तथा जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1987 तक प्रति वर्ष कितना धन उक्त नलकूप पर व्यय किया गया ? क्या उक्त नलकूप से पानी उपलब्ध हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

नलकूप का निर्माण गंगा नदी पर लोहिया सेतु के निर्माण के लिये विभागीय निर्माण इकाई (सेतु) सा0 नि0 विभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 1971 के पूर्व कराया गया था । जो अब सेतु निगम में समायोजित हो गया है । इस पर होने वाला व्यय पुल की लागत में सम्मिलित है । नलकूप पर किया गया व्यय अलग से उपलब्ध नहीं है ।

नलकूप की मरम्मत पर वर्षवार निम्न प्रकार व्यय किया गया :--

1/81 से 3/81 तक	शून्य
वर्ष 1981-82	शून्य
वर्ष 1982-83	शून्य
वर्ष 1983-84	रु0 700.00
वर्ष 1984-85	शून्य
वर्ष 1985-86	शून्य
वर्ष 1986-87	रु0 2200.00

जी हां ।

125--श्री महरम सिंह--

क्या प्रा0 वि0 मंत्री को यह भी जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़िया घाट पर सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाया गया राजकीय नलकूप का उपयोग विभाग के कार्यों तथा जनता के हितों के लिये बिल्कुल नहीं हो रहा है और क्या जिला 20 सूत्री समिति फर्रुखाबाद के द्वारा लिये गये निर्णय तथा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के द्वारा दिये गये आदेशों के संदर्भ में गंगा के पक्के पुल तथा टोलटैक्स व चौकी के बीच जनता के पीने के लिये पानी को उपलब्ध करने के सम्बन्ध में जो टंकी बनाई गई थी वह कब से बन्द पड़ी है ? और नलकूप से पानी नहीं उपलब्ध कराया गया इसके क्या-क्या कारण हैं और टंकी के निर्माण में कितना धन खर्च हुआ ? किस व्यक्ति (अधिकारी) की असावधानी के कारण जनता को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप का उपयोग किया जा रहा है ।

टंकी बन्द नहीं पड़ी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टंकी के निर्माण में रु0 4500 व्यय हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जेल बरेली से भागे कैदियों की जांच तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

126--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछली दीवाली की रात्रि को बरेली जिला जेल में 2 कैदियों के भाग जाने के मामले में कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच किसने की, क्या तथ्य प्रकाश में आये और तथ्यों के आधार पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

घटना की जांच उप कारागार महानिरीक्षक, मेरठ क्षेत्र द्वारा करायी गई । जांच से विदित हुआ कि पलायन करने वाले दो विचाराधीन बन्दी बैरक नं0 4 की तलाश छोड़कर हाते में आये और हाते में लगे नल को निकाल कर उसके सहारे मुख्य प्राचीर फांदकर कारागार से बाहर निकल गये ।

पलायन की इस घटना में दोषी पाये गये एक उप कारापाल, एक सहायक कारापाल, एक प्रधान बन्दीरक्षक व तीन बन्दीरक्षकों को निलम्बित कर दिया गया और इसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । एक अन्य उप कारापाल व एक सहायक कारापाल के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त तीन अस्थायी बन्दीरक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गई, दो प्रधान बन्दीरक्षकों को बन्दीरक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित करके निलम्बित कर दिया गया और उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा एक प्रधान बन्दीरक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । अधीक्षक व कारापाल के भी स्पष्टीकरण मांगे गये हैं ।

सेतु निगम अभियन्ता संघ की वेतनमान, समस्याओं सम्बन्धी मांगें

127—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम अभियन्ता संघ के वेतनमान लागू करने तथा अन्य समस्याओं सम्बन्धी पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का 20 दिसम्बर, 1986 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु उन्होंने सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा था ? यदि हां, तो सेतु निगम अभियंता संघ की प्रमुख मांगें क्या हैं ? इसके समाधान के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

1—वेतनमान में संशोधन

2—प्रोन्नति

2—संविलयन

4—प्रतिनियुक्ति

1—सार्वजनिक उद्यमों के लिये गठित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने में हो रही कठिनाइयों पर विचार करने हेतु गठित सचिव समिति ने सहायक अभियंताओं का वेतनमान निम्न प्रकार संशोधित किया है और इसी के अनुसार इस पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है :—

रु0 900–1770

रु0 1020–1770 (दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)

रु0 1350–2100 (दस वर्ष बाद)

2—उक्त परियोजना प्रबन्धक के पद पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा की जा रही है ।

3—वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जी–4–1660/10/84–1925, दिनांक 1 दिसम्बर, 1984 द्वारा जारी की गयी संविलियन नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है ।

4—सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेतु निगम में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि शासनादेश संख्या 4375–ई–जी/23–सा0 नि0 अनु0–5–350 ईजी/82, दिनांक 16 अक्तूबर, 1984 द्वारा जनहित में दिनांक 31 मार्च, 1985 तक बढ़ा दी गयी थी । तदोपरान्त दिनांक 26 अगस्त, 1986 को यह निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि जिन्होंने निगम में शर्त रहित विकल्प नहीं दिया है उन्हें 31 मार्च, 1985 के बाद प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा और यदि भुगतान हो गया है तो उसे वसूल किया जाय ।

श्री नारायण वंद्य व श्री परिक्षित वंद्य नि0 बहरुआ कालोनी, जनपद पीलीभीत द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति से लिये कर्ज की अनियमित वसूली

128—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री नरायण वंद्य पुत्र श्री जदुनाथ वंद्य निवासी बहरुआ कालोनी, डाकखाना–मझोला, जनपद पीलीभीत ने वर्ष 1985–86 में

मझोला स0 गन्ना विकास समिति से पचास कट्टा यूरिया खाद व दस कुन्तल बीज जिसकी कीमत लगभग आठ हजार रुपये अनुमानित है, लिया था, किन्तु वर्ष 1986-87 में पास बुक नं0 4187 के माध्यम से सहकारी समिति ने रु0 40251.37 की वसूली का नोटिस दिया है ? इसी प्रकार इसी ग्राम के श्री परिक्षित वंद्य पुत्र श्री नारायण वंद्य ने इसी समिति से पच्चीस कट्टा यूरिया तथा दस कुन्टल बीज जिसका अनुमानित मूल्य पांच हजार दो सौ पाचस रुपया है, को पास बुक संख्या 4185/86-87 में रुपया 51,541.54 का नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर गन्ना विकास समिति मझोला द्वारा श्री नारायण वंद्य एवं श्री परिक्षित वंद्य पर गलत ऋण का नोटिस वापिस लेने एवं केवल सही कर्ज ही वसूल करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । श्री नारायण वंद्य पुत्र श्री जदुनाथ वंद्य ग्राम बहरूआ डाकखाना-मझोला, जनपद पीलीभीत में गन्ना समिति मझोला से 160 बोरी एन0 पी0 के0, 103.5 कुन्तल गन्ना बीज तथा 40 बोरी यूरिया जिसकी कुल कीमत 32,072.22 रुपया वर्ष 1984-85 में लिया था । इसी ग्राम के श्री परिक्षित पुत्र श्री नारायण वंद्य ने 87 बोरी यूरिया, 197 बोरी एन0 पी0 के0 तथा 100 कुन्तल गन्ना बीज जिसकी कुल कीमत 43,113.11 रुपया होती है, समिति से ऋण के रूप में लिया था । श्री नारायण को अंकन 40,252.04 तथा श्री परीक्षित को 51,541.54 रु0 रुपया का ब्याज सहित नोटिस दिया गया है जो सही है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा तहसील तरबगंज अन्तगत तरबगंज-करनीपुर सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

129--श्री धनराज यादव--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में सन् 1978-79 अथवा 79-80 में सार्व0 निर्माण विभाग से तरबगंज-करनीपुर सम्पर्क मार्ग निर्माणार्थ स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस मार्ग में कितनी लम्बी सड़क बन चुकी है और कितनी शेष है ? अवशेष सड़क को सा0 नि0 वि0 कब तक बनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी, नहीं । प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है, जिसकी स्वीकृति जिला समिति के अनुमोदन एवम् धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री-यमुनोत्री, बद्रीनाथ-केदारनाथ में पर्यटकों की सुविधा हेतु सुलभ शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण

130--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1136/86, दिनांक 30 जून, 1986 के द्वारा इस विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुयी कि उत्तरकाशी में गंगोत्री-यमुनोत्री तथा चमोली में केदारनाथ-बद्रीनाथ के यात्रा मार्गों में भारत वर्ष के दूरदराज से आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को मलमूत्र विसर्जन करने में अत्यन्त कठिनाई होती

है ? यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य सुलभ शौचालय तकनीक के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

1--प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

2--गंगोत्री-यमुनोत्री, बद्रीनाथ-केदारनाथ, यात्रा मार्ग पर वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में क्रमश: 5 एवं 8 (कुल 13) स्थानों पर सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स बनाने की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं । इनका निर्माण सुलभ इन्टरनेशनल को सौंपा गया है ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम द्वारा स्थानीय आंचलिक संस्कृति के विकास एवं परिवर्द्धन हेतु चलचित्र निर्माण में प्रदेश सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता

131--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के माध्यम से स्थानीय आंचलिक संस्कृति के विकास एवं परिवर्द्धन हेतु चलचित्र निर्माण के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु क्या-क्या शर्तें निर्धारित हैं ? वर्ष 1980 से 1986 के बीच किन-किन व्यक्तियों को किन-किन चलचित्रों के निर्माण हेतु क्रमश: कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ? उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु क्रमश: कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ? उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु कितने प्रकरण जनवरी, 1986 से 30 अप्रैल, 1987 तक लम्बित थे ? इनके शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के माध्यम से स्थानीय आंचलिक संस्कृति के विकास एवं परिवर्द्धन हेतु चलचित्र निर्माण के लिये किसी प्रकार की वित्तीय सहायता शासन द्वारा नहीं दी जाती है । उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सब्सीडी प्रदान की जाती है :

1--जिन फिल्मों की लागत रु0 20 लाख अथवा अधिक हो उनकी फिल्म की लागत का 5 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रंगीन फिल्म के लिये 3 लाख रुपया तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्मों के लिये 1.5 लाख रु0 निर्धारित की गयी है । यदि फिल्म का निर्माण 20 लाख रुपया या उससे कम हो तो फिल्म की लागत का 10 प्रतिशत या अधिक से अधिक 1 लाख रुपया सब्सीडी के रूप में दिया जाता है ।

2--फिल्म की लम्बाई 3657.60 मीटर 35 एम0 एम0 में (12,000 फीट) से कम नहीं होना चाहिए इसमें डाक्यूमेन्ट्री फिल्में, बच्चों की फिल्में तथा शिक्षा सम्बन्धी फिल्में सम्मिलित नहीं की जायेंगी ।

3--फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र-प्राप्त होना चाहिये तथा फिल्म की शूटिंग 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में की गयी हो ।

वर्ष 1980 से 1986 के बीच चलचित्रों के निर्माण हेतु सब्सीडी दिये जाने से सम्बन्धित विवरण संलग्नक "क" पर उपलब्ध है। जनवरी, 1986 से 30 अप्रैल, 1987 तक सब्सीडी हेतु 8 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये उनकी सूची संलग्नक "ख" पर उपलब्ध है नियमानुसार इनको सब्सीडी दिये जाने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही है

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 139 पर)

132--श्री अशोक बाजपेई--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

133 से 135--श्री हर्ष वर्धन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

136--श्री शारदानन्द अंचल--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बिक्रीकर अधिकारी, गाजियाबाद, श्री ए0 के0 अग्रवाल द्वारा वाहनों से जमा कराया गया बिक्रीकर

137--श्री फूल कुंवर--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1983-84 में श्री ए0 के0 अग्रवाल, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी 2, सचल दल, गाजियाबाद द्वारा सचल दल में तथा मोहन नगर जांच चौकी पर गेट ड्यूटी के दौरान कितने ऐसे वाहनों से बिक्रीकर जमा कराया गया जो मोहननगर जांच चौकी के अधिकारियों द्वारा पास किये जा चुके थे? क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री बी0 के0 अग्रवाल बिक्रीकर अधिकारी, गुलावटी के कार्यालय के अभिलेख चोरी की सतर्कता जांच

138--श्री फूल कुंवर--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री बी0 के0 अग्रवाल, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, गुलावटी के कार्यालय से कुछ अभिलेख चोरी जाने के सम्बन्ध में प्रदेश पुलिस को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, मेरठ तथा सतर्कता विभाग द्वारा जांच लम्बित थी ? क्या उक्त जांच लम्बित होने के दौरान ही उक्त बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध जुलाई, 1986 में विभागीय कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सतर्कता विभाग की जांच लम्बित है । अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच चलते रहने की सूचना उपलब्ध कराकर माननीय सदस्य को अवगत कराया जायेगा ।

16 जुलाई, 1986 को सतर्कता जांच प्रारम्भ करने से पूर्व ही विभागीय कार्यवाही बही खाते गायब होने के प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर की गयी तथा अधिकारी का निलम्बन आदेश दिनांक 26 जून, 1986 को जारी किया गया ।

सतर्कता जांच प्रकरण से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं तथा प्रकरण से हटकर कुछ अन्य बिन्दुओं पर प्रारम्भ की गयी ।

139--श्री फूल कुंवर--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजियाबाद परिक्षेत्र के बिक्रीकर विभाग से 1 अप्रैल, 1987 को किन-किन मामलों में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच लम्बित थी ? इन मामलों में लिप्त किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजियाबाद में बिक्रीकर अधिकारी के पद पर पांच वर्ष तक रह चुके अधिकारियों की सहायक आयुक्त के पद पर पुनः तनाती

140--श्री फूल कुंवर--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में वर्ष 1985-86 में व उसके बाद से कुछ ऐसे बिक्रीकर अधिकारी व सहायक आयुक्त तैनात किए गये हैं जो वर्तमान तैनाती के दिनांक से पूर्व की पांच वर्ष की अवधि में बिक्रीकर अधिकारी के पद पर गाजियाबाद जनपद में ही तैनात रह चुके थे ? क्या मंत्री जी उक्त अधिकारियों के नाम गाजियाबाद में वर्तमान तैनाती के आदेश का दिनांक तथा गाजियाबाद में पूर्व तैनाती की अवधि सूचित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 141 पर)

जनपद गाजियाबाद के बिक्रीकर खण्ड-3 में फार्म नं0 31 का दुरुपयोग

141--श्री फूल कुंवर--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में गाजियाबाद के खंड 3 में फर्जी व्यापारी व बन्द फर्म को फार्म नं0 31 के जारी होने व दुरुपयोग का एक मामला प्रकाश में आया था ? क्या मंत्री जी उक्त मामले के तथ्यों का विवरण देने का कष्ट करेंगे ? इस प्रकरण में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

142--श्री काशी सिंह ऐरी--

(6 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

143--श्री काशी सिंह ऐरी--

(दिनांक 23 जून, 1987 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित)

144--श्री यदुनाथ सिंह--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

श्री विश्वनाथ, ताड़ी ठेकेदार, लखनऊ के कर निर्धारण में राजस्व की हानि

145--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के बिक्रीकर कार्यालय के खंड 2 में विश्वनाथ, ताड़ी ठेकेदार के कर निर्धारण में वर्ष 1975-76 व 1976-77 में राजस्व की हानि के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1326 वित्त मंत्री को ता0 19 अक्तूबर, 1984 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र पर कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य को अलग से अवगत करा दिया जायगा ।

श्री ओम प्रकाश, भांग व्यापारी, चौक का पारित कर निर्धारण आदेश तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही

146--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1973-74 के दौरान रूप-पत्र 4 न दाखिल करने के कारण अस्थायी कर आदेश पारित किये गये और पंजीयन न कराने के कारण अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी थी ? क्या उक्त वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किया गया और असली मालिक व सम्पत्ति का पता लगाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय के बिक्रीकर अधिकारी, सचलदल द्वारा अवैध हल्दी की बरामदगी

147--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि माह दिसम्बर, 1985 में आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय के बिक्रीकर अधिकारी, सचल दल ने 6 लाख रुपया की हल्दी पकड़ी थी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 881 दिनांक 3 फरवरी, 1986 मुख्य मंत्री को ता0 3 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है कि बिक्रीकर अधिकारी, सचल दल ने दिसम्बर, 1985 में 6 लाख रुपए की हल्दी पकड़ी थी । माल का भौतिक अभिग्रहण दिसम्बर, 1985 में नहीं किया गया था । वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर रेलवे अभिलेखों आदि से की गई जांच के आधार पर यह करापवंचन का मामला, जो जुलाई, 1984 में घटित हुआ था, प्रकाश में आया था ।

माननीय सदस्य का दिनांक 3 फरवरी, 1486 का कोई पत्र तो नहीं किन्तु पत्र सख्या-881, दिनांक 8 जनवरी, 1986 प्राप्त हुआ है ।

इस पत्र पर जांच की गई और इसमें उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित व्यापारियों के विरुद्ध विधि के अधीन कार्यवाही की जा रही है ।

आयुक्त, बिक्रीकर बनाम वी0 के0 इन्डस्ट्रीज, नैनी में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

148—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या-131 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाद में सर्वेक्षण दिनांक 18 अप्रैल, 1974 के आधार पर कितना कर लगा था जो अधिकरण के निर्णय से रद्द हो गया था और जिसको पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय ने की थी ? क्या यह सही है कि आयुक्त ने यह महसूस किया कि इसके बाद में द्वितीय अपील में और माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन में विभाग की ओर से उचित पैरवी नहीं हुई है ? यदि हां, तो विभाग की ओर से पैरवी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले में व्यपारी द्वारा घोषित 1,48,203.07 रु0 के बिक्रय धन एवं 10,025.31 रु0 के स्वीकृत कर के विरुद्ध व्यापारी पर 3,15,562.00 रु0 के बिक्रयधन पर 22,341.86 रु0 कर लगाया गया था जो अधिकरण के निर्णय से रद्द हो गया ।

यह सही है कि बिक्रीकर आयुक्त ने इसी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था कि यदि मामले में इस प्रकार तर्क किया होता कि व्यापारी के व्यापार स्थल पर पाये गये कागजात के विषय में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का भार व्यापारी पर ही है तो सम्भवत: अधिकरण द्वारा इस दृष्टिकोण से भी विचार किया गया होता । तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस तर्क के बावजूद इस मामले में अधिकरण का अथवा बाद में उच्च न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से अन्यथा ही होता । इस मामले में सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी दो कापियां, जिनमें रुपयों की आमद और खर्च का कुछ हिसाब लिखा हुआ था, अधिगृहीत की गयी थीं । व्यापारी ने इसके सम्बन्ध में कर निर्धारण के समय यह स्पष्टीकरण दिया था कि ये कापियां उसके कर्मचारी श्री मोती लाल सिंह के व्यापार से सम्बन्धित थीं, जिसको स्वीकार न करके विवेकानुसार कर-निर्धारण किया गया था । करदाता द्वारा अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने बाद को पुन: कर निर्धारण हेतु प्रति-प्रेषित कर दिया गया जिसके विरुद्ध व्यापारी ने द्वितीय अपील की । द्वितीय अपील में अधिकरण ने यह पाया कि इस बीच व्यापारी के सम्बन्धित कर्मचारी की, जिनसे उक्त कापियों के सम्बन्ध में जांच करके स्थिति स्पष्ट करायी जानी थी, मृत्यु हो गयी और फलत: चूंकि आगे जांच सम्भव नहीं थी, उन्होंने आदेश को निरस्त कर दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की । इस प्रकार इस मामले में चूंकि आगे कार्यवाही सम्भव ही नहीं थी, इसे और आगे नहीं बढ़ाया गया , फलत: यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के दोष के कारण मामले में कोई राजस्व हानि हुई है । अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

149–150--श्री राज किशोर सिंह--

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये)

उर्दू पत्रकारों को एवार्ड दिये जाने की घोषणा

151--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने जून, 1986 में यह "घोषणा" की कि शासन की ओर से प्रतिवर्ष 5 उर्दू के "पत्रकारों को एवार्ड" दिया जाया करेगा ? यदि हां, तो उन्होंने अब तक इस घोषणा पर कितने उर्दू के पत्रकारों को एवार्ड दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

अभी तक किसी भी उर्दू के पत्रकार को एवार्ड नहीं दिया गया । औपचारिकता पूर्ण की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के निलम्बित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं की बहाली

152--श्री विक्रमादित्य पांडेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता हैं जिन्हें निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है ? क्या उनकी निलम्बन अवधि को देखकर शासन के आदेश के अनुसार शीघ्र बहाल करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में दो अधिशासी अभियन्ता तथा 19 सहायक अभियन्ता ऐसे हैं, जिन्हें निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है । नियमानुसार निलम्बित अधिकारियों के मामलों का पुनरीक्षण 6 माह पर किया जाता है और जिन मामलों में बहाली का औचित्य पाया जाता है, उन्हें बहाल किया जाता है । इन मामलों में परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

153–154--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये)

155--श्री हर्ष वर्धन--

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया)

156--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

शासनादेशानुसार सचिवालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

157--श्री झिलमिट राम--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के समस्त विभागों/अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 18/2 प्रतिशत के आरक्षण को सुनिश्चित एवं पूर्ति हेतु शासनादेश संख्या 15/28/73-रा0 एको-13, दिनांक 26 फरवरी, 1976 के अनुसार आदर्श क्रमावली (रोस्टर) पंजी बनाई गई है ? यदि हां, तो कब से और उक्त आधार पर सभी सम्वर्गों में आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासनादेश संख्या 15/28/73-रा0 एको-13, दिनांक 26 फरवरी, 1976 में निर्धारित पंजी सचिवालय प्रशासन विभाग में बनाने के आदेश कर दिये गये हैं ।

सचिवालय सेवा के सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति के लिये निर्धारित आरक्षण, केवल उन संवर्गों को छोड़कर जहां निर्धारित अर्हताओं के एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता है, को पूरा किया गया है । अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है क्योंकि अपेक्षित अर्हता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं ।

158--श्री राज किशोर सिंह--
(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।)

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक भगतपुर टांडा में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की धीमी प्रगति

159--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के विकास खंड भगतपुर टांडा में वर्ष 1985-86, 1986-87 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है जिससे निर्धारित लक्ष्यों एवं सृजित मानव दिवसों की पूर्ति नहीं की जा सकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मुरादाबाद के विकास खंड भगतपुर टांडा में वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति सामान्य स्तर की रही । प्रगति विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 144 पर ।)

नैनीताल का समीपवर्ती इलाका आतंकवादियों की शरणस्थली

160--श्री विक्रमादित्य पांडेय--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि नैनीताल एवं उसके पास का इलाका आतंकवादियों का शरणस्थल बना हुआ है ? यदि हां, तो उसे समाप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

काफी छानबीन व प्रयास के बाद अभी तक नैनीताल एवं उसके आस-पास का इलाका आतंकवादियों का शरण स्थल बने होने की पुष्टि नहीं हो पाई है । तथापि राज्य सरकार इस ओर सतर्क है और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं ।

161--श्री मयंकर सिंह--

(6वें मंगलवार के लिए स्थगित)

162--श्री सुखपाल पाण्डे--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

163--श्री यदुनाथ सिंह--

(6वें मंगलवार के लिए स्थगित)

164--श्री यदुनाथ सिंह--

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

नारायन भण्डार, डालीगंज फर्म, लखनऊ का कर निर्धारण

165--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय में बिक्रीकर अधिकारी खण्ड 10 ने ता0 31-12-79 को फर्म नरावन भण्डार डालीगंज का वर्ष 1975-76 व 76-77 का कर आदेश पारित किया और क्रमशः रुपया 25,223·67 व 33,375·00 की मांग निकाली और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 171 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 23-2-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस व्यापारी के प्रश्नगत वर्ष के कर निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावली अपराध अनुसंधान शाखा को जांच हेतु भेजी गई थी, जो वापस प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में जब तक सम्बन्धित पत्रावली वापस प्राप्त न हो माननीय सदस्य के पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

अमीनाबाद (लखनऊ) स्थित भांग की दूकान से बिक्रीकर कार्यालय, लखनऊ के खण्ड पांच को राजस्व की हानि

166--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 144 के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 46 मुख्य मन्त्री जी को ता0 6-9-85 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र पर कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य को अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

167--श्री यदुनाथ सिंह--

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

बिक्रीकर अधिकारी, देहरादून, द्वारा फर्म कृष्ण स्टील्स कं0 में अर्थदण्ड का नोटिस गलत क्लाज में होने के बारे में दिये गये पत्र पर कार्यवाही

168--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पांचवें मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 26, के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 904, वित्त राज्य मन्त्री जी को ता0 17-6-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पत्र पर कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य को अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

मन्त्रिमण्डल सदस्यों द्वारा जेब खर्च हेतु आहरित धन

169--श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा कुल कितना-कितना धन पाकेट खर्च के रूप में आहरित किया गया ? क्या मन्त्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 146 पर ।)

170--श्री विष्णु देव--

(सदन को सेवा के निलम्बित होने के कारण निरस्त ।)

171--श्री यदुनाथ सिंह—

(6वें मंगलवार के लिए स्थगित ।)

जनता शासन काल में स्वीकृति बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित बलिया आरा के सिन्हा घाट पर पैनटून पुल की प्रगति

172--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् 1978-79 जनता शासन काल में बिहार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बलिया आरा सीमा पर सम्मिलित रूप से सिन्हा घाट पर

पैन्टून पुल लगाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान मंत्रि परिषद् में अविश्वास सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने एक सूचना दी है । वर्तमान मंत्रि परिषद् के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी है

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आज इस प्रश्न का प्रेस नहीं करना चाहता हूं, आप नियमों को निलम्बित करके जो औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है, पहले उसको ले लें । यह मेरा प्रस्ताव है कि आप नियमों को निलम्बित करके औचित्य के प्रश्न को पहले ले लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जब इन्होंने दे दिया है, तो यह सदन की संपत्ति बन गयी है । मैं चाहता हूं कि इसको अभी लिया जाये ।

(कई विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

आप सभी खड़े हो गये तो क्या होगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप नियमावली के नियम 315 को देखें, अगर आपकी अनुमति हो तो कह दूं । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है, वह एजेन्डा में किस समय आयेगा । आप मान्यवर, नियम 315 देख लें । उसका खण्ड 25 देख लें । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, तत्काल जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, नियमों में है कि अविश्वास का प्रस्ताव उसी उपवेशन में सदन की नियमित कार्यवाही के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा । नियम 315 को देख लें और उसी के अनुसार कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इससे पहले भी मैंने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है । नियमों में इसके लिये व्यवस्था है कि 14 दिन के बाद सचिव अनुज्ञा के लिये उसे पेश करेंगे । इसलिये मैंने कहा कि नियम 315 के तहत जो व्यवस्था है, मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव बाद में आयेगा, इसलिये पहले आप नियमों..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये 14 दिन की आवश्यकता है लेकिन इसमें नहीं है । मैं रवीन्द्र नाथ जी के प्रश्न को रख रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

अब यह प्रस्ताव मेरे सामने आ गया है । मैं मजबूर हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है, इस पर मैं सदन की अनुज्ञा प्राप्त करता हूं ।

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

चूंकि अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये, इसलिये सदन की अनुज्ञा नहीं प्राप्त हुई ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(* * *)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा । अब आपका प्रस्ताव हो चुका ।

नोट :--[***] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(* * *)

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा । जब आपने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया तो प्रश्नोत्तर के बाद उस पर निर्णय लेना आवश्यक है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(* * *)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(* * *)

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

इस पर व्यवस्था तो हो गई । अब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आप नियम 275 देखें ।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरी व्यवस्था के बाद इस विषय पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है..

(व्यवधान)

इसके अलावा यदि आप कुछ बोलना चाहें....आप सब खड़े हैं तो मैं किसको बुलवाऊं ।

निलम्बित सदस्यों के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने की मांग

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, जितना समय इस आदरणीय सदन का नष्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है और मैं नहीं कहूंगा कि आपके ऊपर ही है ....

(व्यवधान)

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आदरणीय तिवारी जी ने एक अविश्वास का प्रस्ताव रखा और उसकी नोटिस की सूचना दी..

(व्यवधान)

आज 52 लोग आदरणीय सदन से बाहर हैं तो इस सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं है। जनतांत्रिक परम्पराओं का पालन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रोज आश्वासन देते हैं कि आज उनके सम्बन्ध में मीटिंग होगी, कल तय कर लेंगे लेकिन टलते जा रहे हैं। हर चीज की सीमा होती है सारी शालीनता और जनतांत्रिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये हमने उन पर विश्वास किया कि वह जल्दी इसका निराकरण कर देंगे लेकिन हो क्या रहा है 52 लोग बाहर हैं उनके क्षेत्र के लोग समस्याओं को लेकर आते हैं।

(व्यवधान)

उनकी बातों को वह सदन में नहीं रख पा रहे हैं।

(व्यवधान)

52 लोग सदन से बाहर हैं रोज आश्वासन हो रहा है लेकिन प्रस्ताव नहीं। सरकार के सारे काम हो रहे हैं कोई काम रुका नहीं है सारी मीटिंग हो रही है लेकिन अहम मुद्दे पर विचार नहीं हो रहा है। हमको अंधकार में रखा गया है, गलत बयानी की जा रही है। जब तक मुख्य मंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री जी यहां इस संबंध में स्पष्ट घोषणा नहीं करेंगे, हम और हमारे दल के लोग सदन में नहीं बैठेंगे।

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जिस सिलसिले में मेरा निर्णय हो गया है उस सिलसिले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 275 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगर इजाजत दें तो एक मिनट में अपनी बात कह दूं। मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब इस सिलसिले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपके फैसले से संबंधित नहीं है मैं केवल 275 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसमें लिखा हुआ है "मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा

(व्यवधान)

इसमें पहले (क) जो है उसे पढ़ कर सुना दूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह मेरी व्यवस्था के बारे में ही तो है

(व्यवधान)

नहीं उसके बारे में नहीं होगा । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े पर)

(व्यवधान)

तिवारी जी आपका क्या औचित्य का प्रश्न है । यदि मेरी व्यवस्था के बारे में है तो उस सिलसिले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं आपका ध्यान केवल नियम 275 (क) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें पहले मैं अनुज्ञा मागूंगा । मैंने अनुज्ञा मांगी नहीं आपने प्रस्ताव उपस्थित कर दिया । हम सोच रहे थे कि जब एजेंडा का अंतिम आईटम आयेगा उस समय तक हमारा कोरम पूरा हो जायेगा और तब हम अनुज्ञा मांगेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप अनुज्ञा मांगे, आप खड़े नहीं हुये, मैं चिल्लाता रहा ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आप कार्यवाही देख लें, जो सजा कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा मैंने अनुज्ञा मांगी होगी तो । बिना अनुज्ञा मांगे आपने वोट के लिये रख दिया

(व्यवधान)

आप कार्यवाही मंगा कर देख लें मैंने अनुज्ञा मांगी होगी तो जो सजा देंगे वह मेरे लिये शिरोधार्य होगी लेकिन बिना अनुज्ञा मांगे किस नियम के तहत वह सदन में पेश किया गया । मैं नियमों का हवाला दे रहा हूं । मने आपके खिलाफ भी और माननीय उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव दिया था उसमें यह है कि 14 दिन के बाद लाया जा सकता है तो इसमें भी नियम 275 (क) में है कि मैं अनुज्ञा मागूंगा तब उसे वोट के लिये रखेंगे

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

अब यह बार-बार इस बात को किस नियम के तहत कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जब आप अनुज्ञा मांगने के लिये खड़े नहीं हुये तो मुझे लाजम हो जाता है कि मैं आपके प्रस्ताव को प्रस्तुत करूं ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय, वह खड़े हुये थे ।

श्री अध्यक्ष—

अब उस सिलसिले में कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक नये सन्दर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मान लिया जाये कि अनुज्ञा मांगने का किसी को अधिकार है, आपने पुकारा और वह खड़ा नहीं हुआ, तो इसके माने समझा जायेगा कि वह प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, या अनुज्ञा आप पेश कर देंगे, इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें ।

मान्यवर, नियम है जो भी प्रस्ताव या निर्णय सदन कर देगा उस मामले में उस सत्र में या 6 महीने में उस पर चर्चा नहीं होगी लेकिन प्रतिपक्ष के पास अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है लेकिन वह अधिकार भी हमारा समाप्त हो गया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि अनुज्ञा मांगने वाला सदस्य, जिसको आपने पुकारा, अनुज्ञा न मांगे तो क्या अध्यक्षपीठ को अधिकार है कि वह अपने श्रीमुख से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

अनुज्ञा मांगने के लिये अनुरोध किया और वह खड़े हों, न खड़े हुए तो प्रस्ताव गिर गया ।

नियम 301 के अन्तर्गत आज केवल 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं, शेष अस्वीकार की गयी हैं । स्वीकार की गयी सूचनाएं श्री अमिताभ अनिल दुबे, श्री बलदत्त द्विवेदी, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री यदुनाथ सिंह, श्री किशन सिंह विलेर, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और श्री मनोहर लाल की हैं ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर के भवन की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं । गाजीपुर शहर में एकमात्र राजकीय बालिका इन्टर कालेज जो लगभग 120 वर्ष पुराना हो चुका है । विद्यालय का आधा भवन धराशायी हो चुका है तथा शेष भाग गिरता जा रहा है । 1972 से लेकर अब तक अनेक बार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है । 1979 में शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस विद्यालय भवन का निरीक्षण कर बनवाने का आश्वासन दिया परन्तु गाजीपुर के जन-प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर इसके सम्बन्ध में अनेक बार शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया । राजकीय बालिका इण्टर कालेज का अवशेष भवन किसी भी क्षण गिर सकता है, जिससे कानून व व्यवस्था की विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

मैं आपके द्वारा शासन से मांग करता हूं कि इसको बनवाने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें ।

फरूंखाबाद नगर में भू-स्खलन का कुप्रभाव होने से सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय, जनपद फर्रुखाबाद में शहर का सबसे धनाढ्य मोहल्ला सधवाड़ा है जो उत्तम छपाई के माध्यम से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। इस सधवाड़ा के छपाई उद्योग के कारण ही फर्रुखाबाद का महत्व है और अकेले इस मोहल्ले में छपाई के ढाई सौ से अधिक कारखाने हैं जिनमें लगभग पांच हजार छपाई मजदूर कार्य करते हैं।

विगत सप्ताह से अचानक सधवाड़े के मुख्य मार्ग पर तिराहे पर बहुत बड़े एरिया में जमीन का नीचे धंसना प्रारम्भ हो गया है। यहां तक कि चन्द दिन में पूरा तिराहा और आसपास की पक्की जमीन धंसकर एक तालाब के रूप में हो गयी है। दिनांक 12-7-1987 को पानी बरसने पर यह भू-स्खलन और भी तीव्र हो गया है और तिराहा व आसपास के नागरिक बुरी तरह आतंकित हो गये हैं। वहां से आवागमन पूर्णतया बन्द हो गया है और पास-पड़ोस की ऊंची-ऊंची इमारतों के ध्वस्त हो जाने का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। नगरपालिका के अधिकारी व अभियन्तागण इस भू-स्खलन का कारण तक नहीं जान पा रहे हैं। इस घटना से पूरे नगर में भय व आतंक व्याप्त है। मजदूर अपने काम पर जाने से डर रहे हैं और छपाई उद्योग बुरी तौर से प्रभावित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से इस भू-स्खलन को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने एवं तिराहे पर क्षतिग्रस्त मार्ग एवं स्थल को पुनः मरम्मत कर चालू कराये जाने की मांग करता हूं।

लखनऊ स्थित राजा बिजली पासी के किले का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अध्यक्ष जी, पासी वंशज ऐतिहासिक स्थल महराजा विजली के किले को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत करने के सम्बन्ध में 5-7-87 को दारूलशफा कामन हाल में एक जन सभा हुई। जिसमें विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा तार खम्भे घेर कर किला पर कब्जा करने की कार्यवाही पर रोष प्रकट किया गया। इस सभा में मन्त्री विधायक सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वसम्मति से जन समूह ने कहा कि यदि राजा बिजली पासी का इतिहास मिटाया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

लखनऊ जिला गजेटियर वालूम 37 (ब्रिटिश काल) पेज 137-138 लखनऊ नगर में परगना बिजनौर स्थित बंगला बाजार के समीप सैकड़ों बीघे में टीले के रूप में चिन्ह अवशेष हैं। राजा बिजली की प्रतिमा स्थापित है। गजेटियर में यह भी वर्णन है कि आल्हा ऊदल का लखनऊ के गूजर पासियों ने डटकर मुकाबला किया। मशहूर है यह युद्ध तीन महीने तेरह दिन चलता रहा।

बिजनौर के पासी राजा बिजली जिनके नाम पर बिजनौर का नाम पड़ा। उनके पास बारह किले थे और ककौरगढ़ में (ककोरी का पूरा नाम) पासी राजा था।

मल्लिहाबाद के पासी एवं अन्य राजाओं ने 918 में एक बहुत बड़ा राज स्थापित किया था ।

अत: इस अविलम्बनीय राष्ट्रीय इतिहास के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि महराजा बिजली पासी के किले को प्राधिकरण से मुक्त कराकर शीघ्र पुरातत्व एवं पर्यटक विभाग को सौंप कर विकसित किया जाय । लखनऊ शहर के लिए यह राष्ट्रीय किला अत्यन्त महत्व पूर्ण है ।

विकास खंड सीखड़, मिर्जापुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खंड सीखड़ द्वारा कराये जा रहे फ्री बोरिंग योजना, कुआं की खुदाई, मिलन केन्द्र एवं खड़ंजा आदि कार्यों में लाखों रुपये का घोटाला वहां के खंड विकास अधिकारी तथा ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) की मिलीभगत से किया गया है । फर्जी मस्टररोल भरकर पैसा लेकर मजदूरों को पेमेन्ट न करने से उनको हजारों रुपये का निजी लाभ हुआ है । फ्री बोरिंग योजना में किसानों को कम पाइप देकर ज्यादा रिकार्ड में चढ़ाया गया है तथा 500–500 रुपये प्रति किसान से अवैध रूप से लेने से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है साथ ही ग्राम मेड़िया के प्रधान द्वारा खड़ंजा बिछाने हेतु 6,000 रुपया लेकर 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक खड़ंजा नहीं बनवाया गया । वहां की जनता का शासन से विश्वास उठने लगा है । जो शासन के लिये शर्मनाक बात है । अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जांच कराकर दोषी अधिकारी को दंडित करने की मांग करता हूं ।

खैर रोड, अलीगढ़ स्थित शराब के ठेके को हटाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं ।

नगर अलीगढ़ में खैर रोड की तरफ शराब का ठेका घनी आबादी के बीच में स्थित है । जहां उस मोहल्ले की जनता की तरफ से प्रशासन को लिखकर दिया गया कि यहां से ठेका हटा दिया जाय क्योंकि जहां शराब का ठेका है वहां सभी गृहस्थ लोग रहते हैं । पीने वाले व्यक्ति बराबर ही अनाप–शनाप बकते हैं, बहू बेटियों का आवागमन बना रहता है । इसलिये ठेका का वहां रहना अनुचित है । जनता कि मांग पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो उसी मोहल्ला की महिलाओं बच्चों ने 1 मई, 1987 से धरना देना शुरू कर दिया है जो आज तक महिलायें धरने पर बैठी है । जिला प्रशासन ने ए0 डी0 एम0 सिटी से जांच भी करायी है, जांच मे भी यही आया है कि शराब का ठेका यहां गृहस्थ मोहल्ले के बीच में सही नहीं है । इस जांच के बाद भी कुछ नहीं हुआ । धरना आज तक भी जारी है । माननीय, मैं मांग करता हूं कि आप सरकार को बाध्य करें कि ठेका को वहां से तुरन्त हटाने के लिये प्रशासन को आदेश दे कि वहां से शराब का ठेका हटा दिया जाय । यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है ।

नगर पालिका, उन्नाव द्वारा नालों की सफाई अभियान में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कानपुर, लखनऊ के बीच फंसे जनपद उन्नाव में 3 एवं 7 जुलाई की वर्षा से ओवरब्रिज के नीचे, सदर चौकी, सिविल लाइन, जगन्नाथगंज, पूरब खेड़ा मोतीनगर, गांधीनगर, आदि मोहल्लों में पानी भर जाने से उन्नाव नगर पालिका द्वारा चलाया गया नालों की अभूतपूर्व सफाई अभियान का पर्दाफाश हो गया है। जनपद की जल निकासी के लिये दो करोड़ रुपये की जरूरत थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मन्त्री जी ने केवल 50 लाख रुपया देने की घोषणा जनपद उन्नाव में की थी। वह धनराशि भी आज तक नहीं पहुंची है वर्षा शुरू हो चुकी है। उसी के साथ जनपद उन्नाव शहर के लगभग सभी मुहल्ले प्रत्येक वर्ष के बरसाती जुल्म की आशंका में डूब गये हैं। नतीजा आने वाली मानसूनी वर्षा बतायेगी कि सरकार द्वारा जल निकासी का परिणाम कितने प्रतिशत सफल रहा है। मैं माननीय इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जल निगम अभियन्ता उन्नाव को निदेश दिया जाय कि ऐसी सम्मिलित योजना बनाये कि जिससे गंगा घाट, शुक्लागंज नगर की जल समस्या एक साथ ही निपट जाये और नगर की जल निकासी योजना तब तक सही नहीं होगी जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होगा। जनपद में अभी 16 तालाब मौजूद हैं जिनकी जल निकासी के आगे शासन आज भी नतमस्तक है।

अतः सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि मेरी 301 के अन्तर्गत आखिरी सूचना पढ़ी, और आपने कहा था कि नियम 301 के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाये, तो मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अब 301 खत्म हो गया है अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं जब आपने मुझसे कहा कि आप बैठ जायें तो मैं बैठ गया। मान्यवर, अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 3 जुलाई को नियम 56 के तहत मैंने एक प्रश्न उठाया था उसमें आपने यह स्वीकार किया कि 13 जुलाई को यहां पर मंत्री जी वक्तव्य देगें लेकिन मान्यवर, 13 जुलाई कल थी और मान्यवर, यह मामला करोड़ों-करोड़ों मछुआरों के संबंध में था, सीताराम निषाद जी बैठे हुए हैं, मान्यवर, कल इस मसले पर वक्तव्य आना था लेकिन कल नही आया, तो मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको दिखवा लूंगा। नियम 300 के अन्तर्गत आठ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें एक सूचना डाक्टर विनेश जौहरी और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है। यह कार्यसूची मे मद संख्या 12 है वही सूचना इन्होंने दी है तो इसको मद संख्या 13 के साथ लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, उस समय बहस प्रारम्भ हो जाएगी ।

श्री अध्यक्ष --

पहले आपको सुन लिया जाएगा । दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की है । रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने शासन द्वारा दिए गये वक्तव्यों के बारे में सूचना दी है, तो यह मामला हमारी नियम समिति के विचाराधीन है । शेष सूचनायें नियम 300 में नहीं आती हैं इसलिए मैं सबको अस्वीकार करता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

कोई सूचना नियम 300 में नहीं आती है, आप सब बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नही जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, अपने दल के सदस्यों पर आपका नियन्त्रण होना चाहिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आप मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने कल्याण सिंह जी को बुलाया है । मैं पहले उनको सुन लूं । आप बैठें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । माननीय हरेन्द्र सिंह ने जो गम्भीर प्रश्न उठाया था, उसके बारे में माननीय सदन के अन्दर आश्वासन दिया गया था तो आश्वासन क्यों नहीं पूरा किया गया बस इतनी सी बात है । उसके बारे में बता दिया जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

नोटः।--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे निर्णय देने के बाद तो सवाल नहीं उठता ।

निलम्बित सदस्यों के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने की मांग

(क्रमागत)

श्री कल्याण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । 3 सप्ताह हो गये हैं इस सदन के 52 माननीय सदस्य निलम्बित पड़े हुये हैं । इस सदन का प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है । हमारे प्रदेश के 52 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की जनता की समस्यायें, सवाल और उनके दुखदर्द को कहने वाला यहां कोई नहीं है । एक प्रकार से 52 माननीय सदस्यों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहीं पर उन 52 निर्वाचन क्षेत्रों की जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है । सरकार की हठवादिता और वादा खिलाफी के कारण यह स्थिति पैदा हुयी है । श्रीमन्, पश्चिम बंगाल में तीन दिन लगातार विपक्ष द्वारा धरना दिया गया और संयोग से वहां पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है । वहां की सरकार ने वहां के विधायकों को निलम्बित नहीं किया । इसी तरह से कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार है वहां विपक्ष में कांग्रेस बैठती है । सप्ताह तक धरना दिया गया लेकिन वहां पर किसी को निलम्बित नहीं किया गया । यहां पर 52 लोग लगातार तीन सप्ताहों से निलम्बित हैं पूरे सत्र के लिये । यह सरकार का अलोकतांत्रिक कदम है । माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है । इसकी कसूरवार सरकार है । सरकार की हठवादिता के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण यह स्थिति पैदा हुयी है । स्थानीय निकायों, जिला परिषदों, ग्राम सभाओं, सहकारिता और न्याय पंचायतों के चुनाव टालते रहने की प्रवृति से विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया तो उनको निलम्बित कर दिया गया । कसूरवार सरकार है और उसको सजा उठा रहा है विपक्ष । चाहिये तो था कि सरकार सदन से बाहर की जाती लेकिन जो कसूरवार है, मुलजिम है वह सरकार सदन में बैठी है और जिनका कोई कसूर नहीं है वह बाहर हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से और आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 52 सदस्य निलम्बित हैं वह बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 12 परसेंट हिस्सा सदन का निलम्बित पड़ा हुआ है । हमारी मांग है कि इन 52 सदस्यों के निलम्बन को आज ही, इसी क्षण तत्काल समाप्त किया जाय और इसको स-सम्मान, बिना शर्त समाप्त किया जाय । अगर आज शाम को सदन उठने तक इसकी घोषणा नहीं करते, मैं सदन के आज उठने तक का समय देना चाहता हूं । अगर सदन उठने तक आज सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की और निलम्बन समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया, जो 52 लोग हैं उनके निलम्बन को आज ही समाप्त नहीं किया गया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि फिर इस प्रकार के सदन में, जिसका रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर नहीं रह गया हो, जहां पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जहां लाठी-गोली की सरकार हो, ऐसे सदन में हमारे बैठने की उपयोगिता है या नहीं और जब तक निलम्बन वापस नहीं हो जाता तब तक हम सदन में आये या न आये, इस पर हमारी पार्टी बहुत गम्भीरता से विचार करेगी । मैं आज सायंकाल सदन उठने तक का समय सरकार को दे रहा हूं, सरकार विचार कर ले ।

(श्री शत्रुद्ध प्रकाश के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वही चीज आप भी कहेंगे ।

(व्यवधान)

जब एक सदन का निश्चय हो गया है तो वह 300 के अन्तर्गत उठाया ही नहीं जा सकता है ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जो मामला सदन में उठाया है, उससे मैं भी और मेरा दल भी पूरी तरह से अपने को सम्बद्ध करता हू । मैं भी यह समझता हूं कि जिस व्यवस्था के तहत विरोध पक्ष के 52 सदस्यों ने जो यहां धरना दिया और जिसमें सरकार ने एक बार नहीं दर्जनों बार वायदा खिलाफी करी, अनेकों बार सदन के अन्दर और सदन के बाहर इस प्रकार की घोषणाएं की कि वह जल्द से जल्द नगर महापालिकाओं के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव, प्रधानों के चुनाव और सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव करवाने का वायदा किया और जब-जब भी वह समय आया उन्होंने उस वायदे को तोड़ा । मान्यवर, उसको पूरा करने के बजाय किसी न किसी बहाने से वायदे को तोड़ा । इसमें उन सदस्यों ने, हमने भी और हमारे कुछ सदस्यों ने भी उस बात पर बल दिया कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि निश्चित समय के अन्दर वह चुनाव करायेगी । लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा पाई । उसके विरोध में जो धरना दिया गया और इस सदन में धरना देने के लिए सजा आपने दिया कि पूरे सत्र के लिए उन सदस्यों का बहिष्कार कर दिया ।

मान्यवर, मुझे भी सदन के अन्दर लगभग 15-16 साल हो चुके हैं । मैंने अपने पूरे 15-16 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा प्रस्ताव लाया गया हो और कभी भी एक सदस्य को भी पूरे के पूरे बजट सत्र के लिए निष्कासित किया गया हो, निलम्बित किया गया हो । मैं समझता हूं कि अपनी संख्या के बल पर यह सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है । यहां पर यह रवैया उचित नहीं है, यह लोकतंत्र के विरोध में है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, बल देकर मांग करता हूं कि इन 52 सदस्यों को जिन्हें आज 3 सप्ताह से अधिक हो चुके हैं सदन के बाहर रहते हुए, अपने क्षेत्र की प्रवेश को अनेकानेक समस्याओं को उठाने का मौका दें जिसे वह नहीं उठा पा रहे हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव यह लायें उस पर पुनर्विचार करें और निर्णय करें कि जिस नियम के तहत उनका जो निलम्बन हुआ है उन 52 सदस्यों का, उसको वापस करें अन्यथा मैं समझता हुं कि मुझे और मेरे दल को इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इस सम्बन्ध में हम कौन सा कदम उठायें । यह जो सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है, मैं इसका विरोध करता हूं और अनुरोध करता हुं कि यह जो निलम्बन किया गया है इसको सरकार वापस ले ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता इस सम्बन्ध में बोल चुके हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार वीर बहादूर सिंह की चल रही है, इसका कोई जनतांत्रिक मूल्य नहीं है । इसलिए बदले की भावना से इन्होंने ऐसी कार्यवाही की है कि आज 52 सदस्य यहां से बाहर हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और त्रिपुरा की सरकार में देखें ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो माननीय कल्याण सिंह जी ने औचित्य का एक प्रश्न उठाया और उसमें 52 सम्मानित सदस्यों के निलम्बन करने की बात कही । मान्यवर, आप जानते हैं कि पहले भी हमने निवेदन किया था आपके माध्यम से कि जहां तक इनका निलम्बन वापस करने का प्रश्न है, उस पर सरकार को किसी प्रकार से आपत्ति नहीं है । माननीय कल्याण सिंह जी ने 2 चीजों को मान्यवर, मिला दिया एक तो सदन के निर्णय को और दूसरे सरकार की गतिविधियों को या उसके कार्यकलापों को। यह निर्णय सदन का है । इससे हमारा कोई तालुक नहीं है । सदन ने निर्णय लिया है, इसको औचित्य में नहीं उठाया जा सकता । हम इसके हिमायती हैं कि जो माननीय सदस्य बाहर हैं उनको अन्दर आना चाहिये । आपको याद होगा आपने दो बैठकें रखी थीं । पहली बैठक किन्हीं कारणों से न हो सकी । दूसरी बैठक के दौरान आप अस्वस्थ हो गये । आपसे निवेदन है कि आप नेताओं की बैठक बुला लें । मैं कल्याण सिंह जी से सहमत हूं । हम इस पर कोई तर्क नहीं लाना चाहते और न ही हमारी तरफ का कोई सदस्य तर्क लाना चाहता है । हम चाहते हैं कि सभी सम्मानित सदस्य यहां बैठें, विरोध की आवाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उठायें । ऐसा वातावरण जरूर बनायें कि विरोध पक्ष की आवाज प्रदेश में जा सके न कि यहीं घुट कर रह जायें । जैसा कल्याण सिंह जी ने, राजेन्द्र गुप्ता जी या और सदस्य व्यवहार करते हैं अनुशासित वे में अपनी बात कहते हैं, संसदीय मर्यादा में रहते हैं, ऐसा होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके एक बैठक बुला लें और उसमें पूरी बात तय कर लें । हम तैयार हैं कि जो सदस्य हैं उनको वापस लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस सिलसिले में कल ही मीटिंग बुलाई है 15 तारीख को ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज ही बुला लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

पहले से निर्धारित है ।

श्री कल्याण सिंह—

हमारा आपसे निवेदन है कि यह बैठक आज ही बुला लेनी चाहिए । आज यह फैसला हो जाना चाहिये । कल तक के लिये क्यों टाला जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । 15 तारीख मैंने पहले से ही निर्धारित कर दी है ।

श्री कल्याण सिंह—

हम आप का बड़ा सम्मान करते हैं । मेरी बात सुन लें जो मीटिंग कल बुलाई जा रही है, उसे आज बुलाने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, आपने निर्णय दिया है खासकर संसदीय कार्य मन्त्री के प्रस्ताव पर । सभी नेताओं की मीटिंग बुला लें कल सदन के पहले । इसके पहले कि हमें सोचना पड़े कि कल इस सदन में आयें या न आयें । आपका निर्णय शिरोधार्य है । साथ ही साथ इतना कहूंगा कि कल के बजाय आज मीटिंग बुला लें ।

श्री अध्यक्ष—

आज कोई समय निकाल कर रख लो जायेगी मीटिंग ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, बात तय हो गई ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (क्रमागत)

*श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जो अराजकता फैलायी है, उसके बारे में कहा । राज कुमार एडवोकेट की हत्या हुई उसकी जांच की । दो लाख रुपये के मुआवजे की बात है । इन बातों को गृह मन्त्री जी ने मना कर दिया । उसके बाद एक चिट्ठी लिखवा कर भेजा एक आदमी के नाम । आपके प्रयास से उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ने सी0बी0आई0 को सौंप दिया । दूसरी बात प्राविजन में है । गृह मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि दोनों मामलों की जांच सी0आई0डी0 से करा देंगे । दूसरे मान्यवर, शाहजहां नाम की एक औरत, जिसका पुलिस द्वारा बहुत उत्पीड़न किया गया है और भी पुलिस के लोगों ने जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । प्रोसीडिंग की कापी भी हमारे पास है मान्यवर, उसमें माननीय गृह मन्त्री जी द्वारा उस डी0वाई0एस0पी0 के ट्रांसफर की बात कही गई है, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वह पुलिस का अधिकारी आज भी वहां मौजूद है, उसी तरह से । मान्यवर, 20 तारीख को यह घोषणा सदन में हुई थी और आज 14 जुलाई हो गई है । वहां पर इस मामले को लेकर बहुत तनाव है, मान्यवर, एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की गई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने जो कहा कि मुजफ्फरनगर में इस मामले में सी0 बी0 आई0 इन्क्वायरी के लिए, इस सम्बन्ध में मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को पत्र भेजा जा रहा है, आज ही वह जारी हो जायेगा। दूसरे मान्यवर, हमारा एक अनुरोध आपसे और है कि उस बैठक को या तो आज लन्च में बुला लें या फिर कल सुबह बुला लें क्योंकि आज गृह विभाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है।

(एक साथ विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर कि नहीं मान्यवर आज के लिए आपने निर्णय दे दिया है, इसलिए आज ही होना चाहिये।)

श्री अध्यक्ष--

आज ही लंच के अवकाश में बुला लीजिए। अब आप लोग बैठिये।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हमारी बात का पूरा जवाब नहीं आया, सी0बी0आई0 की जांच के लिये कहा गया है, मान्यवर, इनसे यह आश्वासन दिलवा दीजिये कि उस डी0आई0एस0पी0 को तुरन्त यहां से हटवा दिया जायेगा, वरना मान्यवर, सदन को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाने देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें, अब मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, मद संख्या-4, माननीय काशी सिंह ऐरी।

(घोर व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांति बनाए रखें, इस पर निर्णय हो चुका है, अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें। मलिक जी अपने अपनी बात पूरी कह ली और उस पर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने भी जवाब दे दिया कि वह आज ही सी0बी0आई0 जांच के लिए लिख रहे हैं, पत्र आज ही जारी हो जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय, गृह मन्त्री जी ने जो इस सदन के अंदर घोषणा की थी, उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

ट्रांसफर के बारे में सदन में घोषणा नहीं होती।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह कहां लिखा हुआ है कि सदन में ट्रांसफर की घोषणा नहीं होती ? मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र मलिक जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है इस सदन में कि माननीय गृह मन्त्री जो ने आश्वासन दिया है, उद्धरण वह कार्यवाही का दे रहे हैं कि 30 जुलाई को उन्होंने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था और आज 14 जुलाई हो रही है, जिसके नाते वहां पर तनाव बना हुआ है । मान्यवर, आपने कहा कि सदन में कोई घोषणा नहीं होती है ....

श्री उपाध्यक्ष--

ट्रान्सफर की नहीं होती है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, इसी सदन में पहले भी की जा चुकी है । आप मान्यवर, पिछले सत्रों की कार्यवाहियों को देख लें । अगर माननीय मन्त्री जी घोषणा न करें तो इतना तो कह ही दें 30 जुलाई को उन्होंने जो आश्वासन दिया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई । इतना तो माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं । आज 16 दिन हो गये, एक औरत पुलिस के उत्पीड़न से आत्महत्या कर लेती है, तो माननीय मन्त्री जी इतना तो कह ही सकते हैं कि क्या कार्यवाही की गई । अगर 16 दिन बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो औचित्य नहीं उठेगा तो क्या होगा ?

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 30 तारीख को माननीय हरेन्द्र सिंह ने अपने जनपद की एक समस्या उठायी थी, उस समय सदन में जो आश्वासन दिया गया था, उसकी पूर्ति नहीं की गई तो उन्होंने आज नियम 300 के माध्यम से आपका संरक्षण चाहा है । उस दिन जो बात हुई थी उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है । इसमें मैंने कहा था कि माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक का जो कहना है, मन्त्री जी समझ नहीं पाए । इनका कहना है कि जिन 3 सिपाहियों ने कत्ल किया था, उसको पुलिस ने छिपाने की कोशिश की और जब जनता का दबाव पड़ा तभी मुकदमा दर्ज किया । जिन अधिकारियों ने एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, कम से कम उसका ट्रान्सफर तो कर दीजिये । इस पर श्री गोपी नाथ दीक्षित ने कहा कि उनके ट्रान्सफर की कार्यवाही की जायगी । तो मान्यवर, मेरा आपसे कहना है कि सदन में कोई भी मन्त्री-मण्डल का सदस्य कोई बात कहता है तो उसका पालन होना चाहिये । यहां बात कहने के बाद ये वचनबद्ध हो गये तो अब इसमें माननीय मन्त्री जी को कौन सी परेशानी है, माननीय गृह मन्त्री जी बतायें कि सदन के अन्दर जो आश्वासन उन्होंने दिया था कि कार्यवाही की जायगी, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई । वे कारण बता दें तो माननीय सदस्य का रोष समाप्त हो जायगा ।

गृह मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

मान्यवर, इस सदन को जो आश्वासन हमने दिया था, वह अब भी दे रहा हूं कि निश्चित रूप के जिस कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति होने जो थोड़ा बहुत समय लगा है, मैं चेष्टा करूंगा कि यथाशीघ्र उसकी पूर्ति हो जाय ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह बता दें कि उन्होंने कौन सी जांच करवाई, उनके परिवार को कितना पैसा दिया और किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की····

श्री उपाध्यक्ष—

मलिक साहब उन्होंने कह तो दिया कि व्यवस्था करेंगे····

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, ये इस मामले को छिपा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो सदन चल रहा है, फिर देख लिया जायगा । वह कह रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे । इससे ज्यादा और क्या करेंगे । कौन हटाया जायगा, कौन रखा जायगा, यह सदन में कहने की बात नहीं है····

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब मन्त्रि-परिषद् में संयुक्त उत्तर-दायित्व का अभाव हो जाय तो मान्यवर····

श्री उपाध्यक्ष—

अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था, वह खत्म हो गया है । मैं इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(मद संख्या-4 पुकारे जाने पर ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा आपसे यह कहना है कि आप नियम 300 देखें जब मंत्रि-परिषद्····

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । स्पीकर साहब ने जिसको अस्वीकार कर दिया, उस पर किसी को सुनने का अधिकार मुझको नहीं है, न मैं सुनूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं केवल एक जानकारी के सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अध्यक्ष पीठ से एक बार निर्णय हो गया, उस पर दोबारा चर्चा को मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आपसे पहले माननीय अध्यक्ष उस पीठ पर विराजमान थे····

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप माननीय अध्यक्ष जी से पूछ लीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, उस आसन पर इस समय आप विराजमान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । माननीय ऐरी जी को बुलाया है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, इस पीठ पर इस समय आप विद्यमान ह, आपसे पूर्व माननीय अध्यक्ष जी वहां विराजमान थे । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी जानकारी चाह रहे हैं । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी स्पेसिफिक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उस विषय में कुछ नहीं कहेंगे । वह एक सामान्य जानकारी चाह रहे हैं । आप इस सम्बन्ध में जो वह जानकारी चाह रहे हैं यदि इस समय दे सकते हों, तो दे दें अन्यथा बता दें कि बाद में दे देंगे, निर्णय के लिये रिजर्व कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप किस नियम के तहत कह रहे हैं कि इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं । मैंने कह दिया कि मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आपने बगैर सुने ही कह दिया कि मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं 3 से नियम 300 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने माननीय काशी सिंह ऐरी को बुलाया हुआ है ।

[समय 1 बजकर 12 मिनट]

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे कमतोली नामक स्थान से तहसील पिथौरागढ़ में स्थित घाट के पुल तक इड़कानी, धनौरा, तौली, विनायक, मड़कोली गांव से होकर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने में विषयक याचिका

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे कमतोली नामक स्थान के तहसील पिथौरागढ़ में स्थित घाट के पुल तक, इड़कानी, धनौरा, तौली, विनायक, मड़कोली गांव से

होकर, नोटिस में जो विषय दिये जाते हैं उन पर श्री दिनेश चन्द्र गोड़, सांसद बदायूं, जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, मैंने तो सिर्फ अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया । आप मेरी व्यवस्था की बात सुन लें ।

माननीय, मंत्रिपरिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी है और माननीय जितने मंत्रि-परिषद् में संयुक्त दायित्व का अभाव है, तो यह एक संवैधानिक संकट का प्रश्न है । इसको उठाने के लिये, यहां जो परम्परा है....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप मेरी पूरी बात तो सुन लें, आगे व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी आप तो विद्वान आदमी हैं बनारस के रहने वाले हैं, सब बातों में पारंगत हैं । मंत्रिपरिषद् में क्या हो रहा है इससे मेरा तो कोई वास्ता है ही नहीं । मंत्रिपरिषद् के बारे में कुछ बात लानी है, तो अविश्वास प्रस्ताव के रूप में कहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, मेरा अविश्वास प्रस्ताव से मतलब ही नहीं है । मंत्रिपरिषद् सदन के प्रति जिम्मेदार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सम्बन्धित नियम के तहत सूचना देंगे तो उसे देखा जायेगा । मैं अभी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, आप बहुत विद्वान हैं, अगर यह चीज नियम 300 के अन्तर्गत यहां नहीं कहा जा सकती, तो फिर विधान सभा को नियमावली के किस नियम में आ सकती है । आप बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियमावली पढ़ लें, नियम ढूंढ़ लीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरी जानकारी में यह है कि यह नियम 300 में ही उठ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत इजाजत नहीं दे रहा हूं । उनमें सब अस्वीकार हो गये ।

श्री सईदुज्जमा--

माननीय, मद संख्या 4 भी हो गई है । अब यह सब किस बात पर बहस हो रही है । आप आगे का कार्य लेने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र जी, बैठ जायं । आप नियमावली देख लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आप अपने सेक्रेटरी से पूछकर बता दीजिये कि यह किस नियम के तहत बात उठाई जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैं अगला मद लेता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मद संख्या 5 के सम्बन्ध में मैंने लिखित रूप में दिया है । आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैंने मद संख्या 5 के बारे में लिखित रूप में दिया है । आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया । आपने उस मद को लिया ही नहीं, आगे की मद ले ली । आज सुबह ही मैंने अपनी सूचना लिखित रूप में भेजी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज आयी है, उसका परीक्षण होगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, आप मुझे सुन तो लीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना प्राप्त हो गई है, उसका पहले परीक्षण हो जाय, मैं भी उसे देख लूं। वैसे आप कल बोल लें, अब हम आगे निकल गये हैं।

नियम-56 के अन्तर्गत मुझे 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

1—श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुबर दयाल वर्मा—आगरा के दस्यु प्रभावित क्षेत्र चम्बल डाल योजना,

2—श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री किरनपाल सिंह—प्रवेश में हाई स्कूल व इण्टर में प्रवेश की समस्या,

3—श्री कल्यान सिंह, श्री अवनीश कुमार सिंह—मुरादाबाद में पुलिस द्वारा मा0 ज0 पा0 कार्यकर्ताओं की पिटाई,

4—श्री सूर्य प्रताप शाही—वाराणसी जनपद में हवाई जहाज से चीनी साहित्य गिराया जाना।

5—श्री अनुग्रह नारायन सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री मूल चन्द्र, चन्द्र सेन सिंह और श्री लक्ष्मी नारायण—इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अनियमित ढंग से मकानों का गिराया जाना।

6—श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री दिवाकर विक्रम सिंह और श्री फागू चौहान—आजमगढ़ थाना निजामाबाद में असामाजिक तत्वों द्वारा एक परिवार की हत्या,

7—डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह और श्री किशन लाल—बरेली स्थित इफ्को फैक्ट्री में गोली चलने से मजदूर घायल,

8—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—फैजाबाद में तहसील अकबरपुर में फर्जी बैनामें,

9—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—प्रदेश की खाद्यानों की कीमत में वृद्धि,

10—श्री यदुनाथ सिंह—मिर्जापुर में चिकित्साधिकारी का अपहरण,

11—श्री बदन सिंह—आगरा में सेना की चांदमारी से गांवों का उजड़ना,

12—श्री हरिश चन्द्र हरीश जी—वाराणसी में कई स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी,

13—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—बहजोई, मुरादाबाद में अल्प संख्यकों एवं पिछड़े वर्ग की दुकानों को उजाड़ने के सम्बन्ध में,

14—श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री जगदीर सिंह गांधी, डाक्टर बंगाली सिंह, श्री किशनलाल दिलेर—अलीगढ़ जनपद में 300 प्राईमरी अध्यापकों के पद कीलित (फ्रीज) होने से शिक्षा कार्य में बाधा,

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—बिना स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं का शिलान्यास करने से मंत्रियों की छवि धूमिल,

16—श्री जनार्दन प्रशाद ओझा—जनपद नैनीताल के तराई क्षेत्र की चकबन्दी न कराये जाने से आन्दोलन,

17--श्री रिछपाल सिंह बंसल--गाजियाबाद, थाना लोनी में धारा-144 का दुरुपयोग,

18--श्री राम नरेश यादव--कानपुर देहात में दयोगा ग्राम में डकैती,

19--श्री मनोहर लाल--थाना मोगनीपुर, जनपद कानपुर में डाकुओं का आतंक,

20--श्री सत्य प्रकाश विकल--प्रदेश में संगठित अपराधी गिरोहों द्वारा जान से मारने की धमकी,

21--श्री शारदा प्रताप--शोतीशील सचिवालय कालोनी की समस्याएं ।

सबसे पहले माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल ग्राह्यता पर ही बोलें और 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री मनोहर लाल--

माननीय, डकैतों के सम्बन्ध में हमारा भी एक मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज गृह विभाग का बजट है, उसमें डकैतों की ही चर्चा होनी है, इसलिए उसमें अपनी बात आप कह देना ।

*श्री विजय सिंह राणा--

माननीय, मैं इसकी ग्राह्यता पर बोलूंगा । 1979-80 में जब माननीय श्री राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री थे, तब उस समय दस्यु क्षेत्र डाला के उत्थान के लिये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी चम्बल डाल योजना बनाई गई थी....। जिसमें हमारे स्थानीय विधायक रिपुदमन सिंह का विशेष नाम था, उन्हीं की पहल पर यह योजना शुरू की गयी थी । 1979 में यह योजना शुरू की गयी और 1985 तक यह योजना बनकर तैयार होनी थी, इसमें कि इस क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत चम्बल लिफ्ट प्रोजेक्ट द्वारा सिंचाई का इन्तजाम करना था । इसका उद्देश्य यह था कि वाह क्षेत्र, जो कि दस्यु प्रभावित है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं केवल ग्राह्यता पर बुलवा रहा हूं, चर्चा नहीं करा रहा हूं, आप केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री विजय सिंह राणा--

यह योजना 1979 में शुरू की गयी और आज तक इसमें जब शुरू की गयी थी तो 6.60 करोड़ रु0 से शुरू की गयी थी और आज 32 करोड़ रु0 लागत पहुंच चुकी है । जो अधिशासी अभियन्ता इस योजना पर तैनात हैं श्री गर्ग, वे आज तक कभी वाह में गये नहीं, आगरे में बैठकर कार्य देखते हैं । डिपार्टमेन्ट का डीजल और पेट्रोल बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं । इसमें भ्रष्टाचार के कई बिन्दु हैं, एक-एक बिन्दु बताना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहला तो यह कि वर्ष 1981 में 1100 मीट्रिक टन कोयला आया था, जिसे कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा हेरा-फेरी करके फिरोजाबाद की एक फैक्ट्री में साझीदार अपने रिश्तेदार को 405 रु0 मीट्रिक टन के हिसाब से बेच दिया गया, जब उसका मूल्य 1500 रुपये मीट्रिक टन था ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर 3000 रु0 अग्रिम लेकर तब टेन्डर मन्जूर किये जाते हैं । जो आदमी वहां पर इग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का स्टेनो है, वह स्वयं ठेकेदारों से मिलाकर ठेकेदारों की पार्टनरशिप में कार्य कर रहा है जिसकी पार्टनरशिप में वह स्टेनो कार्य कर रहा है, उस ठेकेदार को मिट्टी के कार्य का एक अनुबन्ध 25 रु0 प्रति घन मीटर की दर से दिया गया, जबकि दूसरे ठेकेदारों को 18 रु0 प्रति घन मीटर की दर से दिया जा रहा है ।

तीसरी बात यह है कि पॉलीथीन खरीदा गया है नहर के नीचे बिछाने के लिये, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक फर्म से ऊंचे दर पर खरीदा गया है । इस प्रकार, इससे भी लाखों रुपया कमाया गया है ।

गोदाम से सीमेण्ट की खुली चोरी होती है जो कि 25 रु0 प्रति बोरी के हिसाब से बेच दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह चर्चा नहीं हो रही है, आप केवल ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं ।

6 साल पहले खरीदी गयी मशीनरी वहां पर बेकार पड़ी है, जबकि कर्मचारियों के ऊपर एक लाख रु0 से ज्यादा खर्चा हो रहा है और काम नहीं हो रहा है क्योंकि बैठक में कोई जाना नहीं चाहता है । इस तरह से यह पूरी योजना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है । पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करने की यह इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें कि आज अन्दर तक भ्रष्टाचार घुस गया है ।

मेरी मांग है कि जांच करायें, उस अधिकारी का स्थानान्तरण करें और सरकार से आश्वासन दिलायें, कि योजना कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं समझता हूं कि कार्य-स्थगन के जितने भी प्रस्ताव आपके सामने आये हैं, उसमें यह सबसे ज्यादा नई रोशनी देने वाला है । मेरे पुराने मित्र हैं । इत्तफाक से इनका भी पेशा वही रहा है, जो मेरा है । नियम 58 के (2) और (3) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इसमें यह है कि एक ही विषय पर दिया जाय और दूसरा हाल ही में घटित घटना हो, इन्होंने एक तो डाकुओं के सम्बन्ध में कहा है और दूसरा कोयले के सम्बन्ध में...

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के लिये वहां की समस्याओं के निराकरण के लिये यह योजना बनायी गयी थी, जिसमें कि भ्रष्टाचार आ गया है, जो कि पूरी योजना को खाये जा रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी--

हमें कोई शिकायत नहीं है । माननीय सदस्य आगरा के हैं, इसलिये कोई शिकायत नहीं हो सकती ।

मान्यवर, दूसरी बात यह कही कि वैगन्स और रेलगाड़ी के बारे में और तीसरी बात सीमेन्ट की चोरी के बारे में कही । यह कार्यस्थगन में कहां आता है ? यह एक प्रशासनिक बात है उन्होंने इस पर ध्यान आकृष्ट करा दिया, उस पर हम कार्यवाही करेंगे । दस्यु प्रभावित क्षेत्रों का जहां तक सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सन् 1980 से लेकर यानी कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां के मुख्य मंत्री थे और श्री श्रीपति मिश्रा जी यहां के मुख्य मंत्री थे तो उस समय विस्तृत रूप से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी थी, जो काम रह गये हैं उसे पूरा किया जायेगा, यह कार्यस्थगन के रूप में आने की चीज नहीं है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने कार्यस्थगन की सूचना के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हाईस्कूल की नवीं कक्षा में और ग्यारहवीं कक्षा में छात्रों के प्रवेश को लेकर विद्यालयों की संख्या के आधार पर निरन्तर यह समस्या गम्भीर होती चली जा रही है । जहां तक मान्यता देने की बात है, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि विद्यालयों को मान्यता नहीं दी गयी है । वर्तमान स्थिति में जो विद्यालय हैं उसमें छात्रों का प्रवेश सम्भव नहीं है । आपने इस सम्बन्ध में एक विधेयक पारित कर लिया है कि डोनेशन लेकर विद्यालय का विस्तार कर सकते हैं तो जो विद्यालय मान्यता नहीं पा रहे हैं वे छात्र की एक सीट के लिये हजार-हजार रु0 और दो-दो हजार रुपया डोनेशन मांगते हैं जो कि शहरों के लोग तो दे लेते हैं लेकिन बेचारा गांव का आदमी कैसे इतना पैसा दे सकता है, वह अधिक धन देकर अपने बच्चे का प्रवेश कैसे इन कक्षाओं में दिला सकता है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि आज आप सदन की कार्यवाही को रोक कर हमारे इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा दें ।

श्री किरन पाल सिंह--

इस विषय में मैं भी इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा वैसे तो प्रत्येक वर्ष छात्रों के प्रवेश की समस्या रहती है लेकिन इस वर्ष जो रेजल्ट अच्छे रहे हैं जिसके लिये इन्होंने पहले तो कहा था कि मई में प्रवेश सम्पन्न हो जायेंगे लेकिन रेजल्ट देर से आये तो प्रवेश अब शुरू हो पाये हैं । माध्यमिक शिक्षा तो बिल्कुल चरमरा गयी है । जो आपकी दस साल पहले, पांच साल पहले विद्यालयों की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने का आपने क्या कोई प्रबन्ध किया है ? मेरी निश्चित जानकारी है कि दस साल पहले जो विद्यालय थे और उनमें जितने सेक्शन्स थे, आज भी वे उतने के उतने ही हैं । जबकि जनसंख्या के साथ ही साथ छात्रों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है ।

दूसरी बात यह है कि मैंने खुद देखा है बुलन्दशहर में कि विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिये बेचारे अभिभावक अपने बच्चों को लेकर मारे-मारे फिरते हैं । विद्यालयों में डोनेशन की बात हो रही है हमारे जिले में अनेक विद्यालयों में स्माल सेविंग में पैसा जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है । गरीब लोग स्माल सेविंग के लिये या फिक्स डिपाजिट के लिये कैसे पैसा जमा कर सकते हैं ? उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस पर आप अवश्य चर्चा करा दें ।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

यदि आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कह दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यस्थगन का मामला है, इसमें चर्चा नहीं होगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

यह विषय तो 9 तारीख को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

हां, इस पर वक्तव्य स्वीकृत हो चुका है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसको आपको देखना चाहिये था और अब आप कह रहे हैं कि देखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें वक्तव्य स्वीकृत हो चुका है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, इसमें नये तथ्य हैं । इसमें जो प्रश्न उठाया गया है, उससे भिन्न है । बच्चों से चन्दा लिया जा रहा है, सभी जगह प्रवेश की हालत खराब है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको देख लूंगा ।

*शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

माननीय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उस पर 18 जुलाई को वक्तव्य लगा हुआ है । माननीय सदस्य ने कहा कि सत्र के शुरु में प्रवेश की दिक्कत होती है । लेकिन मान्यवर, यह दिक्कत कुछ विशेष और पसन्द के जो स्कूल में उनमें दिक्कत होती है और धीरे-धीरे यह व्यवस्था शिथिल होती है और बच्चे दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेने लगते हैं । जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह अनुमति दे दी गयी है, नई कक्षायें और नये विषयों के खोलने की अनुमति वह दे सकते हैं । जो जी० आई० सी० हैं, उनमें नया विभाग खोलने का प्राविधान किया गया है और कई जिलों में इस तरह की व्यवस्था की भी गयी है । माननीय सदस्य ने कहा कि प्रवेश में डोनेशन लिया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है और जहां पर इस तरह की शिकायत आयेगी, वहां पर कार्यवाही की जायेगी । आपने इस पर वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है, 18 जुलाई को वक्तव्य दिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि जिला योजना में व्यवस्था है नये अनुभाग खोलने की, तो कहां यह व्यवस्था है । माननीय मंत्री जी अपनी बला जिला योजना पर टाल देते हैं, यह बहुत गम्भीर मामला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य के लिये लिया है, चर्चा हो जायेगी । अगर बहुत गम्भीर न होता तो आप उठाते ही क्यों ?

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, यह प्रश्न इस समय और पहले के कई वर्षों में अविलम्बनीय इसलिये हो गया है, क्योंकि बच्चों के प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं, उनसे चन्दा मांगा जा रहा है और चन्दा न दे सकने के कारण जो मेरीटोरियस छात्र हैं, उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है । आपने नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत बच्चों का प्रवेश मई के महीने में करवा दिया और उन्हीं लोगों को प्रवेश मिला जो बड़े घराने के लोग थे, गरीबों के बच्चों को प्रवेश नहीं मिला । मान्यवर, यह समस्या केवल एक ही जिले की नहीं है, सारे प्रदेश की है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रान्ट इन एड की अनुमति दे दी है, तो यह विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या का समाधान नहीं है । सारे प्रदेश में इस समस्या से लोग परेशान हैं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय है । इसलिये इस पर वक्तव्य से काम नहीं चलेगा आप इस पर एक घन्टे की चर्चा करा दें, इसको आप स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य स्वीकार हो गया और इस पर चर्चा दुबारा नहीं हो सकती है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है और विद्यार्थियों के प्रवेश का सवाल है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

इसकी गम्भीरता क्या आप नहीं समझते हैं । मान्यवर, आपके जनपद में भी यह हुआ होगा । आपके पास भी बच्चे आते होंगे । ये डबल शिफ्ट के स्कूल चला रहे हैं । और न कोई साधन दे रहे हैं और आप कहते हैं कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं । आज सारे विद्यार्थी और अभिभावक परेशान हैं । यह लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर स्टेटमेंट लगा हुआ है । जब आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे उसके बाद चर्चा लगा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

यह नया मुद्दा सामने आया है । इस पर चर्चा आप अभी स्वीकार कर लें.... ।

श्री सत्यपाल सिंह--

यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्टेटमेंट और चर्चा में कोई फर्क नहीं है। यदि आप स्टेटमेन्ट से संतुष्ट न होंगे .....

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

कहां कहां पर चन्दा वसूल किया जा रहा है। यह सारे तथ्य आ जायेंगे लेकिन स्टेटमेंट में तो 2/4 सवाल ही कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

स्टेटमेंट के बाद भी आप मांग कर सकते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

स्टेटमेंट के बाद चर्चा कैसे होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको पूरा अधिकार है उसका इस्तेमाल करें।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

वक्तव्य के बाद चर्चा किस नियम में होगी।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, आप चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं सरकार के और आपके इस रवैये के विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ त्याग कर चले गये।)

श्री कल्यान सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बड़े ही दुखी मन से एक गम्भीर बात कहने के लिये खड़ा हूं। मैंने जिस विषय पर कार्य स्थगन दिया है उस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि सरकार से किसी प्रकार के न्याय की आशा शेष नहीं रह गई है। प्रदेश की हालत रोज बिगड़ती चली जा रही है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रोज पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही है, उन्हें जेलों में बन्द किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं। कल भी मैंने यहां पर इसी प्रकार के एक विषय में पीलीभीत का एक मामला उठाया था और आज मैं मुरादाबाद का मामला उठाना चाहता हूं। आज स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश में रोज राजनीतिक कार्यकर्ता पिटते रहेंगे और यहां पर नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें आती रहेंगी। मेरा स्पष्ट आरोप है कि जब से यहां पर वीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री ने कार्यभार सम्भाला है तब से रोज यहां पर जंगल और दरोगा राज कायम हो गया है और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिये कोई अवसर शेष नहीं रह गया है।

मान्यवर, 11 जुलाई को रात को 9 बजे मुरादाबाद में बरवलान क्षेत्र की पुलिस चौकी की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं देवकी और जोगेश्वर

को व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से बड़े अफसरों के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया और कारण यह बताया कि वे लुडो खेल रहे थे। उसके बाद जब तोताराम वहां पर पहुंचे तो उनके सिर पर भी पुलिस ने राइफल का बट मारकर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिसके फलस्वरूप वह मुरादाबाद के अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहा है। इसकी जानकारी होने पर भारतीय जनता पार्टी के नगर के मंत्री डाक्टर अनिल गोयल जब वहां पहुचे हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में बन्द कर दिया। उनकी निर्मम पिटाई की गई और कत्ल के झूठे आरोप लगाकर बन्द कर दिया गया। 12 जुलाई की सुबह भाजपा के जिला महामंत्री श्री प्रेम शंकर शर्मा, प्रवक्ता जो राजकीय इन्टर कालेज में ट्रेनिंग पर आये थे, उनको भी वहीं से गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया। मान्यवर, जो वहां पर एस0 पी0 (सिटी) हैं उनके इशारे पर यह सब हो रहा है। जब ये बरेली में मौजूद थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया और पुलिस ने लोगों को मारा-पीटा था। उनको हवालात में बन्द किया गया और जेल भेज दिया गया। आठ दिन तक आन्दोलन चला और बरेली नगर बन्द रहा। यहां पर सदन से सवाल उठा माननीय गोपीनाथ जी बैठे हुये हैं, उन्होंने उस चीज को समझा और कहा कि ज्यादती हुई है और उनको हटा दिया गया। वहीं एस0 पी0 सिटी, मुरादाबाद पहुंच गये हैं वहां वह द्वेषवश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। इस तरह की कार्यवाही कब तक चलेगी, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता क्या अब राजनीतिक गतिविधियां करना बन्द कर देंगे। यह कैसा लोकतंत्र है, क्या लोग अपनी बात भी नहीं करेंगे। मान्यवर, आरोप क्या लगाया गया है कि इन लोगों ने चौकी पर हमला किया।

(व्यवधान)

श्री हाफिज मोहम्मद उमर--

मान्यवर, यह भाषण हो रहा है या प्राह्यता पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देख रहा हूं आप व्यवधान न करें।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं अपनी बात समझाना चाहता हूं पूरी शक्ति के साथ कोशिश कर रहा हूं कि वह समझे लेकिन अगर कोई न समझ पाये तो मैं उसे समझने की शक्ति नहीं दे सकता हूं और समझ किसी दुकान पर बिकती नहीं कि कह दूं कि जाकर वहां से खरीद लें। तो मैं कह रहा हूं कि क्या-क्या धारायें उनके खिलाफ लगाई गयी संगीन धारायें कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगाई गयी हैं जैसे 307, 332, 336, 147 और 148 और उनको जेल में बन्द कर दिया गया है। मैं दो बातें उठाना चाहता हूं अगर सरकार सहृदय हो और न्यायप्रिय हो जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है। मैं मांग करता हूं कि बिना शर्त उनको रिहा किया जाय और जो झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलाने की बात है उसे समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इतना गम्भीर विषय है कि आप सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर चर्चा कराने की अनुमति दें। क्योंकि यह केवल पीलीभीत और मुरादाबाद तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर जिले में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। इस आमूलचूल चर्चा हो जाय। मेरी प्रार्थना है कि इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की अनुमति दें मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं।

*श्री अवनीश कुमार सिंह--

मान्यवत, पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दमन का जो चक्र चलाया जा रहा है उसकी चर्चा कल भी सदन में हो चुकी है और काफी लोगों ने इस पर विरोध प्रकट किया है । तो उसी प्रकार की घटना मुरादाबाद में बरखला क्षेत्र में फिर दोहराई गयी है । मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी ने काफी बता दिया है । एक बात कहना चाहता हूं कि काइमोदा सिंह जो पिछले वर्ष बरेली में सिटी एस0 पी0 थे उन्होंने जो किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है बरेली में हमारे 22 कार्यकर्त्ताओं को बुरी तरह से पीटा उसमें एक भूतपूर्व मंत्री श्री सत्यप्रकाश जी भी थे उनको काफी चोट आई थी । तो वह पुरानी बदले की भावना से वहां पर कार्य कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, जिस घटना का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, हम उसकी पूरी जानकारी करेंगे और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह निश्चितरूप से करेंगे ।

श्री कल्यान सिंह--

मैंने एक स्पष्ट बात कही कि सारे बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाये गये हैं और उनको जेल भेज दिया गया है । तो मंत्री जी को यह कहने में क्या दिक्कत हो रही है कि उनको रिहा कर देंगे और जो दोषी पुलिस जन हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब भोजनावकाश का वक्त हो रहा है,

(व्यवधान)

सुन लीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अभी गृह विभाग का बजट है । उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री कल्यान सिंह--

यह अनुदान की बात नहीं है झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न हो रहा है और मारापीटा जा रहा है । मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या करने का एक गहरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है । सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा कुचक्र चलाकर मारने की साजिश चल रही है । यह विपक्ष के कार्यकर्त्ताओं की आवाज को दबाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पत्रकारों को दबा दिया जाय ताकि वह कुछ लिख न पायें । सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरी पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री कल्यान सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री मोहम्मद मसूद खां की सूचनाओं को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं और श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना पर सरकार द्वारा जांच हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । बाकी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

अब हम उठते हैं और भोजनावकाश के बाद पुन : 2.45 बजे (अपराह्न) बैठेंगे ।

(1 बजकर 45 मिनट पर सदन भोजनावकाश हेतु स्थगित हुआ भोजनावकाश के उपरान्त 2 बजकर 49 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (पुलिस)

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,43,98,60,000 रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

[समय 2 बजकर 50 मिनट]

मान्यवर, आप और सम्मानित सदस्य भली-भांति परिचित हैं कि समाज की सुरक्षा का दायित्व पुलिस विभाग पर है और समाज की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि समाज में शान्ति हो तभी हमारा विकास और निर्माण का कार्य आगे बढ़ सकता है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो इसकी विशालता है, जो इसकी समस्यायें हैं वह भी किसी से छिपी नहीं हैं ।

इस प्रदेश की सीमा नेपाल से लगी हुयी है । हमारा वह वर्ष चुनौतियों का वर्ष रहा है । जहां तक अपराधों का सवाल है विश्व में भी अपराधों की स्थिति बढ़ी है और श्रीमन् वह इसलिये, एक तो जनसंख्या की वृद्धि, नैतिक ह्रास और दूसरी समस्यायें भी हैं । जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है....।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । वैसे मान्यवर, दर्शक दीर्घा में और राज्यपाल दीर्घा में कौन बैठा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन परम्परा है कि जिस विभाग का बजट हो उस विभाग के बड़े अधिकारियों को बुलाया जाता है । जब सरकार की तरफ से बजट पेश होता है और उस पर जो आलोचनायें होती हैं उनको वह सुन सकें और उस पर कार्यवाही करें इसलिये उनको बुलाया जाता है । गृह विभाग का बजट पेश किया गया है लेकिन डी0 जी0 पी0 तथा गृह सचिव इस समय दीर्घा में मौजूद नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जो बजट पेश कर रहे हैं और बड़े अधिकारी उपस्थित नहीं हैं इसका मतलब है कि सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है और बड़े अधिकारी सरकार और मंत्रिपरिषद की पहुंच से बाहर हैं । यह परम्परा आजतक सदन में नहीं पड़ी । इसकी जितनी निंदा की जाय कम है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आ जाने चाहिये ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

बात सही है । इन अधिकारियों को रहना चाहिये । सम्भवत : आ भी रहे होंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इसका मतलब है कि पुलिस सरकार के हाथ से बाहर हो गयी है ।

(शोर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, इससे साफ जाहिर है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पर कन्ट्रोल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ध्यानाकर्षण हो गया, वह आ रहे हैं ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, दूसरी कोटि के अधिकारी उपस्थित हैं । माननीय सदस्यों की कही गयी बातों को वह नोट कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि वह अधिकारी भी सदन में जल्दी से जल्दी आ जायेंगे ताकि वह सम्मानित सदस्यों के विचार सुन सकें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कोई कन्ट्रोल नहीं रह गया है इनका अपने विभाग पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिकारी आ रहे हैं । अधिकारी बैठे भी हैं । नोट हो रहा है । आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, ठीक है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जो कुछ आप कहेंगे उसका ठीक असर होगा । कहेंगे तो लिखकर भेज दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिकारियों पर सदन की कार्यवाही निर्भर नहीं होती है । गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, 900 किलोमीटर लम्बाई की सीमा का प्रदेश का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र है । 61 हजार वर्ग किलोमीटर का बीहड़ क्षेत्र है । मान्यवर, 60 हजार से अधिक पंजीकृत फैक्टरियां हैं जिनमें 4 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं । इस समय हमारे प्रदेश में 9414 शिक्षा संस्थायें हैं जिनमें 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

इसके साथ ही हमारे प्रदेश में बिजली के ट्रान्सफारमर की चोरी है, नहर को कटान को रोकना है, कृषि की व्यवस्था में होने वाले किसी प्रकार की अव्यवस्था को शान्त करना हो तथा सहकारी समितियों के घोटालों की पता करना हो, यह सारे दायित्व पुलिस विभाग पर हैं । इसके साथ ही श्रीमन्, सामाजिक साम्प्रदायिक अशांति, अवांछनीय तत्वों को दबाने और आतंकवादी शक्तियों से मोर्चा लेना यह सब काम पुलिस विभाग के कंधों पर हैं । इन सब कामों को देखते हुए हमारे पास संसाधनों की अत्यन्त कमी है ।

हमारे प्रदेश में जो पुलिस बल है एक लाख पचास हजार सात सौ पैंतालिस । पुलिस बल पर हमारा औसत 10 हजार पर 14 पुलिस कर्मियों का पड़ रहा है जब कि दूसरे प्रदेशों में 10 हजार पर 59 और 10 हजार पर 29 का औसत आ रहा है । श्रीमन्, इतनी कम संख्या वाले पुलिस से इतने महत्वपूर्ण कार्यों को लेते हुए जब हम श्रीमन्, यहां बजट पेश करते हैं तो हम आशा करते हैं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस बजट में बढ़ोत्तरी का समर्थन करेंगे न कि कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे । इसलिए प्रदेश की शांति व्यवस्था के भागीदार, हम सबको इसमें योगदान करना है ताकि हमारे प्रदेश में अमनोअमन और इस प्रदेश के विकास निर्माण का कार्य अबाध गति से आगे चल सके । इस समय श्रीमन्, पुलिस को सशक्त, चुस्त, सक्षम और आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली बनाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि इनकी ट्रेनिंग का समुचित प्रबन्ध हो । हमारे प्रदेश में अभी तक केवल 2 प्रशिक्षण विद्यालय थे जिसके कारण हम पुलिस कर्मियों की वांछित ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे । तो हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है इस प्रदेश में 6 नये महाविद्यालय ट्रेनिंग के खोले जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

स्थान बता दें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

स्थान का चयन करके आपको बताया जायगा । मान्यवर, पुलिस ट्रेनिंग के अलावा इस बात की आवश्यकता है कि पुलिस कर्मियों के पास ऐसे असलहे, आधुनिक असलहे हों जिससे वह डाकुओं के पास, अवांछनीय तत्वों के पास गलत तरीकों से प्राप्त किये गये असलहों का जमकर मुकाबला कर सके ।

मान्यवर, इस बात की भी आवश्यकता है कि इन पुलिस के कर्मियों के पास तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हों ताकि वह बदमाशों को तेजी से पीछा करके पकड़ सके । इस बात की भी आवश्यकता है कि प्रदेश के सभी थानों को, चौकियों को वायरलेस सेट से जोड़ा जाय । इस बात की आवश्यकता इसलिए है कि प्रत्येक थाने, चौकी की सूचना 10 मिनट के अन्दर आ जाय जिला मुख्यालय पर ताकि यदि उनको आवश्यकता पड़े तो उनको तुरन्त फोर्स मुहैया करायी जा सके । इस बात की आवश्यकता है कि प्रदेश में थाने और चौकियां बढ़ायें और बल बढ़ाया जाय । श्रीमन्, अल्प सधानों के अलावा केवल 141 एस0 आई0, 456 हेड कांस्टेबिल और 2270 कांस्टेबिल नियुक्ति का ही प्राविधान हो सका है इसके अलावा 1987-88 के लिए 25 नये थाने खोलने के लिए व्यवस्था की जा रही है जिनमें 50 एस0 आई0, 24 हेड कानस्टेबिल और 30 कांस्टेबिल रखे जायेंगे । श्रीमन्, हमारे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे ट्रैफिक निदेशालय में एक उप निदेशक की नियुक्ति की जा रही है साथ ही इसमें 757 कांस्टेबिल, 243 हेड कांस्टेबिल और 50 एस0 आई0 तथा 50 मोटर साइकिलें उन्हें मुहैया कराई जायेगी । साथ ही इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि कानपुर और लखनऊ जैसे महानगर में एक पुलिस यातायात अधीक्षक की नियुक्ति की जाय ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में प्रायः आग के लगने की बहुत शिकायतें आती रहती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला किया है कि यथाशीघ्र हमारे प्रदेश में अग्निशमन केन्द्र खोले जांय और इसी वर्ष 1987-88 में 19 शमन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। मान्यवर, हमारे देश में आज तक केवल नागपुर में फायर ट्रेनिंग सर्विस का केन्द्र था। उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि दूसरा फायर सर्विस ट्रेनिंग केन्द्र उत्तर प्रदेश में खोला जाय। इसकी व्यवस्था अगले वर्ष की जायेगी। हम यहां पर यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि अग्निशमन के क्षेत्र में 19 अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना होगी। यह तहसील मुख्यालय में स्थापित किये जायेंगे। ताकि जिले से ग्रामीण अंचलों में वाहनों को पहुंचने में कठिनाई न हो। गांव में कोई अग्निकाण्ड हो तो जल्दी से जल्दी यह वहां पहुंच सकें।

पुलिस के सामने आवास की समस्या रहती है थाना, बैरक की कमी होने के कारण पुलिस कर्मियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि देर तक ड्यूटी करने के बाद अगर उनको आवास की सुविधा न हो तो कठिनाई का अनुभव करेंगे। यह स्वाभाविक ही है 45 करोड़ 84 लाख 46 हजार रुपये की व्यवस्था इस हेतु की गई है। इससे 5,763 आवासीय भवन, 1680 बैरक, 134 थाने, 20 चौकियों, 5 कार्यालय भवन, 2 पी0 ए0 सी0 वाहिनी भवन का निर्माण किया जायेगा। पुलिस लाइन और पी0 ए0 सी0 के स्थलों में जलपूर्ति के लिए 43 लाख की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त बहुत दिनों से मांग थी कि पुलिस अस्पतालों के खोलने की व्यवस्था की जाय। ताकि पुलिस कर्मियों को मौजूदा अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था में उत्पन्न कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मुझे यह बताने में खुशी है कि सबसे पहला पुलिस चिकित्सालय इस वर्ष गाजियाबाद में खोला जायगा। पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधाओं के लिए एक करोड़ 17 लाख की व्यवस्था की जा रही है। 17 लाख रुपये बच्चों की शिक्षा के लिए व्यय होंगे। पुलिस बल को गाड़ियां देने के लिए 5 करोड़, 11 लाख 15 हजार रुपये व्यय करने का प्राविधान इस बजट में है। हमारे प्रदेश में पुलिस वाहनों के मरम्मत के लिए अभी तक कार्यशालाओं की बड़ी कमी थी। लखनऊ और मुरादाबाद के अतिरिक्त आगरा और वाराणसी में यह कार्यशालाएं खोली जायेंगी। पुलिस के सम्मुख संचार व्यवस्था की कमी बहुत बड़ा संकट पैदा करती है। 11,6 लाख रुपये इस वर्ष संचार व्यवस्था पर व्यय किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त थानों, चौकियों और अधिकारियों के समस्त वाहनों को वायरलेस से सम्बद्ध कर किया जायगा। सम्वेदनशील स्थलों पर नियंत्रण करने के लिए 200 गाड़ियों 179 कर्मचारियों एवं अधिकारियों की व्यवस्था की जायगी। विभिन्न थानों और चौकियों तथा जी0 आर0 पी0 को 118 टेलीफोन्स उपलब्ध किये जायेंगे।

भारत और नेपाल सीमा की सुरक्षा आज प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। इसके लिए 1 करोड़, 1 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत 12 नये थानें और 685 नये पद सृजित किये जा रहे हैं और यह सभी थाने मोटरसाइकिल, जीपों और वायरलेस सेट से पूर्ण किये जायेंगे, जिससे वहां पर मुस्तैदी से चौकसी और गश्त का काम चल सके। यह योजना बहुत बड़ी होगी और लगभग 973 किलो मीटर लम्बी होगी इस चौहद्दी, जिस पर गश्त करने का काम होगा। भारत सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष सहायता के लिए कहा गया है, फिलहाल इस प्रदेश द्वारा 1 करोड़ 19 लाख रुपयों की व्यवस्था करके इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। गंगा प्रदूषण योजना के लिए 73 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही मान्यवर पुलिस जनों की स्पष्ट पहचान के लिए प्रायः उनकी पहचान न होने के कारण जनता को जो विशेष कठिनाइयां हुआ करती थीं, इसको दूर करने के लिए अब यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक पुलिस कर्मियों जिसमें एक सिपाही से लेकर चीफ

तक के परिचय-पत्र उनके सीने पर टंगा रहेगा, जल्द ही इसकी व्यवस्था की जा रही है और श्रीमन् प्राय: यह भी शिकायतें आती हैं कि शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय, यह बताना चाहूंगा कि सन् 1986-87 में इस प्रदेश में कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, 32 सेवा मुक्त किये गये, 405 को पदोअवनति की गयी, 1623 का निलम्बन किया गया है, वे 128 को सत्यनिष्ठा की गयी है, 46 कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि रोकी गयी इसके साथ ही साथ 8787 कर्मचारियों को चेतावनी व दूसरे दण्ड दिये गये । अपराधों के बारे में निरन्तर इस सदन में हमारे साथियों ने अनेकों भ्रम पैदा किये हैं । यह आंकड़े मैं सन् 1986-87 के प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप स्वयं देखेंगे कि इस स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है । डकैती 13.18 लूट 9.84, दंगा 3.08, नकबजनी 7.33 तथा दूसरे अपराधों में 0.71 की घटोत्री हुयी है ।

श्री बदन सिंह--

मर्डर के क्या आंकड़े हैं, इसको भी मान्यवर, बता दीजिये ।

(शोर)

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

हत्या में 3.84 की वृद्धि हुई है 1 जनवरी, 1987 से 31 मई, 1987 तक यह बढ़ोत्तरी हुयी है, लेकिन इसके आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष , 1986-87 के बाद 1 जनवरी, 1987 से लेकर 31 मई, 1987 के बीच में इन आंकड़ों में भी सुधार हुआ है । श्रीमन्, डकैती में 14.41, लूट में 14.02, हत्या में 1 36 दंगा 23.74, नकबजनी 16.04 तथा दूसरे अपराधों में 14.73 की घटोत्री हुयी है । इस प्रकार माननीय यह कहना कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उचित न होगा दूसरे सदन में प्राय: यह चर्चा होती रहती है कि सरकारी आंकड़ों में कोई सुधार नहीं हो रहा है बल्कि अपराध बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है उन्हीं आंकड़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमन् जहां तक साम्प्रदायिक दंगों की शिकायतों का सवाल है, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जहां कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति शासन के समक्ष आयी है उस पर शासन की ओर से तुरन्त सारी व्यवस्थाएं की गयी हैं और इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में हमारे यहां दंगे की स्थिति उत्पन्न न हो और जहां पर उत्पन्न हो रही है वहां पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है साथ ही माननीय, इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि खबरें एकत्रित कर ली जायं जिससे समय रहते हम समस्त कार्यवाही पूरी कर लें और सारी सूचनाएं हम आसानी से प्राप्त कर लें ।

श्रीमन् इन सूचनाओं को एकत्र करने में अभी तक पुलिस कर्मियों का ही केवल सहयोग लिया जाता था, अब ब्लाक और तहसील के कर्मचारियों को भी इसमें भागीदार बनाया जा रहा है । प्रत्येक जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसको वायरलेस सेट से सम्बद्ध कर दिया गया है ताकि किसी भी जनपद में संवेदनशीलता बढ़ने पर उसकी सूचना तत्काल हेडक्वार्टर और प्रदेश स्तर पर आ जाय । श्रीमन् संवेदनशील जिलों में राइट कन्ट्रोल स्कीम लागू कर दी गयी है ताकि दंगों को कन्ट्रोल करने में विशेष व्यवस्था की जा सके । राष्ट्रीय एकता और एकता समितियों का गठन अभी तक जनपद स्तर पर हुआ करता था, अब इस बात की हरी झंडी दी जा रही है कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर इसका गठन हो सके और गांव स्तर पर यह सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए इन समितियों का विस्तार कर दिया गया है । श्रीमन् यह

व्यवस्था की गयी है कि जिस जनपद में दंगे होंगे, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा, वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 के साथ-साथ जिस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा वहां के एस0 ओ0 को भी जिम्मेदार ठहराया जायगा और उनसे पूछा जायगा कि उनके क्षेत्र में दंगे की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। श्रीमन् धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों ने एक विशेष परिस्थिति पैदा कर दी थी। इन धार्मिक स्थानों पर ....।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

गृह मन्त्री की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप शांति से उनका भाषण सुनें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। पहले आप मेरी बात सुन लें उसके बाद आपकी बात हम पूरी शांति से दत्तचित्त होकर सुनेंगे। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, इसलिए शासन ने यह निश्चय किया कि लाउडस्पीकरों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि लाउडस्पीकरों का अनुचित प्रयोग न हो सके। साथ ही मान्यवर, सारे स्थानों पर अनधिकृत रूप से धार्मिक संस्थाओं के निर्माण का काम प्रदेश में बड़ी तेजी से चल रहा था। अब इस बात के लिए एक अधिनियम बनाया जा रहा है कि इन धार्मिक संस्थाओं को अवैध रूप से किसी जमीन पर शासन की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकेगा। श्रीमन् धार्मिक संकीर्णता के आधार पर बने सैनिक दलों पर किस प्रकार से कार्यवाही की जाय, इस पर शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है। श्रीमन् सामूहिक जुर्माने की व्यवस्था इस प्रदेश में की जा रही है, ताकि जिस गांव या जिस क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो, वहां के निवासियों का कर्तव्य होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव को कम करें। यदि वह कम नहीं कर पाते हैं तो सामूहिक जुर्माने की व्यवस्था होगी, ताकि इसके आधार पर कुछ अंकुश लगाया जा सके।

श्रीमन् पंजीकृत अभियोगों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है। स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस प्रकार के मुकदमों का फैसला जल्द से जल्द कराया जाय। दंगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 7 पी0 ए0 सी0 वाहिनियों का गठन किया जा रहा है। दो की ट्रेनिंग शुरू हो गयी है जिसमें विशेष प्रकार से दंगों को कन्ट्रोल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक महिला पी0 ए0 सी0 की तीसरी वाहिनी होगी। श्रीमन् इस सदन में हरिजन उत्पीड़न की बात बहुत बार और ज्यादातर उठायी जाती है। श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में महा-निदेशक की देख-रेख में एक हरिजन प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है और हमारे प्रदेश के 20 जनपदों में इस प्रकोष्ठ की इकाई कायम कर दी गयी है। यह निश्चय किया गया है कि हरिजन भाइयों की ओर से रिपोर्ट आ जायेगी तो 14 दिन के अन्दर उसकी पूर्ण जांच होना आवश्यक होगा। यदि 14 दिन से ज्यादा किसी कारणवश विलम्ब होगा, तो इसकी अनुमति जांचकर्ता को एस0 पी0 से लेनी होगी और कारण बताना होगा कि 14 दिन से ज्यादा विलम्ब के क्या कारण हैं।

श्रीमन यह भी व्यवस्था की गयी है कि हरिजन भाइयों के उत्पीड़न की कोई घटना विशेष हो, तो 24 घंटे के अन्दर डी0 एम0 और एस0 पी0 को मौके पर जाना होगा और साथ ही उत्पीड़क के लाइसेंस के निलम्बन और निरस्तीकरण की कार्यवाही भी

त्वरित गति से करनी होगी । श्रीमन्, यह भी व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक थाना पर एक हरिजन एस0 आई0 अवश्य होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर पुलिस ही हरिजन के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही करे, वही उत्पीड़क हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

साथ ही प्रत्येक जनपद में 10 प्रतिशत हरिजन एस0 ओ0 अवश्य होंगे । श्रीमन्, इस बात की सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे प्रदेश में पुलिस बल में 18 प्रतिशत कांस्टेबिल में, सशस्त्र कांस्टेबिल में 21 प्रतिशत और पी0 ए0 सी0 में 20 प्रतिशत हरिजन भाइयों की संख्या हो चुकी है । श्रीमन् इस सदन में महिला सुरक्षा के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है । मैं यह बताना चाहता हूं कि बलात्कार कानून को कड़ा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संस्तुति भेज दी गयी है । साथ ही सिनेमाघरों और बाजारों में बिना वर्दी के पुलिस की गश्त की व्यवस्था कर दी गयी है । यह भी व्यवस्था की गयी है कि रात में महिलाओं को जहां तक संभव हो, गिरफ्तार न किया जाय । यदि गिरफ्तार करना अनिवार्य हो, तो हवालात में न रखा जाय और यदि हवालात में रखा जाय, तो उनके साथ परिवार के किसी सदस्य को रहने की अनुमति दी जाय । यह भी व्यवस्था की गयी है कि हवालात से उनको अदालत तक ले जाते समय उनके परिवार के किसी सदस्य को साथ ले जाने की अनुमति दी जाय, जिससे किसी प्रकार की संभावना न रह जाय । दहेज के कारण नवविवाहितों की हत्या के सवाल प्राय: सदन में और सदन के बाहर अखबारों के माध्यम से आते रहते हैं । प्रत्येक थाने में नवविवाहित परिवार के प्रति 5 वर्ष तक उस थाने के लोग चौकन्ने रहेंगे । यह देखेंगे कि कौन से परिवार में नये विवाह हुए हैं, उन परिवारों के प्रति सजग रहेंगे । कहीं दुर्भाग्य से इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम करते वक्त दो डाक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी । यह व्यवस्था की गयी है ।

श्रीमन्, पत्रकारों की भी सुरक्षा का सवाल अनेक बार इस सदन में उठा है । शासन द्वारा समय-समय पर इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि पत्रकार बंधु लोकतंत्र और प्रजातंत्र के उस महत्वपूर्ण काम में भागीदार हैं, उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जो देश के लिए आवश्यक है, बहुत सी समस्यायें उनके माध्यम से शासन के सामने भी आती हैं, इसलिए उनके कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो यह प्रत्येक जनपद के अधिकारी, जिलाधिकारी को सुनिश्चित करना है । इसके बावजूद जिला स्तर पर एक समिति गठित कर दी गयी है । इस समिति के जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और सूचना अधिकारी सचिव होंगे, कप्तान पुलिस इसके सदस्य होंगे और दो मान्यता प्राप्त पत्रकार बंधु भी उसमें रहेंगे । इसके साथ-साथ प्रदेश स्तर पर भी एक बड़ी समिति का गठन कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष सूचना सचिव होंगे सूचना निदेशक उसके सचिव होंगे और इसमें 18 समाचार पत्रों के सम्पादकगण भी होंगे । साथ ही यह समिति इस बात की देखरेख करेगी कि पुलिस के अधिकारों के विरुद्ध जो शिकायतें आयेंगी इस समिति में रखी जायेंगी । साथ ही हरिजन पुलिस उत्पीड़न के संबंध में भी यह बड़ी कमेटी सक्षम होगी विचार करने के लिये और शासन को अवगत कराने के लिये ।

श्रीमान, इन शब्दों के साथ 2 3 बातें और निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं कि यह पुलिस प्रशासन का बजट एक महत्वपूर्ण बजट है और जो बजट इसके लिए रखा गया है वह कम है । आज भी 10 हजार की आबादी पर केवल 14 पुलिस कर्मी हैं, वहां पर शान्ति-व्यवस्था कायम करने में पुलिस विभाग को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, इसका अन्दाजा आप लोग स्वयं लगा सकते

हैं, इसलिए मुझे आशा है कि हमारे सत्ता पक्ष व विपक्ष के साथी इस बजट में बढ़ोत्तरी करने पर बल देंगे । इसी के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यगण अपना अमूल्य सुझाव देंगे और उन सुझावों के अनुसार हम यथाशक्ति पालन करने का प्रयास करेंगे ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, इस बजट पर बोलने से पहले मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी आपने बलपूर्वक इस बात पर जोर दिया कि इस बजट पर बढ़ोत्तरी हेतु बल दिया जाय, क्योंकि जो बजट रखा गया है, वह कम है । क्या आपका यह पुलिस प्रशासन क्या इतना सजग व सतर्क है कि बजट में बढ़ोत्तरी की जाय । इसका एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं मैंने 3 जुलाई, 1987 को गृह सचिव को एक पत्र लिखा था उन्हें गृह विभाग पर बोलने के लिए कुछ सूचनाओं की आवश्यकता है, इस लिए आप मुझे, 1980 से लेकर मार्च, 1987 तक के विभिन्न अपराधों के आंकड़े कल शाम तक उपलब्ध करा दें, दूसरा, प्रति हजार पर कितने पुलिस कर्मी हैं और अन्य प्रदेशों में इसकी संख्या क्या है व पुलिस कर्मियों की संख्या विश्व के कुछ देशों से कम है या ज्यादा है, कितने पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी किन-किन पदों पर तैनात हैं । यह उम्मीद की थी उसकी सूचना मुझे 4 तारीख को प्राप्त हो जायेगी लेकिन आपके शासन ने इतनी शिथिलता दिखाई कि आज जब मैं सदन में आ रहा था तो आपके गृह सचिव ने 3 बजे मुझे अपना एक पत्र दिया और जो सूचनायें दी गई, वह भी खास किस्म से दी गई हैं । जब आपका सर्वोच्च अधिकारी इस प्रकार की शिथिलता करता है तो बढ़ोत्तरी की आप आशा कैसे लगाये हैं । क्या इसी प्रकार आप पुलिस प्रशासन के ऊपर कंट्रोल कर पायेंगे । मैंने तो मांग था कि 1980 से लेकर 1987 तक के विभिन्न अपराधों के आंकड़े प्रस्तुत किए जांय, लेकिन आपके सचिव महोदय ने जो मुझे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें पहली जनवरी से 31 मार्च, तक के 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 व 1986 के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, यह तो आपके सचिव ने जवाब दिया है । मैंने आपके सचिव से जानना चाहा था कि पुलिस प्रशासन में कितने अधिकारी व कर्मचारी किन-किन पदों पर तैनात हैं, तो आपके सचिव जवाब दे रहें हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी 313, अति0 पुलिस अधीक्षक 83, संयुक्त पुलिस अधीक्षक 3 और पुलिस उपाधीक्षक 783, इसके अलावा आपने कांस्टेबिल्स जो थे, उनकी संख्या दे दी । मैंने जानना चाहा था कि कितने अधिकारी किन-किन पदों पर हैं, कितने डी0 जी0 हैं, कितने आई0 जी0 हैं, कितने डी0 आई0 जी0 हैं, यह भी सूचना अधूरी है । दूसरी सूचना मैंने जाननी चाही थी कि विश्व में अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहां क्या स्थिति है ? आपने किसी भी देश का कोई हवाला नहीं दिया ।

इसी सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार इसी तरह का प्रश्न जब माननीय चौधरी चरण सिंह ने विरोधी दल में और श्री एच0 एन0 बहुगुणा नेता सदन थे, 11 जून, 1974 को इसी तरह का प्रश्न उठा था, उन्होंने लेटर भेजा था, अगले दिन बजट पर बोलना था, उन्होंने अपेक्षा की थी कि 11 तारीख की शाम तक सूचना मिल जानी चाहिए लेकिन, 12 तारीख का उनको इत्तला दी गयी कि यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचनायें उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । इस पर सदन में काफी देर चर्चा हुई, माननीय अध्यक्ष ने इस बात को तय किया था । चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि, मुख्य मंत्री मुझे संसदीय पद्धति बतलाना चाहते हैं । मुझे खुशी होगी अगर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की एक भी नजीर वह निकाल दें कि वहां की सरकार ने कोई स्टैंडिंग आर्डर दिया हो कि कोई भी इंफार्मेशन जो पब्लिश कर दी गयी अथवा होने वाली है, उसे सीधे अफसरों से मेम्बर आफ पार्लियामेंन्ट नहीं मांग सकता । अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था की थी, 21 जुलाई, 1972 को पत्र लिखा था । उसमें लिखा था कि, विधान सभा/परिषद् में ऐसे प्रश्नों को नियन्त्रित करने तथा उनके उत्तर में अनावश्यक लग रहे श्रम, समय और व्यय को बचाने के लिए यह भी निश्चय किया गया है कि यदि ऐसे विषयों पर प्रश्नों को, जो लोकमहत्व अथवा सार्वजनिक हित के न होकर स्थानीय महत्व के या व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हों, सदन में उत्तर के लिए ग्राह्य न करके सदस्यों से आपसे सीधे सूचना मांगने को कहा जाय और सदस्य तद्नुसार आपसे सूचना मांगे तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार मांगी गई ऐसी समस्त सूचना, जो गोपनीयता भंग किये बिना आपके विभाग अथवा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दी जा सकती हो, अविलम्ब सदस्यों को दी जाया करे और यदि ऐसी सूचना देना गोपनीयता के या अन्य किसी कारणवश व्यावहारिक न हो तो विनम्रतापूर्वक तद्नुसार उन्हें सूचित कर दिया जाय । बहुगुणा जी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि "मैंने सच्चे हृदय से कहा था कि चौधरी साहब को कोई जानकारी करनी हो तो यह अच्छा नहीं लगता कि वह एक छोटे अधिकारी से कोई बात करें, पत्र-व्यवहार करें । यदि चौधरी साहब ऐसा समझते हैं कि ऐसा कहकर मैं उनका संददीय अधिकार छीन रहा हूं तो मैं समझता हूं कि सचमुच मैंने बड़ी भूल की और आइन्दा ऐसी भूल नहीं करूंगा । "इस प्रकार, तत्कालीन नेता सदन ने खेद व्यक्त किया था, जबकि सूचना के लिये केवल एक दिन का विलम्ब हो गया था, मैंने तो 10 दिन पहले सूचना मांगी थी । इसके बाद आप सदन में इस बात की मांग करें कि बढ़ोत्तरी की जाय । मैं समझता हूं कि जो गृह अनुदान का बजट माननीय गृह मंत्री जी पेशकर रहे हैं, मैं साबित करूंगा कि पूरी तरह से असफल हैं । उनका प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है । अधिकारी आपकी बातों को नहीं मानते हैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

(श्री हरदेव के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

नेता, विरोधी दल खड़े हैं, आप बैठ जायं ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था ।

श्री हरदेव--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक नेता विरोधी दल खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती । माननीय हरदेव जी, आप बैठिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

अब मैं गृह विभाग पर बोलते हुए कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान कानून और व्यवस्था है वह भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर चल रही है । भारतीय दण्ड संहिता अंग्रेजों के जमाने में लार्ड मैकाले द्वारा बनायी गयी थी क्योंकि उस समय भारत में विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे, तरह-तरह के आन्दोलन जारी थे तब लार्ड मैकाले ने महसूस किया था कि स्वतंत्रता के आन्दोलन को कुचलने के लिये, इसको विफल करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता को लागू किया जाय और उसके द्वारा भारतवासियों को, जो कि उस समय उनके गुलाम थे, दमन किया जाय, उनको कुचला जाय आज के युग में इसमें बड़ा परिवर्तन आ चुका है । उस समय भारतीयों को कुचलने की बात थी लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में पुलिस का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है जनता की सुरक्षा करना, न कि उनको कुचलना । आज चालीस वर्ष की आजादी के बाद भी पुलिस की मनोवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया है । आज भी वह पुलिस जनता की सुरक्षा करने के बजाय जनता को कुचलने का काम कर रही है ।

आज हमारे समाज के अन्दर जो गरीब हैं उनको पुलिस के सिपाही आपके बहादुर सिपाही उन पर कयामत ढाते हैं, उनको बन्द करते हैं, जेल के अन्दर ठूंस देते हैं और जब चाहते हैं तब उनका इनकाउन्टर भी कर देते हैं और छविराम जैसे इलाके में जब पहुंचते हैं तो भागते हैं और पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते हैं । यह है आज की पुलिस का काम । जितने भी कानून बनाये गये हैं वह सब गरीबों के लिये हैं, जो अधिकारी वर्ग है वह पूरी तरह से पुलिस को अपने चंगुल में लिये हुए हैं । खास करके सत्ता पक्ष के लोग भी उसे अपने चंगुल में लिये हुए हैं । यदि आप उनको अपना संरक्षण न दें तो आज वे गरीबों को नीची नजर से न देखें और उनकी मान्यता न घटे । लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पट्टी के चुनाव हों या सहारनपुर के चुनाव हों हमेशा ये लोग पुलिस के बूते पर जीत कर आते हैं, बूथ कैपचरिंग होता है जिसमें इनको पुलिस और अन्य गुण्डे पुलिस की गाड़ियों में बैठ कर जाते हैं । जब आप उनसे अपने हित के लिये काम लेंगे, जब आप उनके बूते पर अपनी सरकार बनायेंगे तो चाहे जो हो आपकी आंखें ऐसे ही नीचे झुकी रहेंगी ।

अपने प्रधान मंत्री की छवि बनाने के लिये जब रैली आयोजित की जाती है तो उसमें पुलिस का दल, पुलिस का दरोगा, पुलिस का डी० वाई० एस० पी०, पुलिस का एस० पी० सभी लगाये जाते हैं रैली को सफल बनाने के लिये । दिल्ली में रैली सफल बनायी जाती है, चाहे मेरठ दंगे की आग में जल जाये लेकिन दिल्ली की रैली सफल होनी चाहिये । जब अपनी सरकार पुलिस के बल पर ऐसे कार्य करती है तो फिर उसका पुलिस का नियंत्रण कैसे रहेगा ? गरीब को ही हमेशा हर तरह से बलि का बकरा बनना पड़ता है और पुलिस बदनाम है । मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी, आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं । मान्यवर, जस्टिस मुल्ला ने कहा था कि पुलिस बल सरकारी वर्दी में डकैतों का समूह है और मान्यवर, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन के अध्यक्ष, श्री धरमबीर ने अपनी अब तक सरकार ने लागू नहीं किया है, क्योंकि यह कमीशन जनता पार्टी के जमाने में बनाया गया था । श्री धरम बीर ने भी पहली रिपोर्ट प्रेषित की है दिनांक 7-2-79 को, उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि पुलिस की ज्यादतियों और उसके कठोर व्यवहार की सार्वजनिक शिकायतों की बढ़ती हुई तीव्रता के बारे में हमें बहुत क्षोभ है और हम बहुत चिन्तित हैं । हमें यह भी स्पष्ट हो गया है कि पुलिस शक्तियों के घोर

दुरुपयोग को रोकने के मौजूदा प्रबन्धों में और देश में कानून और व्यवस्था तथा अपराध की स्थिति के कारगर ढंग से निबटने के लिये पुलिस की क्षमता में भी जनता का तेजी से विश्वास उठता जा रहा है ।

उन्होंने एक बात और रखी कि पुलिस के जवानों का रहन-सहन और काम करने की जो सुविधायें हैं, उनकी पदोन्नति की जो सम्भावनायें है, उनके सम्बन्ध में भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उनमें सुधार करना चाहिये, जिनके कारण पुलिस के जवान अपनी कुशलता से काम नहीं कर पाते हैं । इस कारण मान्यवर, जनता का विश्वास पुलिस से उठता चला जा रहा है । मान्यवर, राजनीतिज्ञ कोई मशीन नहीं चलाता है, कोई व्यापार नहीं करता है, उसका काम होता है, समाज के अन्दर जनमत तैयार करना और जनमत के बिना अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो उसको जनमत का विश्वास नहीं मिलता है । वर्तमान समय में आपकी पुलिस से जनमत का विश्वास समाप्त हो गया है और आज जो स्थिति है कि जो वर्ष आपका विकास वर्ष है, उसमें आपको काफी झंझटों का सामना करना पड़ रहा है । साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है, छात्रों का आन्दोलन हो रहा है, महंगाई असीमित बढ़ गयी है और इन समस्याओं का आप निराकरण नहीं कर पाये हैं और इस कारण समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का विश्वास आपसे उठता चला जा रहा है । गृह मंत्री जी अभी जवाब देंगे और बता देंगे कि हमारी यह उपलब्धि रही है, वह उपलब्धि रही है और बड़े-बड़े काम किये हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ में कत्ले आम किसने करवाया, मेरठ में कत्ले आम किसने किया है, लेकिन मान्यवर, यह वास्तविकता है कि दंगा होते हैं और उसके लिये आपका शासन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है और इन सबका मुख्य कारण यह है कि आपकी जो पी० ए० सी० है, उससे जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है । धर्मबीर जी ने जो कहा और जो संस्तुतियां दी, उनमें उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास उठता चला जा रहा है । जनता का विश्वास पी० ए० सी० से उठ रहा है और अगर जनता का विश्वास आपकी जो पुलिस है उससे भी उठ जायेगा तो प्रदेश में भयानक स्थिति पैदा हो जायेगी और आप उसको संभाल नहीं पायेंगे । मैंने यह बातें धर्मबीर जी को बता दीं ।

अब मैं रंगनाथ मिश्रा जी की बातें आपको बताना चाहता हूं, इंदिरा जी की हत्या हुई, तो उन्होंने कहा था और बताया था, उस समय अनेकानेक उपद्रव भड़के थे, तमाम हिंसायें हुई थीं तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि यदि पुलिस बिना लापरवाही के काम करती तो लोग जो इतनी संख्या में हताहत हुये हैं, वह न होते । पुलिस की कर्तव्यहीनता के बारे में बताया है । कांग्रेस पार्टी के लोग दंगों के दौरान काफी सक्रिय थे । लेकिन इसके लिये पूरी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । कानपुर में पुलिस सक्रिय नहीं थी ।

इसके बाद एक भूतपूर्व डी० जी० पी० श्री भटनागर साहब थे । उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है और कहा है कि पुलिस का चेहरा मित्रवत नहीं लगता है । लोग उससे भय खाते हैं । उन्होंने जनसंपर्क की व्यवस्था पर बल दिया । इसी तरह से भटनागर साहब से पहले श्री चतुर्वेदी डी० जी० पी० थे उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले फतेहगढ़ में एक समारोह में यह बात कही कि उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी पुलिस के लोग अच्छे हैं । 22 फीसदी लोगों को सुधारा जा सकता है और 25 फीसदी ऐसे हैं जो कि सुधार के बिलकुल बाहर हैं और उन्हें एक दिन भी पुलिस विभाग में रहने का हक नहीं है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि विरोध पक्ष के लोग ही ऐसा कहते हैं । इस बात को संसद में आपके गृह राज्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है और कहा है कि अपराधों का एक बड़ा कारण पुलिस की गतिशीलता में कमी तथा कर्मपरायणता का अभाव है । रिपोर्ट दर्ज न करना, गम्भीर

आरोपों को गलत धाराओं में दर्ज कर जांच-पड़ताल से मुक्ति पाने की कोशिश करना, नागरिक से अशिष्ट व्यवहार करना पुलिस की मुख्य शिकायतें हैं । उत्तर प्रदेश की पुलिस निरन्तर बदनाम हो रही है । 40 वर्ष बाद भी पुलिस की मानसिकता नहीं बदली है । लोकतांत्रिक मान्यता से उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ भी लेना-देना नहीं है । बनारस की घटना में कोई भी मंत्री वहां पर नहीं गया । वहां पर साम्प्रदायिक तनाव हुआ था । यदि शासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता तो वह नौबत न आती ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज पुलिस के ऊपर आपका कोई कब्जा नहीं रह गया है, कोई अनुशासन नहीं रह गया है । पुलिस निरन्तर गरीबों के ऊपर डन्डा बरसाने का काम कर रही है, वह केवल उनके ऊपर जुर्म ढाने के लिये बनाई गई । गरीबों के लिये कानून है, बड़े लोगों के लिये नहीं है । आज बड़े लोगों को संरक्षण मिला हुआ है । जिनको जेलों में बन्द होना चाहिये, वे संरक्षण प्राप्त लोग हैं । वे जानते हैं कि अगर हम कोई बड़े से बड़ा जुर्म भी कर देंगे तो किसी बड़े अधिकारी की किसी मन्त्री के सिफारिश से बाहर आ जायेंगे । आज स्थिति यह है कि जब गरीब आदमी सड़क पर जाता है तो उसे परेशान किया जाता है, उस पर लाठी-डन्डे बरसाये जाते हैं, इन्काउन्टर किया जाता है । उनके लिए आपकी पुलिस मुस्तैदी से काम करती है कि उनके ऊपर कितना जुल्म ढा सकें । आज जरुरत इस बात की है कि जितने भी अपराधी तत्व हैं उनके मन में यह भावना होनी चाहिए अगर हमने कानून की मर्यादाओं को तोड़ा है, कानून के विरुद्ध काम किया है तो हमको शेष जिन्दगी जेल में बितानी पड़ सकती है । इस डर के बजाय आज वे लोग स्वछन्द घूम रहें हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि वे कानून के शिकंजे में नहीं आ सकते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि आप पुलिस की आन्तरिक व्यवस्था को स्वच्छ बनाये रखने में सक्षम नहीं हैं । इसलिए वर्तमान बजट में जो बढ़ोत्तरी का आपने बात कही है, वह तो दूर रही, प्रदेश की जनता इस विभाग के लिए एक पैसा भी देने के लिये तैयार नहीं है ।

मान्यवर, इस विभाग के विषय में अगर ज्यादा कुछ कहूं तो मैं समझता हूं कि इस विभाग में इतना ज्यादा घपला है, इतने जुर्म हैं जिनके बारे में अगर सारे सदस्य बोलें तो उस पर कई दिन गुजर जायं । इसलिये मैं ज्यादा न कहकर केवल माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय गृह मन्त्री जी के जनपदों की जनता की व्यथाओं के बारे में ही कहूंगा और बाकी छोड़ दूंगा । पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी के जनपद के अन्दर पुलिस ने टी० ए० बिल में रिकार्ड तोड़ा है 20 लाख रुपये एक ऐसे जनपद में जो मुख्य मन्त्री जी का जनपद है गोरखपुर में एक साल में खर्च किया गया है । तो इतना बड़ा घपला कैसे हुआ इसका क्या औचित्य है माननीय मन्त्री जी अपने जवाब में बतायें ।

अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा 25-4-87 को गुलरिया थाना के अन्दर रघुभगत का टोला है उसमें क्या घटना घटित हुई । इस घटना के चार दिन बाद में भी वहां पर मौके पर गया था वह गरीब लोगों का एक छोटा मजरा है जिसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं एक आध ही कोई सम्पन्न परिवार होगा । वहां पर जाकर पुलिस वालों ने क्या तांडव किया जो सारे उत्तर प्रदेश के लिये और आपकी सरकार के लिये खास कर कलंक की बात है । उन गरीबों को मारा पीटा ही नहीं बल्कि उनके घर के खपरैल गिरा दिये । मैंने स्वयं देखा कि खपरैल गिरे पड़े थे । यहां का मामला क्या था कि वहां के दरोगा ने 15 सौ रुपये रिश्वत के लिये थे दूसरी पार्टी से और उससे कहा था कि तुमको खेत की फसल दिलवा दूंगा । तो जब पुलिस के सिपाही वहां गये और कहा कि दरोगा जी ने भेजा है वह खेत की फसल दे दो तो जो असली

हकदार या खेत का उसने मना कर दिया इस पर पुलिस के सिपाही इतने गुस्से में आगये कि वहीं पर एक दम मारपीट करना शुरू कर दी। वह गरीब लोग पुलिस का आदर करने के लिये दरियां बिछा रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस ने डन्डों से सेवा करनी शुरू कर दी। जब पुलिस को एसा करने से गांव वालों ने मना किया तो वहां इस तरह का जुल्म ढा दिया इसी में पुलिस वालों ने गोलियां भी बरसानी शुरू कर दी जिससे एक सुन्दर नाम के व्यक्ति को गोली लग गयी। इस पर पुलिस ने क्या किया कि उस व्यक्ति को भी पुलिस उठा कर ले गयी और जब तीन चार दिन में देखा कि घाव भर रहा है तो उसे छोड़ गये। जब पुलिस के सिपाही वहां से गये तो उन्होंने दरोगा से कहा कि रघुभगत टोला के लोगों ने हमारी राइफल छीन ली जिसका नतीजा यह हुआ कि काफी संख्या में पुलिस वाले और उनके साथ गुण्डे आये तो उन्होंने यह जुल्म ढाना शुरू कर दिया। मैं वहां की दो महिलाओं से भी मिला उसमें एक का नाम श्रीमती सेवाती और दूसरी का नाम श्रीमती सुमित्रा है उन्होंने दबी जुबान से कहा कि पुलिस ने न केवल मारा बल्कि बलात्कार भी किया। एक अंधेरी कोठरी में बैठी एक महिला जिसका बच्चा होने वाला था उसके पेट में लात मारा और उसका बच्चा बाहर निकल आया। तो इस तरह कि घटनायें वहां हुई हैं। पुलिस ने न केवल लोगों को मारा बल्कि उनके सारे के सारे घर लूट लिये और घर गिरा दिये।

इस तरह का कार्य करने वाले पुलिस जनों को जेल के सींखचों में भेजना चाहिये था। इनका पुलिस पर कोई नियन्त्रण नहीं है पुलिस इनको अनियंत्रित हो गयी है यह निरंकुश हो गयी है यह मुख्य मन्त्री जी के जनपद की घटना है जब वहां यह होगा तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में और भी बदतर स्थिति होगी। तो इस प्रकार पुलिस वालों ने और गुण्डों ने जहां ज्यादती की हो वहां अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता प्रदान नहीं की है। मैं समझता हूं कि यह बात वर्तमान मन्त्रिमण्डल के लिये कलंक की बात है जब मुख्य मन्त्री के जनपद के अन्दर ऐसा हो सकता है तो बाकी की क्या हालत होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल और कितना समय लेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह--

साढ़े चार बजे तक खत्म कर दूंगा, पौने तीन हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

चार बजे से पहले मुझे एक सूचना सदन को देनी है तो पहले में उसे दे दूं।

श्री सत्यपाल सिंह--

ठीक है। तो मैं बैठ जाता हूं।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के निर्वाचन हेतु दी गयी सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिये दो सदस्यों और उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होंगी, के

निर्वाचन हेतु पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की अंतिम तिथि एवं समय आज दिनांक 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4 बजे तक है।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने अनुरोध किया है कि उक्त निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि और अनुवर्ती तिथियां लगभग एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी जायं।

अतः उक्त निर्वाचनों हेतु नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि और समय दिनांक 21 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शेष कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) (क्रमागत)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि गोरखपुर में इसी दरोगा ने कुछ फर्जी इंकाउन्टरों में एक मुल्जिम को पकड़ कर ले गये जंगल में और वहां गोली मार दी और ड्राइवर से कहा कि देखो मर गया है कि नहीं। जब वह देखने गया तो उस ड्राइवर को भी दरोगा ने गोली मार दी लेकिन भाग्य से वह मरा नहीं किन्तु इंसाफ पाने के लिये मारा मारा घूम रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने उस दरोगा श्री शिव हर्ष तिवारी को कोई सजा नहीं दिला पाये। मैं समझता हूं कि आप केवल यह कहे कि घटना में कार्यवाही कर रहे हैं तो वह तो बहुत आप कहते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई कदम तत्काल उठायें।

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि हरिजनों की भलाई के लिए यह सरकार कटिबद्ध है, सजग है, लेकिन जिला उन्नाव में तहसील नवाबगंज, है, और वहां बाबा पुलिस चौकी है, उनके अन्तर्गत भदेवना ग्राम व पास के गांवों में कुछ दिन पहले तीन हरिजनों का कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमों ने उन लोगों को धमकाया और वह मुल्जिम छूट गये। उसके बाद इसी बाबा चौकी के अन्तर्गत कुछ गांव हैं जैसे पंडित खेड़ा, जगदीशपुर, गंगादीन खेड़ा, बीबी खेड़ा और संदापुर, इन गांवों के हरिजन मारे मारे घूम रहे हैं। मन्त्री जी जिला आपका है, वहां के बड़े-बड़े सामन्तवादी प्रजाति के लोग इन हरिजनों से बेगार करवा रहे हैं और उनके डर से वहां का कोई हरिजन जबान नहीं खोल रहा है।

मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1986 को हड़हा निवासी बदरुद्दीन थाना अचलगंज में पुलिस पिटाई से मर गया, इसी प्रकार इसी थाने की पुलिस की पिटाई से मार्च में श्री छोटे लाल की मौत हो गयी। गांव जमुका, अचलगंज थाने में एक हरिजन महिला के साथ पुलिस ने बलात्कार किया, उसकी थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी और जब वहां के राजनीतिज्ञों ने हस्तक्षेप किया तो एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी। इसी प्रकार हरईपुर थाना बांगरमऊ निवासिनी विधवा बासंती हरिजन महिला के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया। मान्यवर, जून, 1987 को किशन लोध रघूखेड़ा थाना माखी को पुलिस द्वारा निमर्म पिटाई से मौत। 29 जून, 1987 को हूसेपुर थाना फतेहपुर चौरासी की पुलिस की पिटाई के कारण गर्भवती ओझा की पत्नी की मौत। 25 जून, 1987 को मंवर खेड़ा थाना आसीवन निवासी कल्लू सिंह की औरास पुलिस द्वारा निमर्म पिटाई से थाने के अन्दर ही मौत।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, वैसे भी कत्ल रात दिन हो रहे हैं और 1986 में 6,514 कत्ल हुये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा माननीय गृह मन्त्री जी के लिये उन्नाव में और मुख्य मन्त्री के जिले गोरखपुर में इतने जुल्म ढाये जा रहे हैं जिनका मैं विश्वास नहीं करता था कि मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री के जिलों में इस तरह के जुल्म ढाये जायगे ।

अब मैं समय कम है इसलिए अपने जिले की बात न कह कर अपने मण्डल में जिला बदायूं की बात कहना चाहता हूं ।

शायद मन्त्री जी इसको समझ सकें क्योंकि जब-जब इसमें शिकायतें की जाती हैं तो इसमें कुछ नहीं होता है यह तो कह देते हैं कि जांच करवा रहे हैं, कार्यवाही करवा रहे हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती है, इससे जुल्म करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं और जो इस जुल्म का शिकार होता है वह मुंह छिपाए घूमता रहता है । मान्यवर, श्री पी0 के0 जैन, सब इंसपेक्टर इसने पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत की थी कि दस हजार रुपया एस0 एस0 पी0 मांग रहा है, मुझे चार्ज नहीं दिया जा रहा है मान्यवर, दस हजार रुपया यह नहीं दे पाए तो इसका ट्रांसफर कर दिया गया इसकी जांच हुई सारे तथ्य जांच में सही पाये गये बरेली मण्डल के उच्च अधिकारी ने इसकी जांच की और उसमें सही तथ्य पाये गये, लेकिन उस एस0 एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई आप और आपकी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है । मान्यवर, बदायूं में पुलिस थाने नीलाम हो रहे हैं इसकी भी आप जांच करवा लें । मान्यवर, स्टेट मिनिस्टर श्री सुरेन्द्र सिंह के बारे में बताना चाहता हूं । सुरेन्द्र सिंह जी आप परेशान न हों मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, हां तो मान्यवर, सुरेन्द्र सिंह जी 28 जून, 1987 को बरेली गये । वहां पर मान्यवर, एक कांग्रेस की विधायिका पुष्पा जी हैं उन्होंने इनसे कहा कि हमारे

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णावीर सिंह कौशल पीठासीन हुये ।)

कुछ लोगों को थाने में पांच दिन से बन्द कर रखा है उनको छुड़वा दीजिए । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने तुरन्त एस0पी0 बरेली श्री सिद्धू को भेजा और कहा कि आप मौके पर जाकर देखकर आएं क्या स्थिति है ? मान्यवर, एस0 पी0 बड़े हौसले से गये लेकिन उनको वहां के अधीक्षक ने बेइज्जत किया मान्यवर, जानबूझकर उस एस0 पी0 की बेइज्जत की गई उसने शिकायत भी की लेकिन कोई जांच नहीं करवाई गई, मान्यवर, मन्त्री जी के आदेशों का उल्लंघन किया गया तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यह पुलिस सुरक्षा कर सकेगी । जब मन्त्री जी के आदेशों का उल्लंघन कर दिया गया तो आम आदमी के बारे में क्या कहा जाए । मान्यवर, जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस पर आप अंकुश लगाने में सक्षम हैं ।

मान्यवर, अब मैं स्मगलिंग के बारे में कहना चाहूंगा, एक कार दातागंज थाने में एक साल से पड़ी हुई है और एक भी मुल्जिम नहीं पकड़ा गया । मान्यवर, कार का डिस्पोजल नहीं कराया गया कार का डिस्पोजल इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि मुल्जिम पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि एक पुलिस अधिकारी इसमें मिले हुए हैं । मान्यवर, जांच में यह तथ्य सही पाये गये लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई इसी तरह से मान्यवर, जो एप्रूव्ड दरोगा है वह दस हजार रुपया नहीं दे पाया तो उसको ज्वाइन नहीं दिया गया और एप्रूव्ड नहीं है वह चार्ज लिए हैं, तो इस तरह से हो रहा है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से 2 दरोगा जो बदायूं जनपद के थे और जिनके ऊपर 395, 342 की रिपोर्ट दर्ज हुयी और जब रिपोर्ट दर्ज हुयी तो यहां से संरक्षण की

आती है । उसकी सैंक्शन भी मिल गयी और जो 342 का जुर्म था एक साल के अन्दर उसकी चार्जशीट लगनी थी तो चार्जशीट नहीं लगायी गयी और रुपये लेकर उस मामले को छोड़ दिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि यह मैंने अपने मंडल के एक जिले के बारे में घटना बतायी है पुलिस की ऐसी गतिविधियां हर जिले में आज हो रही हैं और आप नहीं कह सकते हैं कि आपका पुलिस पर कोई अंकुश है । मैंने अभी गृह मन्त्री जी के जनपद के बारे में पुलिस के जो वहां कार्य-कलाप हैं उनका जिक्र किया था ।

एक सदस्य—

अपने जिले के बारे में बतायें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं अपने जिले के बारे में बता रहा हूं । आप हरिजनों की बहुत बातें करते हैं । हरिजनों के साथ पुलिस जो व्यवहार कर रही है वह सबको मालूम है । केवल ऐसा नहीं है कि जनता ही के द्वारा उन पर जुल्म किया जाता है बल्कि पुलिस के जो लोग हैं वह अपने ही पुलिस हरिजन कर्मचारियों पर जुल्म करते हैं । हमारे जनपद में एक थाना कटरा है वहां के एक दरोगा ने जो उस थाने में चौकीदार था उससे चाय मंगायी। चौकीदार को चाय लाने में देर हो गयी तो उस चौकीदार को दरोगा ने इतना मारा कि वह बेहोश हो गया । उसको उसके घर भेज दिया गया और उसको दवा न होने से एक दिन बाद उसकी मौत हो गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के बड़े कर्मचारियों का अपने से छोटे हरिजन कर्मचारियों के साथ यह व्यवहार चल रहा है । बाकी और जो हमारे जिले की कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । हर जगह, कहीं न कहीं रोजाना कत्लों की भरमार लगी है । विधायकों के पास लोग यह कहने के लिये जाते हैं कि हमारे सम्बन्धी का पोस्टमार्टम पहले करवा दीजिये । यह हालत आज हो गयी है और यही हालत सारे प्रदेश की चल रही है । आप कह रहे हैं कि जुर्म कम हुये हैं । आपने कहा कि 6514 कत्ल हुये तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल के कत्लों के मुकाबले यह 4 फीसदी ज्यादा है । आपने कहा कि जुर्म कम हुये हैं तो मेरी बात को आप आलोचना की दृष्टि से न देखें, मेरी बात को सच्चाई से देखें तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में थानों के अन्दर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । आप दावा करते हैं कि रिपोर्ट अपराध पूरे के पूरे दर्ज हो रहे हैं यह बिल्कुल गलत है । कुछ दिन पहले इस बात की जांच करवायी गयी थी कि रिपोर्ट लिखी जाती हैं या नहीं तो इस सम्बन्ध में जितनी शिकायतें आयीं उनमें 70 फीसदी शिकायतें सिर्फ इसी बात की थीं कि थानों में एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की जाती है । आप कहीं पर देख लें एस0 पी0 के पास इसी बात की शिकायतें आती हैं कि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी । आज डकैती की रिपोर्ट चोरी में दर्ज की जाती है और चोरी और अन्य अपराधों की रिपोर्ट को साफ कर दिया जाता है । आप सदन में चाहे जितनी वाहवाही लूट लें लेकिन आज आपका नियंत्रण पुलिस पर नहीं रह गया है । दिन प्रतिदिन पुलिस की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है । जुर्म और अपराधों पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है । आप कहां-कहां देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि पुलिस अधिकारी भी इन जुर्मों में शामिल हैं । कानपुर के कलेक्टर के यहां पर चोरी हुयी कुछ दिन पहले । वहां पर पुलिस का पहरा था । पुलिस के पहरे के बावजूद भी कलेक्टर के यहां चोरी हो गयी । आपके बहादुर सिपाही सो रहे थे जब उनको जगाया गया तो पुलिस के सिपाही चोरों के डर से उन्होंने चोरों का पीछा नहीं किया । जब

कलेक्टर के घर की रक्षा नहीं कर पाये तो पुलिस के लोग कैसे हमारी रक्षा कर पायेंगे ।

मान्यवर, 17 दिसम्बर की बात है, माननीय गृह मन्त्री जी को जानकारी होगी । गृह मन्त्री जी के सुपुत्र एक स्कूटर पर तीन सवारियों के साथ जा रहे थे । हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कह रहा हूं, मंत्री जी को मेरी बात बुरी नहीं लगेगी । ट्राफिक का उल्लंघन होने पर पुलिस ने मंत्री जी के लड़के को रोक लिया और इनके लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया । जब मन्त्री जी को मालूम हुआ तो एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और दो को लाइन हाजिर कर दिया गया । चूंकि वह मन्त्री जी का बेटा था इसलिये यह कार्यवाही हो गयी अगर वह किसी साधारण आदमी का बेटा होता तो मैं समझता हूं कि वह बेचारा लहू का घूंट पीकर रह जाता और पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का सवाल नहीं पैदा होता । मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने आपके बेटे को देखा अगर वह ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा था तो जरूरत इस बात की थी कि उसका चालान करवाते । क्या जरूरत है पुलिस के लोग उससे हाथापाई करें । यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी तरीके से कानपुर के अन्दर एक मंत्री जी के पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया । दुर्व्यवहार का मतलब आप समझ रहे होंगे । जब पिटाई कर दी गयी तो उसके बाद वहां के दरोगा को निलम्बित होना पड़ा । आपकी पुलिस कानून मर्यादा के अन्दर रहकर काम नहीं कर रही है । वह अपने मनचाहे अधिकारों का उपयोग करती जा रही है जिससे कि समाज के अन्दर असंतोष व्याप्त है । मान्यवर, इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हाजी मस्तान 5 अप्रैल, 87 में लखनऊ में आये उस हाजी मस्तान के ऊपर रोक लगी हुई थी और उनने उन्नाव और कानपुर में मीटिंग की । जब इस बात का पता लगा तो उसको बम्बई भिजवा दिया गया । पता नहीं किस तरीके से वह कानपुर उन्नाव में मीटिंग करता गया इसी तरह से मौलाना बुखारी, सैयद सहाबुद्दीन के मेरठ जाने पर प्रतिबन्ध था और वह मेरठ पहुंच गये तो कहां गयी थी आपकी एल0 आई0 यू0, कहां गयी थी आपकी सी0 आई0 डी0 वह क्या कर रही थी, उनको रोकती जिन-जिन के जाने से रोक थी वह किसी को नहीं रोक पाई और जब रोक नहीं पाई तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है । अपको पता है इसी सदन के अन्दर कुछ समय पहले जो मैंने बताया कि पुष्पा देवी के घर वालों के साथ उनके आदमियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया । उन व्यक्तियों को 5 दिन तक बन्द रखा । मंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ तब वह छोड़े गये । अगर वह मंत्री जी बरेली न गये होते तो वह न छोड़ जाते । इसी तरह से आपके विधायक डाक्टर दत्ता जो हैं जब बनारस में दंगा हो रहा था तो उनके सथ दुर्व्यवहार किया गया । जब एक विधायक के इज्जत की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो कैसे उत्तर प्रदेश के आम आदमी की इज्जत सुरक्षित होगी और कैसे उनकी जिन्दगी सुरक्षित रहेगी । इसी से प्रकार से आप प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हैं । मान्यवर, अब मैं लखनऊ के बारे में 2-3 बाते कहना चाहता हूं ।

श्री अमर चन्द--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नेता विरोधी दल अपनी आवाज को थोड़ा धीमा कर लें तो हम लोगो की समझ में आ जाय आप यह बहुत तेज बोल रहे हैं । यह इतनी तेज बोल रहें हैं कि यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि मैं तेज बोल रहा हूं । आप मुझे संरक्षण दें, आप मेरी सहायता करें और मेरा समय बढ़ा दें ।

में माननीय सदस्य को भावनाओं का आदर करते हुए धीरे बोलूंगा। मान्यवर, 22 अप्रैल, 1987 को लखनऊ में मेटाडोर और जीपों में भरकर गुण्डे आये और उन्होंने सिनेमाहाल में तोड़ फोड़ की। यह मैं राजधानी की बात बता रहा हूं। यह सब हुआ लेकिन एक भी आदमी उनमें से नहीं पकड़ा गया। मान्यवर, 15 अप्रैल, 1987 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जी0 आर0 पी0 के सिपाहियों ने टिकट कलेक्टरों को, जो निरीक्षक हैं, बुरी तरह से पिटाई की और उनको घायल कर दिया लेकिन एक भी पुलिस कर्मी के खिलाफ कारवाई नहीं हुई। मान्यवर, 8 अप्रैल, 1987 को टेम्पो चालकों की स्ट्राइक हुई। पुलिस वालों ने उनकी 500 टेम्पों क्षतिग्रस्त कर दिये सैकड़ों टेम्पों पकड़कर ले जाये गये, 24 टेम्पो चालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मैं भी उस वक्त लखनऊ की जेल में उन टेम्पो चालकों को देखने गया था वह बुरी तरह से घायल थे। माननीय शारदा प्रताप शुक्ल जो भी मेरे साथ गये थे। मान्यवर, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जिस पर पुलिसवालों ने अपनी निर्दयता का दाग न लगाया हो और मैं समझता हूं कि उनकी लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट की गयी। उनकी जो जायज मांगें थी उन पर किसी ने गौर नहीं किया। मान्यवर, 5 मार्च, 1987 को कोहली दम्पत्ति जो टी0 वी0 देख रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया लेकिन उसका आज तक एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया गया। यह आपके लखनऊ के अन्दर हो रहा है। 24 मई को कैलाश छात्रावास की एक छात्रा से सत्य आपके बहादुर होमगार्डस के सिपाहियों ने दुष्कर्म किया उनको भी सजा नहीं दी जा सकी। यहां पर जो भी लूट, बलात्कार के काण्ड हो रहे हैं इनको कन्ट्रोल करने में सरकार सक्षम नहीं है। 15 जनवरी, को लव प्रकाश का अपहरण किया गया, पुलिस ने पकड़ लिया अच्छा किया। राजनैतिक हस्तक्षेप हुआ। कुछ समय बाद सारे मुल्जिमों को छोड़ दिया गया। वह व्यक्ति कौन था, उपभोक्ता कार्यालय के अन्दर। उनको नहीं पकड़ा गया। मुल्जिमों को पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन वह छोड़ दिये गये। लल्लू सिंह की हत्या कर दी गयी थी, आज तक पता नहीं चला। उसी तरह पता न चलाता, वह लोग पकड़े गये और पकड़ने के बावजूद छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं वह बहुत गलत है इस तरह नहीं होना चाहिए।

अब मान्यवर, दो-चार बातें कह देना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी भी इस बात के लिए जोर दे रहे थे कि हमारे प्रदेश के अन्दर पुलिस की कमी है। विरोधपक्ष इस बात को नहीं चाहता और न ही मांग करता है कि प्रदेश के अन्दर पुलिस कम रहे। प्रदेश में डी0 जी0 पी0, आई0 जी0 तथा और बड़े-बड़े अधिकारी हैं। जहां तक मुझको पता चला है प्रदेश में 7 डी0 जी0, 18 आई0 जी0, 50 से अधिक डी0 आई0 जी0 तथा बड़े-बड़े अधिकारी हैं। हर साल इन अधिकारियों की बढ़ोत्तरी करते जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को, सिपाहियों को बढ़ाना चाहिए। पुलिस फोर्स कम है। मैं भी सहमत हूं। मैं खुद मांग करता हूं कि प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए सदन के अन्दर कहने के बजाय इसको पूरा करें। जम्मू कश्मीर में एक हजार में 22 पुलिस कर्मी हैं, केरल में प्रति एक हजार 36, राजस्थान में प्रति एक हजार 27, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रति एक हजार पर केवल 12.57 पुलिस कर्मी हैं। कर्नाटक में प्रति एक हजार पर 48 इम्फाल में 31, मध्य प्रदेश में 38, गोवा में 58, असम में 32 हैं। मैं समझता हूं हर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मी बहुत कम हैं। इनको बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में घोषणा की थी लेकिन आज तक बढ़ाया नहीं गया। जी0 आर0 पी0 में भी बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। मैं इसका कहूंगा कि 1985-86 में अपराध बढ़े हैं। जी0 आर0 पी0 के

अन्दर अपराधों को विभिन्न वर्षों का तुलनात्मक ब्योरा प्रस्तुत करना चाहूंगा । 1984 में 6287 थे, 1985 में 6,302 और 1986 में 11,215 हो गये । जुर्म बढ़ गये । आपके यहां जुर्मों में काफी बढ़ोत्तरी हो रही । जुर्मों पर आप कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं । इसके अलावा जो आपने घोषणाएं की है, मेरा कहना है कि यदि कोई घोषणा जनमत के विरुद्ध करते हैं तो मैं समझता हूं उसका लाभ नहीं होगा । घोषणा जो भी करें वह ऐसी करें कि इसको लागू कर सकें और उसका लाभ मिल सके । जैसे आपने घोषणा की शिकायत पेटी लगायेंगे । किसी थाने में नहीं लगी । इससे कोई फायदा भी नहीं है । शिकायत पेटी का काम डिप्टी एस0 पी0 को दिया गया । डिप्टी एस0 पी0, एस0 ओ0 से मिला रहता है इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है । आप रजिस्टर लगवा रहे हैं । रजिस्टर के हिसाब से दलालों पर कन्ट्रोल करें कि दलाल न आ पाये । अगर आये तो कितनी देर बैठे । इस पर भी कन्ट्रोल नहीं हो सकता है न हो पायेगा । लेकिन कहीं कोई रजिस्टर नहीं खोला गया, इसलिए इस प्रकार की घोषणाओं से मान्यवर, कोई लाभ नहीं । इसके अलावा आपने कहा डी0 जी0 पी0 के कार्यालय में बदमाशों को पता लगाने के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बदमाशों को पता लगाने में कोई प्रगति नहीं है । दूसरे श्रीमन्, डी0 आई0 जी0 और आई0 जी0 के कार्य की गतिविधि, कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए आपके 10 अधिकारियों को एक टोली बंबई, बंगलौर, मद्रास और कलकत्ता को गयी, इस संबंध में भी आपने कोई घोषणा अभी तक नहीं की कि इन अधिकारियों ने आकर क्या जानकारी दी या नहीं दी और इस संबंध में आप आगे कोई प्रभावी कदम उठा रहे हैं या नहीं । मान्यवर, साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने टी0 एन0 वर समिति की संस्तुतियों को लागू करने की घोषणा की थी, दूसरी घोषणा राष्ट्रीय पुलिस सेवा समिति की संस्तुतियों को लागू करने की की गयी थी, इसके संबंध में भी आप अपने उत्तर में कृपया बताने का कष्ट करें कि हालांकी इसकी रिपोर्ट काफी पहले आपको प्राप्त हो गयी थी, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, साथ ही जिले में मुख्य मंत्रियों की इस संबंध में बैठक हुयी थी, जिसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव पुलिस के कार्यों के सुधार के सिलसिले में आये थे इन संस्तुतियों की आप लागू करने जा रहे हैं अथवा नहीं । साथ ही मुख्य मंत्री जी न एक गोरा समिति की संस्तुतियों को भी लागू करने की घोषणा की थी, इस बारे में भी कृपया बताने का कष्ट करें कि इस ओर आप क्या करने जा रहे हैं ।

दूसरे मन्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक कानून बनाया गया था कि 50 वर्ष के ऊपर के इंस्पेक्टर और एस0 ओज0 को थानों का इन्चार्ज नहीं बनायेंगे साथ ही इन अधिकारियों को इनके पड़ोसी जनपद में नहीं रखेंगे, तो मान्यवर, इन्सपेक्टर और एस0 ओज0 से ऊपर के अधिकारियों के लिए यह कानून क्यों नहीं बनाया गया है, जबकि देखने में यही आया है कि यह ऊपर के अधिकारी अपने गृह-जनपदों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस कानून की घोषणा तो काफी पहले से की गयी थी, लेकिन यह कानून आपके प्रदेश में लागू है या नहीं इसके विषय में भी जानकारी देने का कष्ट करे । दूसरे मान्यवर, एक महापुलिस निरीक्षक और गृह सचिव आदि की एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें मुख्य विषय खासतौर से यही थे कि पुलिस विभाग के बिगड़ैल अधिकारियों पर कैसे कन्ट्रोल किया जाए और पुलिस का विकेन्द्रीकरण किस प्रकार से किया जाए आदि मुद्दे थे, यह कमेटी अब तक बनी या नहीं यदि नहीं तो क्या पुलिस सुधार के लिए कोई अन्यत्र व्यवस्था की जा रही है, इस ओर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, इसकी सूचना भी इस सदन में देने की कृपा करें और इसी प्रसंग के सिलसिले में एक घोषणा आपकी ओर से और की गयी थी कि हम

पुलिस प्रशिक्षण कालेज खोलने जा रहे हैं, और यह कालेज आपने कहा था कि हम गोरखपुर में खोलेंगे, यह कालेज अब तक खोला गया अथवा नहीं। इस घोषणा के हुए अब तक 8 माह हो गये हैं और यदि खोल दिया गया तो अब तक आपने किन लोगों को इसमें नियुक्त किया है और उसकी अब स्थिति क्या है।

दूसरे मान्यवर, आज सी0 आई0 डी0 विभाग में कुछ कठिनाइयां व्याप्त हैं, जिन्हें माननीय मंत्री जी समझ लें तो शायद इनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सके जिससे इनकी स्थिति में सुधार हो सके जिससे इनकी कार्य-क्षमता में और बढ़ौत्री उत्पन्न होगी। सी0 आई0 डी0 विभाग में एक डी0 जी0 पी0 थे, श्री भटनागर, जिन्होंने इससे सम्बन्धित केसेज लेने ही बन्द कर दिए थे, हालांकि आज जनता का विश्वास सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में ज्यादा बन रहा है, इसीलिए जो सी0 आई0 डी0 की जांच की जाती है, आपसे आग्रह करते होंगे। मैं चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 में भी कुछ सुधार करें और सहूलियतें प्रदान करें, ताकि जो इन्स्पेक्टर सी0 आई0 डी0 में जाना नहीं चाहते हैं, वह वहां पहुंचे और अपनी कार्य क्षमता बढ़ावें। इसमें मेरा सुझाव है कि कुछ स्पेशल पे 75 रुपये उनको दी जाती हैं, उसके साथ ही महंगाई भत्ता देने का नियम बना था, लेकिन 23 मई, 1987 को आपने एक जी0 ओ0 के द्वारा तय कर दिया कि 75 रुपये स्पेशल पे पर जो महंगाई भत्ता मिलता है, उसको समाप्त कर दिया। इसको समाप्त नहीं करना चाहिये था। इसी प्रकार से 170 रुपये वर्किंग एलाउन्स दिया जाता है। इस प्रकार मिले 245 रुपये इनकी पेंशन में शामिल नहीं किये जाते हैं यदि वह 245 रुपये उनकी पेंशन में शामिल कर लें तो समझता हूं कि इससे पुलिस इन्सपेक्टर को आर्थिक लाभ होगा और इसका अंजाम यह होगा कि लोग सी0 आई0 डी0 में जायेंगे। मान्यवर, सिविल पुलिस में अधिकारियों को, 13 माह का वेतन दिया जाता है, जबकि सी0 आई0 डी0 में 12 माह की तनख्वाह देते हैं। यह कहां का इन्साफ है।

श्री अधिष्ठाता--

नेता विरोधी दल, एक घंटे से ज्यादा हो गया, अब कितना समय और लेंगे ?

श्री सत्यपाल सिंह--

अभी समाप्त कर रहा हूं। जल्दी ही समाप्त करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

5 मिनट में समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इसी तरीके से 200 रुपये हाउस एलाउन्स देते हैं, तो लखनऊ में जितने बड़े शहर हैं, उनमें जो सी0 आई0 डी0 के लोग रह रहे हैं, वह हाउस एलाउन्स 1976 में निर्धारित हुआ था, उसके बाद इसी समय सन् 1987 चल रहा है, 11 साल हो गये और इस समय मकानों के किराये तिगुने, चौगुने और पंचगुने हो गये हैं, लेकिन हाउस एलाउन्स अभी भी 200 रुपये ही है। मैं समझता हूं कि हाउस एलाउन्स बढ़ाने की या उनके रहने की व्यवस्था कर दें। क्योंकि हर सी0 आई0 डी0 के कर्मचारी को अपने परिवार के लिये डबल व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ सी0 आई0 डी0 के लोग तो दारुलशफा में और विधायक निवासों में रहते हैं। उनको प्राय: अपना परिवार दूसरे जिलों में रखना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको आवासीय व्यवस्था सुलभ करावें, अगर उनके लिये उचित

हाउस एलाउन्स की व्यवस्था सुलभ नहीं करा पाते हैं तो दो सौ रुपये के अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ाकर भत्ता देने की कृपा करें ।

मान्यवर, जितने भी पुलिस के विभाग हैं, मैं समझता हूं कि उनमें टाइम स्केल प्रोमोशन होता है, लेकिन पी0 ए0 सी0 में ऐसी बदतर हालत है कि जो दरोगा होता है, उसकी सारी जिन्दगी गुजर जाती है, वह दरोगा ही रहता है । इन्सपेक्टर से आगे नहीं बढ़ पाता । तो इसमें भी टाइम स्केल प्रमोशन की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि पुलिस के लोगों में निराशा की भावना न पैदा हो । अब मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं । इस सम्बन्ध में मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये । पुलिस वालों की कुछ लगाम खींच सकें तो आप जनता की कुछ भलाई कर सकेंगे और जनता का विश्वास जगा पाएंगे, पुलिस वाले नौकरशाह उस अड़ियल घोड़े की तरह हैं, जो जरा सी ढील देने से सवार को गिरा देंगे और अगर मजबूती से बैठा जाय तो यह नौकरशाह घोड़े इधर से उधर नहीं हो सकेंगे । मैं राम नरेश यादव जी के जिले आजमगढ़ गया था । वहां के थाना एरीला के अन्दर, वैसे एक घटना तो मुख्य मंत्री जी के जिले के थाना गुलरिया में हुई थी, इसी प्रकार भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव जी के जिले में श्री राम अवध यादव का डिस्पूट था छप्पर गलत डालने के लिये, दरोगा ने कहा कि 500 रुपये दे दो तो छप्पर नहीं हटेगा । राम अवध यादव ने वादा कर लिया । अगले दिन सुबह वे एक राजनीतिक व्यक्ति की पर्ची लेकर वहां पर पहुंचा तो दरोगा को जब वहां पर रुपये के स्थान पर राजनीतिक व्यक्ति की पर्ची मिली तो राम अवध यादव को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया । उसके बाद उनके लड़के राधेश्याम और भाई को भी गिरफ्तार किया गया । उन तीनों को थाने ले गये और रात भर रखा । रात भर में उनको तीन बार मारा गया और सुबह हथकड़ी लगाकर ले जा रहे थे कि राम अवध यादव ने दम तोड़ दिया । मैं समझता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिये सिर्फ 500 रुपये की खातिर आपके दरोगा ने उसको मार दिया । उस सम्बन्ध में आज तक केवल 2 सिपाही को इसमें लाइन हाजिर किये गये और किसी को कोई सजा नहीं दी गयी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे अपराधों को एक्सपलेमेंटरी बनाइये । पनिशमेंट के जो कुछ सिद्धांत हैं, सजा पाने के लिये, आज ऐसा काम करें जो समाज के अन्दर इबजामपिल हो । जिस दरोगा ने किसी के छप्पड़ को तोड़कर किसी को मारा पीटा, ऐसे दरोगा को जेल के शिकंजों में होना चाहिये । मैं बोलता चला जाऊंगा आप नोट करते रहेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी इस प्रदेश में करने वाले नहीं हैं । आपके यहां तो चिराग गुल रहता है, करेंट नहीं आता है । राम अवध के विषय में वहां पर लोगों में तमाम आक्रोश पैदा हो रहा है, लोग वहां पर धरना दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं । वह कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ अगर गैर इंसाफी हुई है तो न्याय मिलना चाहिये दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिये । न ही आपने गुलहरिया के सम्बन्ध में कुछ किया और इसमें भी लगता है कि इसी तरह से सोते रहेंगे । आप कुछ करेंगे नहीं इसी तरह से सोते रहेंगे । तो इस जिम्मेदारी को विरोध पक्ष उठाता रहेगा । आपके जो घोड़े बेलगाम हो रहे हैं, लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, उन पर आप नियंत्रण करें । उनको समुचित सजा दें । करहना कांड की बाबत परसों माननीय मुख्य मंत्री बोल रहे थे, यह कहा गया था कि करहना में पुलिस ने कोई जुल्म नहीं किया था । सिरवा काण्ड बस्ती में 1982 में हुआ था वहां की बाबत भी कहा गया था कि पुलिस ने कोई जुल्म नहीं किया । लेकिन, जो सी0 आई0 डी0 ने अपनी जांच रिपोर्ट दी पुलिस के लोग भी इसके लिये जिम्मेदार थे । पुलिस के लोगों ने लोगों के घरों में घुसकर औरतों के साथ बलात्कार किया तमाम जुल्म ढाये । सी0 आई0 डी0 ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि जो साक्ष्य थे उनको भी छिपाने की कोशिश की गयी । इसमें जिलाधिकारी और

एस० पी० को भी लापरवाही रही जिन्होंने उसकी स्थिति को गम्भीरता से नहीं लिया । सिरसवा कांड में भी सी० आई० डी० ने पुलिस को दोषी माना । करहंना काण्ड में मान्यवर, 11 लोगों को मारा गया, आप लोगों ने यह कह दिया कि पुलिस दोषी नहीं है । लेकिन, सी० आई० डी० ने जांच के बाद साबित कर दिया कि पुलिस दोषी थी । लोगों के घरों को तोड़कर के, उनको जानवरों की तरह से बाहर निकालकर पुलिस ने मारा । माननीय मंत्री जी, जब इस तरह की बात अपने ऊपर बीती होती है तो तब उसका एहसास होता है । आप इस तरह की चीजों को गहराई से देखें और रोक लगायें । पुलिस ज्यादतियों पर कार्यवाही का मन बनायें ।

छात्र आन्दोलन के विषय में कहना चाहूंगा आपका एक सी० ओ० उसमें मारा गया था । इलाहाबाद बनारस और लखनऊ में उस छात्र आन्दोलन को पुलिस ने बढ़ाया । मालवीय जी की जयंती मना रहे थे, 70वीं वर्षगांठ मना रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने उसमें अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करके वहां के विद्यार्थियों को उग्र रूप धारण करने पर मजबूर किया । छात्र संघ का जो सचिव था ओम प्रकाश उसको इतना मारा गया था कि उसके शरीर पर 77 घाव हो गये थे । अगर माननीय मंत्री आपका बेटा पढ़ रहा होता, राजनीति के अन्दर होता और पुलिस ने उसे इस तरह से मारा होता तो उसका एहसास होता । वहां पुलिस जुल्म को लेकर छात्र अन्दोलित हुए और उसका आक्रोश इलाहाबाद और लखनऊ में भी हुआ । लखनऊ के विद्यान्त कालेज में उस छात्र आन्दोलन के पहुंचते-पहुंचते आपके एक सी० ओ० को अपनी जान भी निछावर करनी पड़ी । आप पुलिस के लोगों को तमाम वेतन देते हैं, जो इस तरह की लापरवाही करते है, उनसे सख्ती से निपटें । उनको कहें कि परिस्थिति को गम्भीरता से समझें । उनके विरुद्ध सख्ती से कदम उठायें । यह जो छात्र आंदोलन हुआ यह आपके पुलिसजन के अनधिकृत हस्तक्षेप के कारण हो गया । आपके जो मुख्य मंत्री हैं यह तो तब तक किसी चीज पर ध्यान नहीं देते जब तक पानी सर से ऊपर नहीं हो जाता । जिस कारण एक भी समस्या का समाधान तत्काल नहीं हो जाता । राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पिछले वर्ष के आखिर माह में चली, डाक्टरों की हड़ताल चली, तमाम लोगों ने अस्पतालों में हड़ताल की वजह से और वहां उस स्थिति में कोई इंतजाम न होने की वजह से दम तोड़ दिया । लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री जी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी । डाक्टर, जूनियर डाक्टर जब लगातार हड़ताल पर रहे, मजबूर होकर हड़ताल पर रहे तो शासन समझौते का प्रयास करता रहा । शामली के अन्दर क्या हुआ, आपका एक सूबेदार उसमें मारा गया । वहां के किसानों पर पुलिस ने जुल्म ढाये । जब आन्दोलन उग्र हुआ तब कहीं जाकर आपने बिजली के रेट को 30 रुपये से घटाकर 25 रुपया किया । फिर और कम किया । जब तक शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए आप पर दबाव नहीं डाला जाता है तब तक मंत्री जी न तो आप और न ही आपका मुख्य मंत्री उनकी तरफ ध्यान देता है, इसलिए अपनी जायज मांगों की, हमारे मौलिक अधिकारों और लोक-तंत्र की रक्षा के लिए आपकी पुलिस को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये ।

आज यह सर्वविदित है कि आपका पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है । आये दिन किसी न किसी जनपद में कोई न कोई जुल्म होता रहता है । अभी पिछले दिनों हरदोई में लकड़ियां कान्ड हुआ, 8 लोग मार दिये गये और आप पुलिस को कोई सजा नहीं दिला पाये । हरदोई के अन्दर ही तिलक नाम का एक व्यक्ति रपट लिखाने गया तो उसकी रपट नहीं लिखी गई और जब उसका लड़का राम चन्द्र व लड़की भाग गई तो उन्हें पुलिस ने एक महीने तक थाने में बन्द रखा, उसके साथ बलात्कार करते रहे और तिलक को 6 दिन तक थाने में रखे रहे, उसे मारा पीटा फिर छोड़ दिया 6 दिन के बाद । फिर

भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आपने कितने पुलिस वालों को सजा दी। लखनऊ का एक दरोगा कैलाश छात्रावास के चपरासियों व चौकीदार से टेलीफोन पर लड़कियों की मांग करता था, जब एक दिन उस चौकीदार से मना कर दिया तो उस चौकीदार को बन्द कर दिया गया, आपने उस दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही की आज भी वह दरोगा वहीं बना हुआ है, इसलिए आपको ऐसे पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के प्रति सख्त से सख्त व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन आप तो कुछ सुनते नहीं हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम यहां पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए रचनात्मक आलोचना करते रहें, लेकिन आप उन पर विचार नहीं करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल काफी समय हो गया है, चूंकि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है और आपको दुबारा मौका मिलेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

पुलिस के लोग जो गलती करते हैं, उनके लिए आपने सजा रखी है। लेकिन जो सजा रखी गई हैं, वे खासकर इस तरह की सजायें हैं जैसे सर्विस से निकालना, निलम्बन करना, लाइन हाजिर करना और प्रतिकूल प्रविष्टि देना। इन सब सजाओं को मिलाकर कुल 6946 लोगों को आपने सजायें दी हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग पुलिस में अच्छा काम करते हैं, उनको आप पारितोषिक दीजिए। आपने जो अभी तक पारितोषिक दिये हैं, वह केवल 49 लोगों को दिये गये हैं जैसे राष्ट्रपति पदक, भारतीय पुलिस पदक आदि। आपके पुलिस के अन्तर्गत कई अधिकारी व कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने शौर्य व अच्छे कार्यों का परिचय दिया है और कई अधिकारियों के लिए अनेकानेक रिकमन्डेशन भी आपके कार्यालय में कई सालों से लम्बित पड़ी हुई हैं, जिन्हें राज्यपाल व राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिये, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में कितने पारितोषिक उन संस्तुतियों के आधार पर दिये हैं। 4 दिन पहले जब हम मुख्य मंत्री जी से बात कर रहे थे दंगों के संबंध में तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ में भी दंगा भड़क गया था लेकिन वहां के पुलिस अधीक्षक ने आधा घन्टे में दंगे पर काबू पा लिया, तो उस समय हमने व कल्याण सिंह जी ने कहा भी था कि यदि उसने इतनी तत्परता का परिचय दिया गया है तो आपको उसे 100 या 500 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा करनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी तो स्वयं मेरठ गये थे, लेकिन महीने भर तक वह दंगे को नहीं रोक पाये उसने तो आधा घन्टा में दंगे पर काबू पा लिया। जिस कानून की आप बराबर दुहाई देते हैं और जिन अधिकारियों को आप शान्ति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे अधिकारियों को पुरस्कृत करें लेकिन मैं समझता हूं कि आपको ऐसी कोई याचना नहीं है, ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं और आप ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं।

आज आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या छात्र आंदोलन की है, किसी भी मुद्दे पर आपकी सरकार सफलता प्राप्त नहीं कर पायी है आज सबसे भीषण चुनौती जो है, साम्प्रदायिक दंगे की है। दंगों में न जाने घर बरबाद हो जाते हैं, कितने घर लूट जाते हैं, कितनों की अस्मत चली जाती है। गृहमन्त्री जी, आपके प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसे दंगे भड़कते हैं। आप अपनी पुलिस और पी० ए० सी० में इस बात का विश्वास पैदा करिये कि जनता अगर तुम्हारा विश्वास नहीं करती है तो पुलिस और पी० ए० सी० बेकार साबित हो जायगी। आज दंगे मेरठ में ही नहीं हैं बल्कि फैजाबाद, बनारस, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, पीलीभीत अनेक जिलों में दंगे भड़के हैं। यह आपके लिये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आज आप पी० ए० सी० की संख्या बढ़ा रहे हैं। 1 लाख 10 हजार के स्थान 1 लाख 25 हजार करने जा रहे हैं, 5 हजार महिला पुलिस

कर्मियों की भर्ती करने जा रहे हैं, 6 कम्पनी पी० ए० सी० की आपने बना दीं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि एक वर्ग आज पी० ए० सी० से बहुत बड़ी नफरत कर रहा है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम नाम बदल देंगे कह देंगे कि "स्पेशल पुलिस फोर्स", इससे क्या होगा, आप पुलिस वालों को ऐसा आचरण करना सिखाइये कि वे अपनी मनोवृत्ति को बदलें, जिसके तहत अंग्रेजों के जमाने में दमन चक्र चलाया था और आज भी हमारी सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पुलिस के अन्दर ऐसी भावना जागृत हो कि आम आदमी उसको अपना रक्षक समझे, खेत में खलिहान में खड़ी हुई महिला उसे देखे तो सोचे कि पुलिस का सिपाही नहीं उसका भाई है। हमारे देश ने इनका परिचय दिया है। अगर मिलेट्री के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो नेफा और लद्दाख में हमारे यहां की बहू-बेटियों ने उन नौजवानों के मस्तक पर अक्षत और रोली से टीका किया था और कहा था कि, भाई जाओ, मां की लाज तुम्हारे हाथ है।" आज पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। आये दिन लोग गलत बन्द किये जा रहे हैं। फर्जी इनकाउन्टर हो रहे हैं। आज गांवों में पहुंच कर इस बात का एहसास होता है कि वहां की पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बनती जा रही है। आज की इस परिस्थिति में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था के लिये सबसे बड़ी जरूरत है साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की। आज सारा प्रदेश साम्प्रदायिक ज्वाला में जल रहा है। मेरठ में अगर किसी भी पुलिस अधिकारी ने, पी० ए० सी० के अधिकारी ने कोई जुल्म ढाया है, तो उसकी जांच कराइए और जो जांच चल रही है, उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। कहीं सी० आई० डी० की जांच, कहीं उच्च अधिकारी की जांच कहीं कोई जांच। समाज के उस वर्ग में विश्वास पैदा करिये, जिस वर्ग का विश्वास उठ चुका है पी० ए० सी० पर से। अवाम की जनता को पुलिस और पी० ए० सी० से भय नहीं होना चाहिये। उत्तर प्रदेश के अवाम का विश्वास पुलिस और पी० ए० सी० पर से उठ रहा है। आज पुलिस जहां चाहती है, इनकाउन्टर करती है, डकैतियों और चोरियों में पुलिस शामिल होती है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप अंकुश लगायें, मैं चाहता हूं कि प्रशासन में आप परिवर्तन लायें जिससे उत्तर प्रदेश की जनता शान्ति के साथ, अमन-चैन के साथ रह सके। इस समय आप बजट की राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं कि इसकी राशि को बढ़ा दिया जाय, मैं कहता हूं कि जब आपका पुलिस प्रशासन ऐसा है तो उसकी राशि बढ़ाने के बजाय जैसा कि मैं प्रस्ताव लाया हूं घटा दी जाय और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। इन्हीं शब्दों से साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

निलम्बित सदस्यों के निलम्बन प्रस्ताव को वापस लिये जाने की मांग (क्रम.गत)

[समय 4 बजकर 40 मिनट]

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, सदन का समय लगभग समाप्त होने को है और प्रातःकाल मैंने एक सवाल यहां उठाया था कि सरकार ने जो 52 सदस्यों को निलम्बित किया है, उनके निलम्बन वापस लेने के संबंध में वह सदन में इसकी घोषणा करें। इस संबंध में आज अध्यक्ष जी के कक्ष में वार्ता भी हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी हठवादिता पर कायम है क्योंकि वह निलम्बन वापस लेने के मूड में नहीं है और न इस सदन में इस प्रकार की घोषणा ही की जा रही है। इस तरह से विपक्ष के सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह जो 52 सदस्य निलम्बित किये गये हैं यह 52 क्षेत्रों से चुन कर आये हैं और इससे सदन में 52 क्षेत्रों की समस्या उजागर नहीं हो पा रही है। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से 52 क्षेत्रों की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने कहा था यदि सदन में निलम्बन वापस लेने

की घोषणा नहीं की जाती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की हठवादिता, लोकतान्त्रिक अधिकारों के हनन, संवैधानिक अधिकारों के हनन के विरोध में हमने सदन मे बैठे या नहीं गम्भीरता से फैसला कर लिया है । अभी भी यदि सरकार की ओर आता है कि वह निलम्बन वापस ले रही है, यदि ऐसी घोषणा हो तब तो भारतीय जनता पार्टी यहां बैठगी अन्यथा हमारी पार्टी उस अवधि तक सदन का बहिष्कार करेगी जब तक कि उन 52 सदस्यों का निलम्बन वापस नहीं लिया जायेगा । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार इस सदन में घोषणा करे कि निलम्बन के संबंध क्या विचार हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (हुकुम सिंह)--

अभी सम्मानित सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात का उल्लेख किया है उस संबंध में मैं आपके माध्यम के जानकारी देना चाहता हूं कि आज ही इस संबंध में पूरी गम्भीरता के साथ जिसमें आप भी थे, माननीय नेता विरोधी दल भी थे, माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ विस्तार के साथ बात हुई । जैसा कि अनुरोध था कि माननीय अध्यक्ष की तरफ से उनको आमंत्रित किया जाय और बात की जाय, बात हुई, कई-कई निर्णय बदले लेकिन इस पर कोई हल निकाल लिया जायेगा । आपत्ति कोई नहीं है, कितनी खूबसूरती के साथ कोई हल निकाला जाय, प्रश्न यह है । यह बात सामने आयी है, इसमें माननीय अध्यक्ष जी की गरिमा का भी प्रश्न है कि उन्होंने ही उनको बुलाया था । सबकी सलाह ली गयी मगर कोई हल नहीं निकला । मैं समझता हूं कि इससे उचित कोई समाधान हो नहीं सकता है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इन सब बातों से सहमत होगी ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, ऐसे आश्वासन सदन में तीन बार दिये जा चुके हैं और आज चौथी बार हुकुम सिंह जी फिर यह आश्वासन दे रहे हैं । मान्यवर, हमारी यह धारणा पुष्ट हो रही है कि लोक तन्त्र की हत्या पर यह सरकार तुली हुयी है, यह सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है और जो लोग इस सदन में नहीं हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रही है । इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उस अवधि तक के लिये जब तक कि उनका निलम्बन समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कल्याण सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, सुबह औचित्य के प्रश्न के माध्यम से 52 सदस्यों को वापस लेने के लिये माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया गया था, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार बिलकुल अलोकतान्त्रिक रवैया अपनाये है और जनतान्त्रिक मूल्यों का गला घोटने पर तुली हुयी है । यहां पर प्रत्येक सदस्य को आने का अधिकार है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अधिकार है, लेकिन मान्यवर विरोधी पक्ष के बार-बार अनुरोध करने पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा पहले है, मैं समझता हूं कि यह सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। मान्यवर, इसलिये मैं सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैय के कारण आज के लिये मैं अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सत्य पाल सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, निलम्बन न वापस लेने के सम्बन्ध में और सरकार के तानाशाही रवैये के कारण मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और आज के लिये निर्दलीय विधायकों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा कतिपय निर्दलीय सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, इस सरकार की आस्था प्रजातन्त्र में समाप्त हो गयी है और सरकार के इस रवैये ने जम्हूरियत का कत्ल करा दिया है। प्रदेश की जनता आज समस्याओं से घिरी हुई है। 52 क्षत्रों के लोग अपनी बात कहने से वंचित हैं। इसलिये आज के लिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुल बारी सदन त्याग कर चले गये)

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, सर्व प्रथम तो मुझे बहुत ही खेद है कि हमारे जो लोकतान्त्रिक सिद्धान्त हैं, उनका पालन हमारा विरोधी पक्ष नहीं करता है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने बहुत ही स्वीट लैंगएज में प्रेमपूर्वक यह बात रखी कि ऐसा कोई समाधान होना चाहिये और एक ऐसा सम्मानपूर्ण समाधान होना चाहिये कि कोई बिटरनेस न रहे और किसी के दिल में कोई बात न रह जाये और लोग लौट आयें और इस प्रकार का विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन इस पर भी विरोध पक्ष ने तानाशाही रवैया अख्त्यार किया है।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) (क्रमागत)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करने वाला कोई नहीं है, इसलिये आप बजट को पास करावें।

श्री प्रदीप माथुर--

पास करा दीजिये, हां-ना करा दीजिये।

एक सदस्य--

अब सुनने की जरूरत नहीं है, बजट पास कराइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदन की जो भावना होगी, वही किया जायेगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, विरोध पक्ष ने जो तानाशाही रवैया अख्तियार किया है, वह ठीक नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक तन्त्र का पौधा बहुत ही नाजुक है और उसकी बहुत अच्छी तरह से परवारिश करने की आवश्यकता है । अगर हम स्टेटसमेन-शिप का रास्ता नहीं अपनायेंगे, अगर हम सिम्पैथेटिक और टालरेंट एटीच्युड नहीं लेंगे, विचार-विमर्श आपस में नहीं रखेंगे तो यह लोक तन्त्र का पौधा सूख जायेगा । हमारे विरोध पक्ष के लोग इस लोकतन्त्र के पौधे को सुखा देने में रुचि रखते हैं उसको मजबूत करने में रुचि नहीं रखते हैं । यदि यह न होता तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदर्शन उन्होंने किया वह न करते। यह लोकतन्त्र विरोधी प्रदर्शन उन्होंने किया ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था । उनकी टेन्डेन्सी फासिस्ट है । यह उससे ऊपर नहीं उठ सकते । मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कोई हिन्दू मुसलमान का झगड़ा हो तो और गल्ती हिन्दू की हो और चूंकि मैं हिन्दू हूं इसलिये हिन्दू की हिमायत करूं तो इससे ज्यादा जातिवादी और साम्प्रदायिकवादी और कोई हो नहीं सकता । इसी तरह से अगर कहीं पर मुसलमान की गल्ती हो और चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिये मैं मुसलमान की हिमायत करूं इसलिये मुझसे ज्यादा जातिवादी और साम्प्रदायिकवादी और कोई नहीं हो सकता । मैं एक लेजिस्लेटर हूं और एक लेजिस्लेटर की ही बात मानूं तो यह भी कहां तक उचित है, इससे ज्यादा पक्षपात की और कोई बात नहीं हो सकती है । भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की साम्प्रदायिक और जातिवादी विचारधारा में रुचि रखती है । इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि यह लोकतन्त्र में विश्वास करती है ।

अभी पुलिस के बारे में बातें कहीं गयी । एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की अनावश्यक आलोचना उचित नहीं है । लेकिन यह बात भी सही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश न हो, जिसको बेहतर बनाने की गुंजाइश न हो ।

पुलिस को बेहतर बनाने की गुंजाइश है और उसके लिये कोशिश करनी चाहिये पुलिस का काम बहुत ही कठिन है और खास तौर से आज की हमारी परिस्थितियों में बहुत ही कठिन है । कभी-कभी ऐसा लगता है कि तलवार की एक धार पर चलने की बात है । अगर वह कुछ करती है तब भी आलोचना होती है और कुछ नहीं भी करती है तब भी आलोचना होती है । दोनों तरफ से उसकी आलोचना होती है । लेकिन पुलिस का कर्तव्य है कि कभी-कभी कठोर रवैया अख्तियार करके वह शान्ति व्यवस्था कायम करे । उसमें कभी-कभी आलोचना भी हो जाती है । लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको ऐसा करना पड़ता है । इस तरह से पुलिस का काम कठिन है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ने अपना कर्तव्य पालन इन वर्तमान परिस्थितियों में किया, इसमें कोई सन्देह नहीं है । आप देखें कि एक छोटी से छोटी बात पर हमारे पढ़े-लिखे लोग टीचर्स और प्रोफेसर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं, जरा सी बात पर तोड़-फोड़ का कार्यवाही शुरू कर देते हैं । मैं सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप मुझे बतायें कि अन्य देशों के कहीं के कर्मचारी कभी स्ट्राइक पर जाते हैं जैसे भारतवर्ष में जाते हैं । यहां पर नारा लगाया

जाता है जो हमसे टकरायेगा, चूर-चर हो जायेगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नारा नहीं लगाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या दुनियां के किसी देश मे अमेरिका, इंग्लण्ड, स्विटजरलैंड, नारवे, फिनलैण्ड, हालैण्ड या किसी भी देश में इस तरह की स्ट्राइक होती है जैसी हमारे यहां होती है, जैसा यहां सरकारी कर्मचारी या टीचर्स अथवा प्रोफेसर्स करते हैं यही नहीं शासनादेश को पैरों तले दबाते हैं और उसे आग लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करे। माब इज कैपेबल आफ एनी थिंग इक्सैप्ट इंटैलिजेंट एक्शन यानी माब कुछ भी कर सकता है सिवाय अच्छे काम के। जब माब को एलाऊ करते है तो उसे थोड़ा सा बल मिल जाता है इससे वह वायलेंट एटीट्यूट अख्तियार करता है वह कन्ट्रोल के बाहर हो जाता है। ऐसे में पुलिस को डंडे भी बरसाने पड़ते हैं और कुछ लोगों को चोटें आ जाती हैं। तो जब लोग रोज धरना देंगे, डिमांनस्ट्रेशन करेंगे अराजकता फैलायेंगे तो इससे अराजकता फैलती है। हमारे विरोधी पक्ष के लोग रोज-रोज इस तरह की चीजों का सहारा लेंगे और उसमें यह कहेंगे कि लाठी चार्ज हो गया तो उसमें एडजार्नमेंट मोशन यहां लायेंगे तो यह कहां तक उचित है।

हमारे प्रदेश में आर0एस0एस0, हिन्दू जागरण, विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सांप्रदायिक है। उनके बरक्स इस चीज का प्रचार कर रहे हैं तो इससे माब मैंटालिटी बढ़ती है जिसका दुष्परिणाम हमारी सरकार पर पड़ता है।

अभी माननीय मन्त्री जी ने बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में कहा तो मैं थोड़ा इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह बहुत नाजुक मसला है। जो लोग यह सवाल उठाते हैं उनमें से मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग लाइब्रेरी में जाकर इसके इतिहास को पढ़ते हैं। मेरठ में दंगों के सिलसिले में बात उठाई गई तो मैं पूछता हूं कि कितने लोगों ने इस चीज को पढ़ा कि इसमें डिस्प्यूट क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल सिंपल प्रापर्टी का मामला है इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिये उसकी उसी तरह से तय होना चाहिये जैसे, प्रापर्टी के मामले तय होते है। इसके तीन तरीके हैं एक तो कोर्ट से दूसरा पंचायत से और तीसरा पुरातत्व विभाग में देन से। इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर हम कोर्ट की उपेक्षा करेंगे तो सारे इंतजाम बिगड़ जायेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं अभी इसराइल में यहूदियों ने अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया था वहां मकान तामीर कर दिये थे तो अरब वालों ने मुकदमा दायर किया तो वह दो अदालतों से हार गये तो तीसरी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर हुआ वहां उनका क्लेम माना गया और उसका एक्जीक्यूशन हुआ। इसी तरह अभी बनारस में हुआ। बाबरी मस्जिद का यहां पर जिक्र आया तो जब वहां का ताला खुला तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने ऐसा जश्न मनाया जैसे लगा कि जैसे राज्याभिषेक हो रहा हो और भगवान साक्षात्कार प्रकट हो गये हों। मेरे क्षेत्र में सारी रात पठाखे छोड़ गये। तो ऐसे मामलों में सहिष्णुता बरतनी चाहिये। यह दायित्व अदालत पर छोड़े दिया जाय वहां से जो फैसला होगा यह सबको मानना चाहिये। तो मैं कह रहा था इसी तरह से बनारस में हुआ वहां कब्रिस्तान का मसला था उसमें अदालत ने एक फैसला दिया उस पर आपस में लोगों ने पंचायत कर उसे माना, मान्यवर, आखिरी बात कहना चाहता हूं कि सारे सम्मानित सदस्यों का एक संकुलर पार्टी से तालुक है, इसलिये हम सभी का कर्तव्य होना चाहिये एक भाई चारे का वातावरण पैदा करें और मुहब्बत की फिजा पैदा करें और साम्प्रदायिकता जो फैला रहे हैं उनसे डट के लड़ने के लिए तैयार रहें। हमारे देश को कुछ साम्प्रदायिक तत्व लेबनान और साइप्रस बना देना चाहते हैं, तो यह नहीं बनने देना

चाहिए। यह भारतवर्ष है और भारतवर्ष ही रहेगा, जहां सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, यह हम सभी का कहना है ।

माननीय, शायर मलिहाबादी जोश साहेब ने कहा है कि मौलवी चाहता है कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाये लेकिन अल्लाह कहता है कि मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों रहें । इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कहना है कि सारी दुनिया में कोई न रहे और हिन्दू ही रहें । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह हिन्दू और मुसलमान सभी का देश है, हमको उग्रवादी और रिवायवलिस्ट और फन्डामेंटलिस्ट से सावधान रहने की जरूरत है ।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से चन्द बातें और कहना चाहता हूं कि जितने अन-लाइसेंस्ड आर्म्स हैं उनको निकाल दिया जाये, गुण्डों से सख्ती का बरताव किया जाये और राजनीति में जो गुण्डे आ रहे हैं और जो चुनकर भी आ गये हैं उनके साथ आप सख्ती करें। मंत्री जी पुलिस को अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिये, लोकतंत्र के अनुरूप उसे होना चाहिये, उसे सर्वेन्ट होना चाहिये, मास्टर नहीं होना चाहिये और सद्भाव के मुताबिक काम उसे करना चाहिए । इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी क्या सदन में माननीय सदस्य जो उपस्थित हैं वह चर्चा इस गृह विभाग के बजट पर चाहेंगे ।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत से लोग हमसे असहमत हो सकते हैं लेकिन इस सदन की तस्वीर यह नहीं बननी चाहिये कि कांग्रेस के विधायक गृह विभाग के मसले पर अपने जिले या अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में चिन्तित नहीं हैं या उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, यदि हमारे पास समय है तो कांग्रेस विधायकों को इस पर पूरी चर्चा करनी चाहिये, उसके बाद इस बजट को पास करना चाहिये, यह मेरी राय है ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्यों के मूड से लग रहा है कि कुछ माननीय सदस्य जरूर बोलेंगे इस बजट पर, तो मेरा कहना है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको आप बुलवा दें, चूंकि यह महत्वपूर्ण बजट है और अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं ।

*श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए गृह मन्त्री जी ने जो आज गृह विभाग का अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव सदन में रखा गया है उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मामले में देखें तो भारतवर्ष की करीब एक बटा छः आबादी उत्तर प्रदेश में है और इतनी बड़ी जनसंख्या पर यहां केवल 1 लाख 50 हजार पुलिस कर्मी नियुक्त हैं । जो आप देखें औसत के हिसाब से बहुत कम है । उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों पर इतने बड़े प्रदेश में होने वाले चोरी, डकैती,

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नोक्षण नहीं किया ।

दंगा, रायट, फायर, यातायात समस्या और तमाम हत्याओं की जिम्मेदारी रहती है। साथ ही साथ मेला में और होली और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर तथा विभिन्न जुलूसों के निकलने के अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शान्ति स्थापना की सारी जिम्मेदारी रहती है। जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश के पुलिस पर जिम्मेदारी है, उससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके 24 घंटे कार्य करने के बाद जो उनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वह पर्याप्त हैं। उनको सुविधाएं बहुत कम हैं।

सन् 1985 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो भयंकर बाढ़ आई थी और अपने नगर लखनऊ में बाढ़ का जो भीषण संकट आया था जिसमें कि सैकड़ों और हजारों आदमियों के प्राणों का संकट पैदा हो गया था, उसमें जिस तत्परता से यहां की पुलिस ने साहसिक कार्य किया, उसके लिए यहां के मंत्री जी को और पुलिस विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूं। अब मैं थोड़े से समय में मान्यवर, आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान ट्राफिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ले जाना चाहता हूं। 99 लाख रुपये का एलोकेशन ट्राफिक बजट में जो किया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह सम्भवतः कम है। इसका कारण यह है कि इस प्रदेश में जिस तरह से टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स तथा दूसरे तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन बढ़ गये हैं वो नित्य नये-नये सड़कों पर आ रहे हैं, उससे एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अकेले स्थानीय बलरामपुर अस्पताल की ही यदि आप मान्यवर, समीक्षा करें तो वहां पर रोज चार-पांच हेड इंजरी के केसेज आ रहे हैं, जो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कई बार शासन द्वारा घोषणाएं किये जाने के बावजूद कि टू व्हीलर्स पर बैठने वाले ड्राईवर और सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा अभी तक इसको इम्पलीमेंट नहीं कराया गया है। यह घोषणा टू-व्हीलर्स पर स्ट्रिक्टली आबजर्व नहीं हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि शासन इसका काफी कड़ाई से पालन कराये, अन्यथा यह एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। जो स्कूल-कालेज या मन्दिर-मस्जिद हैं, मेन हाइवे या रोड पर हैं, उनके सम्बन्ध में कई बार शासन ने निर्णय लिया कि वहां से जो तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरेंगी उन पर नियन्त्रण रखने के लिए वहां पर गतिरोधक या रोड-ब्रेकर बनवाए जाएंगे, किन्तु उसका भी अभाव है। तो आप ऐसे निर्देश दें। अकेले स्थानीय क्रिश्चियन कालेज के सामने जो जगतनारायण रोड पर मेन रोड पर है 60 स्टूडेन्ट्स इन एक्सीडेन्टस के शिकार हुए हैं।

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं पुलिस विभाग के सम्बन्ध में सबसे बड़ी लोगों को शिकायत थी कि थानों में उनकी एफ0 आई0 आर0 नहीं लाज की जाती है, या मिनिमाइजेशन आफ क्राईम्स किया जाता है अर्थात् डकैती को चोरी में लिख देते हैं, जो उन्होंने यह नई व्यवस्था कर दी है और जिसकी आज यहां पर घोषणा भी की है कि थाने के सामने एक स्थान पर सूचना पेटी रखी जाएगी, जिसकी रिपोर्ट लाज नहीं हो पाएगी, वह उसमें अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकेंगे और डिप्टी एस0 पी0 पेटी के कागजों को निकाल कर उस पर कार्यवाही करेंगे। इस तरह से उनकी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही हो जाएगी और पीड़ित को लाभ पहुंच सकेगा।

पी0 ए0 सी0 की भी बहुत चर्चा की जाती है। बनारस विश्वविद्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में पी0 ए0 सी0 ने जिस तरह का कार्य किया है, वह किसी से छुपा नहीं है। पी0 ए0 सी0 की फिर भी आलोचना हो रही है। आज उत्तर प्रदेश पी0 ए0 सी0 की 15 बटालियंस दिल्ली में तैनात हैं और वहां से उनके कार्यों के लिए प्रशंसा-पत्र भी आया है। 4 बटालियंस पी0 ए0 सी0 की उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं, जिसके पास न बैरक हैं न पक्की बिल्डिंग्स हैं। उस पर भी वह तम्बू आदि में हर मौसम में रह कर 24 घंटे कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। जहां तक जिक्र आया

था कि 18.27 परसेन्टेज उनमें अनुसूचित जाति का हो गया है । मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि नागपुर, और बदाऊ-नागपुर में ट्रेनिंग सेन्टर खोले जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप खत्म करें ।

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं । दहेज के बारे में कहना चाहूंगा दहेज मृत्यु ही होती हैं उसमें जो आदेश हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए । मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग को जो स्कूटर, मोटर चेकिंग के आदेश दे दिए गये हैं, तो वह पौने दस बजे जो लोग कार्यालय आते हैं, जो पुलिस वाले उन लोगों की स्कूटर चेकिंग करते हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर उन्हें चेकिंग करनी है तो जब दोपहर को और शाम को किया करें सुबह के समय चेकिंग न की जाए इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

[समय 5 बजकर 10 मिनट]

मान्यवर नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिए हैं उसमें जो शासन की तरफ से तत्काल सुधार करने योग्य होंगे उनको कार्यान्वित हम करेंगे । इन्होंने जो मुख्य बातें कही हैं उनकी बिन्दुवार जवाब देने की तो आवश्यकता है नहीं, उनका परीक्षण हम करायेंगे और कार्यवाही करेंगे दो बातों के बारे में मैं कहना चाहूंगा । सी० आई० डी० के बारे में नेता विरोधी दल ने कहा था कि परीक्षण नहीं कराया जा रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई, 1985 को 2500 केस पेंडिंग थे उसमें 900 के करीब डिस्पोजल हो गये अब जनवरी, 1987 में इनकी संख्या घटकर एक हजार के करीब रह गई है 1500 का डिस्पोजल हो गया है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यवहार की भी शिकायत की तो इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दे दिए गए हैं । पुलिस को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है । किसी समय जब थाने में उनको अपराधियों से जांच पड़ताल करनी होती है तो उन्हें दूसरी मुखमुद्रा और भंगिमा बनानी पड़ती है और उसी समय वहां कोई सामाजिक कार्यकर्ता आ बैठता है तो पुलिस वाले को दूसरी भंगिमा से दूसरी तरह से कार्य करना पड़ता है तो उन्हें नाटक की तरह से कार्य करना पड़ता है । तो प्रारम्भ में इन्होंने मान्यवर, कहा था कि पुलिस कर्मचारियों को इनाम नहीं दिए जाते हैं, तो जो पुरस्कार की राशि है वह पहले 161 लाख रुपये थी उसे बढ़ाकर 171 लाख रुपये कर दिया गया है । मान्यवर, 67 पुलिस कर्मचारी सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और 23 लोग घायल हुए हैं, इस तरह से पुलिस बल अपनी सेवा में सर्वाधिक सफल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,43,98,60,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

(मद संख्या-12 पुकारे जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह--)

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 14-7-87 को 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । श्री रघुबर दयाल वर्मा की जनपद मथुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग को एलाट 45 लाख रुपये को अन्यत्र खर्च करना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री सत्य प्रकाश विकल का बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार से बिजली की चोरी तथा चार की मृत्यु, इसमें श्री मनोहर लाल जी का नाम भी शामिल है, श्री सूर्य प्रताप शाही की लखनऊ शहर में सड़क के किनारे की भूमि से नगर महापालिका के अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ के कारण बेरोजगार स्नातक असहाय एवं डा0 दिनेश जौहरी की सरकारी नलकूप खराब होने से सम्बन्धित सूचनायें हैं ।

इसमें प्रथम सूचना जो श्री रघुबर दयाल वर्मा की है वह वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री मनोहर लाल, इनकी सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987

श्री अधिष्ठाता--

थोड़ा सा रह गया है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 4, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) के नियुक्ति प्राधिकारियों को नियुक्ति करने की व्यवस्था करने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अधिनियम, 1987 कहा जायेगा ।

(2) यह 19 जून, 1981 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

नियुक्ति प्राधिकारी

अधिनियम संख्या 64 सन् 1950

2—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) का नियुक्ति प्राधिकारी उक्त निगम का निदेशक बोर्ड या नियुक्ति करने के लिये उक्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा और उसके अन्तर्गत सदैव सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन जैसा वह सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधन किये जाने के पूर्व था, उक्त निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी समझा जायगा ।

कतिपय कार्यों का विधीकरण

अधिनियम संख्या 63 सन् 1982

3—किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा नियमावली, 1981 के किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 19 जून, 1981 को या उसके पश्चात् दिये गये किसी आदेश, कृत कार्य या कार्यवाही या प्रयुक्त अधिकारिता को केवल इस आधार पर कि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे, अविधिमान्य या शून्य नहीं समझा जायगा या कभी भी अविधिमान्य या शून्य हुआ नहीं समझा जायगा ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1987

4—(1) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4, खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नवज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सुरेन्द्रनगर हजपुरा, जनपद फैजाबाद के अध्यापकों की सेवा समाप्ति के विषय में वक्तव्य

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[नवज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्रनगर हजपुरा, जनपद फैजाबाद एक असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय है । इस विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के पत्रांक–शि0 स0/2213–77–78 दिनांक 4–6–78 द्वारा प्रथमबार अस्थाई मान्यता तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ने पत्रांक–शि0 स0/9716/बारह–8–1–81–82, दिनांक 20–1–82 द्वारा स्थाई मान्यता प्रदान की गयी ।

अस्थाई मान्यता के आवेदन–पत्र में प्रबन्धक ने जिन अध्यापकों को कार्यरत दिखाया था अस्थाई मान्यता के नवीनीकरण के आवेदन–पत्र में दिये गये विवरण में उनके स्थान पर सभी नए अध्यापक दिखाये गये जिनमें से प्रधानाध्यापक तथा दो सहायक अध्यापक अप्रशिक्षित थे ।

इस प्रकार अस्थाई मान्यता के समय जिन अध्यापकों के नाम अंकित थे, अस्थाई मान्यता के नवीनीकरण हेतु दिये गये आवेदन–पत्र में उनके नाम नहीं थे तथा उनके स्थान पर नए अध्यापकों के नाम दिखाये गये थे । इसके अतिरिक्त विनियमितीकरण आवेदन–पत्र में भी कुछ नए अध्यापकों के नाम प्रबन्धक द्वारा दिखाये गये । अतः विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योग्यता एवं नियुक्ति तिथि में भिन्नता पाये जाने, अध्यापकों की नियुक्ति एवं निष्कर्ष के सम्बन्ध में सेवा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया करने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्रांक–शि0 स0/109–87–88, दिनांक 10–6–87 द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति एवं विनियमितीकरण

नोट––[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सम्बन्धी आदेश संख्या–प्रबन्ध/6254–84–85, दिनांक 27–2–85 को निरस्त कर दिया ।

अध्यापकों की नियुक्ति एवं विनियमितीकरण आदेश के निरस्त होने के फलस्वरूप विद्यालय के प्रबन्धक से प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया और अध्यापकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए नियुक्ति एवं विनियमितीकरण के आदेशों को निरस्त करने सम्बन्धी आदेश संख्या–शि0 स0/266–87–88, दिनांक 22–5–87 एवं शि0 स0/109–87–88, दिनांक 10–6–87 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद ने पत्रांक–शि0 स0/201–87–88, दिनांक 9–7–87 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया है । यह कहना गलत है कि प्रश्नगत अध्यापकों एवं उनके परिवारों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है तथा छात्रों और उनके अभिभावकों के सामने शिक्षा की भयंकर समस्या पैदा हो गई है ।

पूरे प्रकरण पर जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांचोपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।]

आज की कार्यसूची की मद संख्या 17 व 18 के स्थगन की सूचना

श्री अधिष्ठाता––

मद संख्या 17 के जो प्रस्तावक हैं उनके अनुरोध पर यह स्थगित की गयी ।

मद संख्या 18 की भी माननीय जयदीप सिंह बरार हैं, उनके अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

माल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
14 जुलाई, 1987

प्रमाणित प्रति

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

प्रतिलिपि

संख्या 2590/5-7-1033/81

प्रेषक,

श्री माजिद अली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 22 जून, 1987

विषय :--पेन्शन प्राप्त भूतपूर्व विधायकों को राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे शासनादेश सं० 5404/5-7-1033/81, दिनांक 12 अगस्त, 1986 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि पेन्शन प्राप्त भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें शासनादेश संख्या 3824/5-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 द्वारा राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें नि:शुल्क अनुमन्य की गयी है, कि औषधि की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह स्पष्ट करना है कि भूतपूर्व पेन्शन प्राप्त विधायकों को राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य है । चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1989 सेक-2/5-4(84), दिनांक 21 मई, 1986 द्वारा स्वीकृत विधान मन्डल के वर्तमान सदस्यों को ही वाह्य रोगी के रूप में नि:शुल्क चिकित्सा के बदले रु० 400.00 प्रतिमाह की धनराशि स्वीकृत की गयी है । इन आदेशों से भूतपूर्व पेन्शन प्राप्त विधायक प्रभावित नहीं होते हैं और उन्हें राजकीय अस्पतालों में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31-12-1981 के अनुसार अनुमन्य नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा यथावत् अनुमन्य रहेगी । कृपया तदनुसार सभी सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों एवं राजकीय चिकित्सालयों को आवश्यक निर्देश पुनः निर्गत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
माजिद अली,
संयुक्त सचिव ।

संख्या 2390(1)/5-7-87

प्रतिलिपि निम्न को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--अपर निदेशक, (चि० उ०) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ ।
2--समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश ।
3--समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4--विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं० 972/वि० प०-85/78, दिनांक 8 मई, 1987 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

आज्ञा से,
माजिद अली,
संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट "ख"

(देखिये अता० प्र० सं० 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

नाम	विदेश यात्रा की अवधि	विदेश का नाम तथा यात्रा का उद्देश्य
1	2	3
सर्वश्री--		
1--नारायण दत्त तिवारी	दिनांक 7-5-85 से 11-5-85 के मध्य	मास्को में 'फासिज्म' के उन्मूलन की 40वीं वर्ष-गांठ में भाग लेने हेतु ।
2--सुनील शास्त्री	दिनांक 28-8-85 से 21-9-85 के मध्य	टोकियो (जापान) में अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान में भाग लेने हेतु ।
3--डाक्टर संजय सिंह	दिनांक 29-8-85 से 16-9-85 के मध्य	तदैव
4--हुकुम सिंह	दिनांक 25-9-85 से 24-10-85 के मध्य	कनाडा में 31वें राष्ट्र-मंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु ।
5--जफर अली नकवी	दिनांक 17-5-85 से 23-5-85 के मध्य	इनवायरमेंट प्रोग्राम के 13वें सत्र में सम्मिलित होने हेतु नैरोबी (केन्या) के लिये भारतीय शिष्ट-मंडल के प्रतिनिधित्व हेतु।
6--लोकपति त्रिपाठी	दिनांक 16-9-86 से 22-9-86 23-9-86 से 7-10-86 के मध्य	दक्षिण कोरिया में भारत सरकार की अनुमति से सियोल एशियाड में आब्जर्बर की हैसियत से भाग लेने हेतु ।

क्र0सं0	फिल्म का नाम	फिल्म निर्माता का नाम	किस तिथि को आवेदन किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	बन्धन बाहों का	अमित फिल्म्स प्रा0 लि0, बम्बई	13–3–87	प्रिव्यू हो चुका हैं। सदस्यों का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ हैं।
2	गंगा किनारे	जयनारायण फिल्म्स, बम्बई श्री श्रीकान्त जोशी	..	प्रिव्यू हो चुका हैं। लम्बाई कम होने के कारण उसमें छूट देने के लिए चलचित्र निगम द्वारा शासन को लिखा गया हैं जो शासन के विचाराधीन हैं।
3	मैं चुप नहीं रहूंगी	आर्ट फिल्म्स, बम्बई श्री ए0 आई0 खान	26–8–86	प्रिव्यू हो चुका हैं। सदस्यों का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ हैं।
4	सरयू तीरे	दयाश्री फिल्म्स, बम्बई दया चतुर्वेदी	14–10–86	प्रिव्यू हो चुका ह। सदस्यों का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ हैं।
5	गंगा के तीरे–तीरे	जगन्नाथश्री पिक्चर्स, श्री किशन लाल वानो	13–6–85	प्रिव्यू हो चुका हैं। सदस्यों का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
6	वह वह मंजिल तो नहीं	सुधीर मिश्र प्रोडक्शन्स, श्री सुधीर मिश्र	3-12-86	प्रिव्यू हो चुका है ।लम्बाई कम होने के कारण उसमें छूट देने के लिए चलचित्र निगम द्वारा शासन को लिखा गया है, जो शासन के विचाराधीन है ।
7	गंगा हमार माई	मूवी इन्डिया, श्री आर० ए० जालन	4-11-86	प्रिव्यू हो चुका है । सदस्यों का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है ।
8	लंका	टाक आदर्श, श्री सावन कुमार	..	प्रिव्यू हो चुका है । अध्यक्ष के सम्मुख स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

संलग्नक–क

क्र0सं0	चलचित्र का नाम	निर्माता का नाम	सब्सीडी की धनराशि स्वीकृत की गयी	भुगतान हो गया	लम्बित
1	2	3	4	5	6
			रु0		
1	दम्पत्ति	श्री एस0 एन0 राय, मृग्या फिल्म्स, लखनऊ	33,509.80 26,490.00	भुगतान हो गया	..
			59,999.80		
2	बृजभूमि	श्री शिव कुमार, ओशिनमूवीज, बम्बई	100,000.00	भुगतान हो गया	..
3	नदिया के पार	श्री ताराचन्द बड़जात्या राजश्री प्रोडक्शन्स, बम्बई	100,000.00	भुगतान हो गया	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
4	जगवाल	श्री पारासर गौड़, आंचलिक फिल्म्स, दिल्ली	65,000.00	भुगतान हो गया	..
5	सेनुर	श्री अमर गुप्ता, सुरविसार फिल्म्स, हावड़ा	94,372.40	भुगतान हो गया	..
6	पान खाये सइयां हमार	श्री सुजीत कुमार, शिवभक्ति फिल्म्स, बम्बई	100,000.00	भुगतान हो गया	..
7	जमुना किनारे	श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग, काका हाथरसी, फिल्म्स, प्रा० लि०, हाथरस	100,000.00	भुगतान हो गया	..
8	माटी बलिदान की	श्री शिव कुमार, ओसिनमूवीज, बम्बई	100,000.00	भुगतान हो गया	..
			7,39,372.20		
9	लल्लूराम	श्री शिव कुमार, ओसिनमूवीज, बम्बई	1,00,000.00	..	धनाभाव के कारण भुगतान लम्बित
10	प्रीतम मोरे गंगा तीरे	श्री भरत रावल, अलक नन्दा आर्ट्स, पूना	1,00,000.00	..	धनाभाव के कारण भुगतान लम्बित

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पद	तैनाती का विवरण	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा पुन: गाजियाबाद में तैनात किये गये
1	2	3	4
1	श्री नारायण सिंह, बि0 क0 अ0 एवं रा0 प्र0	गोरखपुर, 12-7-76 से 31-8-76	
		प्रशिक्षण, 6-9-76 से 15-11-76	
		मुरादाबाद, 22-11-76 से 4-2-77	
		सम्भल, 5-2-77 से 1-6-79	
		चेकपोस्ट, मोहननगर, 9-6-79 से 6-6-80	
		गाजियाबाद, 17-6-80 से 15-6-82	
		सहारनपुर, 22-6-82 से 21-6-85	
		गाजियाबाद, 28-6-85 से अब तक	स्था0-1-जनरल-811-टी0-85-86-708/दिनांक 14-6-85
2	श्री एच0 के0 शर्मा	चेकपोस्ट मोहन नगर 17-9-81 से 22-6-82	
		मुरादाबाद, 29-6-82 से 24-1-83	
		रामपुर, 31-1-83 से जून 1986	
		चेकपोस्ट मोहन नगर लोनी, जुलाई, 1986	स्था0-1-जनरल-311-टी0-86-87-907/दिनांक 21-6-86

1	2	3	4
3	श्री आर0 एन0 सरोज	बरेली प्रशिक्षित, 3-8-79 से 8-11-79 चेकपोस्ट लोनी, 11-11-79 से 5-5-81 गाजियाबाद, 6-5-81 से 21-5-83 आगरा, 27-5-83 से जून, 1986 गाजियाबाद चेकपोस्ट मोहन-नगर, जुलाई, 1986	स्था0-1-जनरल-311-टी0-86-87-907/दिनांक 21-5-86
4	श्री कुलदीप सिंह	चेकपोस्ट लोनी, 22-11-75 से 17-1-77 मथुरा, 24-1-77 से 2-6-78 चेकपोस्ट मोहन नगर, 16-6-78 से 5-6-79 गाजियाबाद, 5-6-79 से 15-6-82 आगरा, 22-6-82 से 21-6-85 मुजफ्फरनगर, 28-6-85 से जून, 1986 गाजियाबाद, जुलाई, 1986	स्था0-1-जनरल-311-टी0-86-87-907/दिनांक 21-6-86
5	श्री विशम्भर दयाल	गाजियाबाद प्रशिक्षित, 5-12-80 से 30-6-81 चेकपोस्ट ट्रांसपोर्ट नगर 1-7-81 से 15-6-82 सहारनपुर, 22-6-82 से 28-2-83 चेकपोस्ट सरसांवा, 1-3-83 से 30-5-83 ऋषिकेश, 6-6-83 से मार्च, 1983 निलम्बित गाजियाबाद पुनर्स्थापित, 15-11-85 से	स्था0-1-जनरल-311-टी0-85-86-255/दिनांक 11-11-85

गाजियाबाद जनपद में तैनाती का विवरण

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पद	कब से	कब तक	सहायक आयुक्त के पद पर तैनाती का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर0 एन0 उपाध्याय	वि0 क0 अ0	14-6-81	1-10-81	14-6-83 से 23-6-87 तक ।
2	श्री जे0 एस0 उपाध्याय	बिक्रीकर अधिकारी	17-6-78	15-6-82	11-7-86 से वर्तमान ।
3	श्री हरनारायण सिंह	बिक्रीकर अधिकारी	10-5-81	15-6-82	अक्तूबर, 1982 से 11-7-86 ।
4	श्री रमेश मोहन शर्मा	बिक्रीकर अधिकारी	12-6-81	5-6-84	2-4-86 से वर्तमान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

अतारांकित प्रश्न 159 का संलग्नक

वर्ष 1985–86 एवं 1986–87 में निम्न विवरणानुसार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति की गयी

क्रम सं0	मद	इकाई	वर्ष 1985–86		वर्ष 1986–87	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अ—सिंचन क्षमता में वृद्धि—					
	1—निजी लघु सिंचाई	हेक्टेयर	1600	1612.5	1600	1600
	2—निःशुल्क बोरिंग	संख्या	69	69	75	75
3	अ—एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम—					
	1—नय लाभार्थी	संख्या	265	265	267	299
	2—पुराने लाभार्थी	संख्या	350	370	458	463
	3—उक्त दोनों में अनुदान	लाख रु0 में	6.93	7.82	8.19	10.15
3	ब—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—					
	रोजगार सृजन (मानव दिवस)	संख्या	0–30	0–13	0–40	0–17

प्रदेश सभा सचिवालय

7	अ--गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों की संख्या	संख्या	308	253	345	287	
9	ब--ग्रामीण आवास--						
	1--ग्रामीण आवास सामान्य	संख्या	25	25	25	28	
	2--आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत इन्दिरा आवास	संख्या	..	..	32	32	
12	ख--बायोगैस संयंत्र निर्माण	संख्या	52	47	62	62	
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम	संख्या	134	109	140	81	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 169 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों के जेब खर्च का विवरण :—

क्रम-संख्या	नाम व पद	जेब खर्च
1	3	3
		रु0
1	श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मन्त्री	18,838·70
2	श्री वीर बहादुर सिंह, तत्कालीन सिंचाई मन्त्री (अब मुख्य मन्त्री)	17,750·00
		7,200·00
		24,950·00
3	श्री लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मन्त्री	37,750·00
4	श्री वासुदेव सिंह, खाद्य तथा रसद मन्त्री	3,130·00
5	श्री बलदेव सिंह आर्य, राजस्व मन्त्री	10,937·00
6	श्री सईदुल हसन, श्रम मन्त्री	14,487·00
7	श्री नरेन्द्र सिंह, कृषि मन्त्री	47,051·00
8	श्री अजीत प्रताप सिंह, आबकारी मन्त्री	3,865·00
9	श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री	4,550·00
10	श्री सुनील शास्त्री, ऊर्जा मन्त्री	18,462·10
11	श्री संजय सिंह, परिवहन मन्त्री	1,18,300·00
12	श्री राम रतन सिंह, संसदीय कार्य मन्त्री	10,158·00
13	श्री गोपी नाथ दीक्षित, तत्कालीन उद्योग मन्त्री (अब गृह मन्त्री)	13,397·15
14	श्री श्याम सूरत उपाध्याय, ग्राम्य विकास मन्त्री	59,600·75
15	श्रीमती बेनी बाई, पशुधन मन्त्री	14,235·00
16	श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मन्त्री	45,500·00
17	श्री रघुबीर सिंह यादव, कारागार मन्त्री	23,247·00
18	सैयद सिब्ते रजी, शिक्षा मन्त्री	29,684·00
19	श्री जयराम वर्मा, नियोजन मन्त्री	1,364·60
20	श्री गुलाब सिंह, पर्वतीय विकास मन्त्री	15,050·00

1	2	3
		रु0
	राज्य मन्त्री—	
21	श्री प्रवीण कुमार शर्मा, सा c नि0 विभाग	12,050·00
22	श्री शिव बालक पासी, कृषि	28,672·00
23	श्री जफर अली नकवी, वन	36,007·00
24	श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम्य विकास	30,035·75
25	श्री ओम प्रकाश रिछारिया, वित्त	40,475·00
26	श्री दलजीत सिंह, पशुधन	40,725·00
27	श्री इन्द्रजीत सिंह, हरिजन समाज कल्याण	28,890·00
28	श्री गौरी शंकर, राजस्व	13,270·00
29	श्री दीपक कुमार, सहकारिता	37,253·00
30	श्रीमती पद्मा सेठ, नगर विकास	13,600·00
31	श्री भोला शंकर भौर्य, सिंचाई	11,375·00
32	श्री मानपाल सिंह, खाद्य तथा रसद	20,701·00
33	श्री मोहम्मद सफीकुर्रहमान अंसारी, उद्योग	8,455·25
34	श्री संकठा प्रसाद शास्त्री, शिक्षा	14,260·00
35	श्रीमती सुखदा मिश्रा, ऊर्जा	10,570·00
36	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, न्याय	14,063·00
37	श्री हुकुम सिंह, संसदीय कार्य	25,380·00
38	श्री प्रमोद कुमार तिवारी, ऊर्जा तथा पर्यटन	4,290·00
39	श्री निसार अहमद अंसारी, उद्योग	3,080·00
40	श्री राम औतार दीक्षित, पर्वतीय विकास	4,375·00
41	श्री चेतराम गंगवार, उच्च शिक्षा	4,080·00
42	श्री राम नरेश शुक्ल, सामान्य प्रशासन	4,490·00
43	श्री सीताराम निषाद, सा0 नि0 वि0	2,450·00
44	(कु0) सरस्वती अग्रवाल, श्रम	1,570·00

पी0 एस0 यू0 पी0—4 वि0 सभा—18-11-87—813 (पी0 डी0)।